Page No.1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

सोमवार, दिनांक १२ अप्रेल, १९६५

विधान सभा की बैठक म०पू० ११.०५ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[वित्त, समाज कल्याण, राजस्व, शिक्षा, पंचायत, आयुर्वेद, राजस्व, देवस्थान-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न, श्री मुरलीधर व्यास।

बूंदी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी की बिल्डिंग की खरीद

८४३. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) क्या यह सही है कि बूंदी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी की बिल्डिंग को राज्य सरकार खरीद रही है ? यदि हां तो किस लिए और कितने रुपयों में ?

(२) क्या यह सत्य है कि इस सिलसिले में कोई प्रपोजल पहले भी सरकार के सामने आ चुके हैं और उसे सरकार ने नामंजूर कर दिया था ? यदि हां, तो कितने रुपये के प्रपोजल थे और उसे उस समय क्यों नामंजूर किया गया था ?

(३) क्या यह सही है कि कम्पनी के पास जो ज़मीन है वह उस समय की सरकार ने उसके मालिक को लीज पर दी थी ? यदि हां, तो किन शर्तों पर और नहीं तो, कब बेची गयी ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : अध्यक्ष महोदय, सम्बन्धित विभाग से इसका उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है इसलिये इसको आगे के लिये पोस्टपोन कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाचन्द सोन।

बारां में हरिजन व आदिवासी छात्रावास

८४४. श्री दयाचन्द सोन (बारां–सु०) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि बारां में कोई हरिजन व आदिवासी छात्रावास नहीं है ?

(२) यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या सरकार की वहां शीघ्र ही छात्रावास खोलने की कोई योजना है ?

उप-मंत्री, समाज कल्याण (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) जी हां, यह सच है।

(२) अन्य समीपवर्ती स्थानों में छात्रावास खोले गये हैं उनमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति की जन संख्या बारां से अधिक है। अतः पहले वहां इन वर्गों के छात्रावास खोले गये हैं।

(३) जी नहीं। तृतीय पंचवर्षीय योजना काल के लक्ष्य प्राप्ति होने के कारण अब और छात्रावास खोलना सम्भव नहीं है।

श्री दयाचन्द सोन : अध्यक्ष महोदय, आपने दो के उत्तर में बताया कि बारां से थोड़ी दूरी पर हैं और वहां अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाती की जनसंख्या बारां से अधिक है, यह निराधार है। बारां प्रमुख मण्डी है और केन्द्र स्थान है वहां हायर सेकण्डरी की दो दो स्कूलें हैं पर फिर भी वहां इनका एक भी छात्रावास नहीं होने से अध्ययन में बड़ी कठिनाई होती है।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई सन्देह नहीं कि बारां में भी आवश्यकता है पर जितनी धन राशि है उसके अनुसार ही खोले जा सकते हैं। तृतीय योजना काल में धनाभाव के कारण ऐसी कोई योजना नहीं है।

श्री दयाचन्द सोन : बारां के आस पास का क्या मतलब ? दस-दस और बारह-बारह कोस दूर। वहां न किसी प्रकार की ठहरने, उठने, बैठने की व्यवस्था है, एक ढोर की तरह कोने में पटक रखा है। बारां में जहां हर प्रकार की सुविधा है, क्यों नहीं वहां खोलना चाहते ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जनसंख्या के आधार पर जहां जरूरी समझा गया वहां खोल दिया। यह जरूरी नहीं कि हर जगह खोला जावे।

श्री दयाचन्द सोन : क्या अच्छी सुविधा समझते हैं। किशनगन्ज अटरू में बच्चों के लिये ज्यादा सुविधा है ?

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, उस इलाके में बारां ही ऐसा क्षेत्र है जहां हायर सेकण्डरी स्कूलें हैं प्राइमरी और मिडल स्कूलें भी हैं और जितने आदिवासी लोग हैं उनके लड़कों को उच्च शिक्षा के लिये अवसर कम मिलते हैं तो क्या इस स्थिति में सरकार यह उचित

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

नहीं समझती कि उनके रहने करने की सुविधा के लिये और उनके शिक्षण में सहूलियत देने की दृष्टि से वहां बारां में एक छात्रावास बनाया जावे ।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : उचित नहीं समझती सरकार, ऐसा नहीं है । पर जितना प्रावधान है उतना सरकार कर चुकी अब आगे विचार किया जा सकता है

श्री दयाचन्द सोनं : आप के पास अगर प्रावधान नहीं है तो उन्हीं छात्रावासों को वहां ट्रान्सफर कर सकते हैं ।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह सम्भव नहीं है ।

श्री दयाचन्द सोन : क्यों नहीं है सम्भव ? क्या कारण है ?

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : इसलिये कि सरकार नहीं चाहती कि ये लड़के हायर शिक्षा प्राप्त कर सकें ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, इस तरह से बैठे रहना अनुचित है, जवाब तो दें इसका मन्त्राणीजी ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : जबर्दस्ती जवाब थोड़े देंगे, मजबूर थोड़े कर सकते हैं ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आस-पास के जितने छात्रावास हैं वे लगभग सभी खाली पड़े रहते हैं इसमें राजनैतिक कारण नहीं है । पर तथ्य यह है कि वह उपयुक्त स्थान नहीं है । बारां ही उपयुक्त स्थान है अच्छी पढ़ाई का और ऊंची पढ़ाई का । वे छात्रावास चल जरूर रहे हैं पर अगर आप चाहते हैं कि वे अच्छी ऊंची शिक्षा प्राप्त करें तो उनको वहां से बारां ट्रान्सफर किया जा सकता है । वहां लगभग बिल्कुल खाली पड़े रहते हैं ।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : छात्रावास खाली पड़े हैं यह बिलकुल निरर्थक है । जितने भी छात्रावास हैं उनमें पूरी संख्या है । यहां भी खोला जा सकता है इस पर विचार किया जा सकता है ।

श्री दयाचन्द सोन : वहां पर छात्रों को ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं । अपने आप तैयार नहीं होते वहां भरती होने के लिये ।

प्रश्न संख्या ८४५

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ८४६

श्री जुझारसिंह ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ८४७

श्री अमरसिंह ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

Page No.4

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के संचालक का पद

८४८. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) [श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) द्वारा पूछा गया] : (१) क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि संचालक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान विश्व विद्यालयों की अनेक उप समितियों की बैठक में भाग लेते हैं ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार संचालक के पद पर किसी वरिष्ठ प्रिन्सिपल या अध्यापक को नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

उप-मन्त्री शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) (१) जी नहीं ।

(२) नियमों में शिक्षा शास्त्री अथवा आई० ए० एस०, आर० ए० एस० दोनों में से किसी एक को इस पद पर नियुक्त करने का प्रावधान है ।

श्री विजयसिंह झाला : जैसे टैकनिकल मामलों में जोन को आपने बना रखा है डाइरेक्टर उसी तरह से इस शिक्षा के सम्बन्ध में जिनका ज्ञान हो जो ऑथोरिटी हो, जिनको इसका अनुभव हो ऐसे शिक्षा के टैकनिकल आदमी को बनावें तो क्या हर्ज है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह शिक्षा का विषय है टैकनिकल नहीं है ।

श्री विजयसिंह झाला : शिक्षा का विषय है इसीलिये जो शिक्षा में विशेष ज्ञान रखता हो, जिसको शिक्षा के क्षेत्र का प्रैक्टिकल अनुभव हो उनको आप रखते तो अधिक उपयुक्त होता । इनको ज्ञान नहीं है यह मैं नहीं कहता, पर शिक्षा से अधिक उनको शासन का अनुभव होता है, और जिस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र का अधिक अनुभव होने के कारण आपने डाइरेक्टर उनको बनाया है उसी तरह इस जगह भी ऐसे ही आदमी को आप क्यों नहीं बनाते ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : कॉलेज के एजूकेशन के प्रश्न पर हमने शिक्षा शास्त्री को बना दिया और अब यह अतिरिक्त डाइरेक्टर हैं इसलिए उनके अधिनस्थ हैं इसलिए इनको गाइडेन्स सारा वहां से मिलता है । ऐसी स्थिति में किसी दूसरे को बनाने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री विजयसिंह झाला : फिर इनको बैठकों में भेजने की क्या जरूरत है ? बैठकों में शिक्षा के संबंध में विशेष राय देने के लिये भेजते हैं या प्रशासनिक प्रश्न तो वहां पर कोई होता नहीं है इसलिए ऐसी स्थिति में शिक्षा के बारे में कोई विशेष राय देने वाला प्रशासनिक हैड को नहीं बनायें और शिक्षा के बारे में विशेष ज्ञान हो ऐसे व्यक्तियों को बनाया जाय तो क्या हर्ज है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह विषशे स्वयं ज्ञान रखते हैं । आई०ए०एस० होते हुए शिक्षा का ज्ञान रखते हैं ।

श्री विजयसिंह झाला : लेकिन एक परिपाटी के आधार पर आपको ऐसा करना चाहिए ।

Page No.5

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऐसी नीति निर्धारित नहीं कर रखी है।

प्रश्न संख्या ८४६

श्री अध्यक्ष श्री : जयकृष्ण शर्मा।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ८५०

श्री जोधसिंह चौहान

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ८५१

श्री मथुरेशबिहारी माथुर।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ८५२

श्री भैरवलाल 'कालाबादल'

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ८५३

श्री रामानन्द अग्रवाल।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री भैरोंसिंह।

पटवारियों के सेमीनार

८५४. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने पटवारियों के जिला सेमीनार करने के आदेश दिये हैं? यदि हां, तो कब?

(ख) इस आदेश के पश्चात् किस किस जिले में कब कब ऐसी सेमीनार हुइ और नहीं हुई तो क्यों?

उप मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (क) जी हां, राजस्व मण्डल ने सन् १९६० में।

(ख) उदयपुर और गंगानगर जिले में क्रमशः सन् १९६० और ६१ में हुई। शेष में नहीं। सरकार द्वारा आपत्तिकाल घोषित किये जाने के कारण नहीं हुई।

श्री भैरोंसिंह : शेष जिलों में क्यों नहीं हुई? सरकार के आदेशों का पालन क्यों नहीं किया गया?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि ६२ के अन्दर तो आपत्तिकाल घोषित किये जाने से सभी जगह बन्द हो गई। १९६० और ६१ में उदयपुर और गंगानगर जिले में या तो ये सेमीनार हुई और दूसरों में नहीं हुई। इसके कारणों की सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : सरकार ने इस संबंध में जांच की होगी कि सरकार के आदेशों का पालन क्यों नहीं हुआ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वस्तु-स्थिति मैंने सदन के सामने रख दी कि दो जिलों के अलावा दूसरी जगह नहीं हुई और

Page No.6

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

तत्काल बाद में आपत्तिकाल की वजह से नहीं हुई।

श्री भैरोंसिंह : जब सरकार ने आदेश जारी कर दिये कि पटवारियों की सेमीनार होगी तो उन आदेशों का पालन क्यों नहीं हुआ ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने कहा कि नहीं हुई यह सही है लेकिन जो हुई थी उसके तत्काल बाद ही गवर्नमेंट ने आदेश दे दिये सभी जगह बन्द करने के। एक ही साल में दो जगह हुई और बाकी के जिलों में नहीं हुई। उदयपुर और गंगानगर में तो हुई लेकिन बाकी के जिलों में नहीं हुई।

श्री भैरोंसिंह : जिन जिलों में सेमीनार नहीं हुई उनमें नहीं करने के लिए किस पर रेस्पान्सीबिलिटी डाली है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह तो कन्ट्रोलिंग ऑथोरिटी राजस्व मंडल है।

श्री भैरोंसिंह : क्या राजस्व मंडल द्वारा आयोजन कराना था या कलेक्टर के द्वारा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसकी देख-भाल करना राजस्व मण्डल के क्षेत्र में है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाय कि राजस्व मंडल इनकाम्पीटेन्ट है सरकार की आज्ञा का पालन कराने में और अगर है तो एक्शन नहीं ले सकती ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसा मानने की कोई वजह नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : उनके आदेशों का पालन नहीं है तो यह इनकाम्पीटेन्सी की रेस्पान्सीबिलिटी किस पर लागू होती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह व्यवस्था प्रारम्भ में की गई थी और एक ही साल यह व्यवस्था रही थी उसके बाद में सरकार के द्वारा ही बन्द कर दी गई तो प्रारम्भिक अवस्था के अन्दर कोई जगह नहीं हुई।

श्री भैरोंसिंह : क्यों नहीं हुई ? कारण क्या है ? कौन है इसके लिए रेसपान्सीबिल ? जब आप अपनी आज्ञा का पालन नहीं करवा सकते तो फिर आर्ड्स क्यों नकलते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह तो बन्द कर दी गई व्यवस्था।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय आपके आदेश थे उस समय पर क्यों नहीं हुई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कारणों की जानकारी मैं करूंगा लेकिन नहीं हुई वह वस्तु-स्थिति है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : आपने आदेश दियें उस समय इमरजेन्सी की शुरूआत हो गई थी या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उस समय नहीं हुई थी बाद में हुई और बाद में होते ही बन्द कर दी गई।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जब आपने बन्द की तो उस समय इमरजेन्सी हो चुकी थी। आपने आदेश दिये और बन्द की उसके बीच में कितना इन्टरवल गुजरा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कुछ महीनों का।

प्रश्न संख्या ८५५

श्री अध्यक्ष : श्री स्वरूपसिंह।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ८५६

वैद्य श्री गोविन्द सहाय।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ८५७

श्री जयलाल।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ८५८

श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

अजमेर में विश्वविद्यालय

८५६. **श्री पोहूमल ईसरदास** (अजमेर पश्चिम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सरकार अजमेर में विश्वविद्यालय स्थापित करने का विचार रखती है ?

(२) यदि हां, तो कब तक ? और यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य): (१) अभी सरकार की कोई विश्वविद्यालय खोलने की नीति नहीं है।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न संख्या ८६०

श्री अध्यक्ष : श्री चतुर्भुज उपाध्याय।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री विजयसिंह झाला।

तहसील नाथद्वारा में मिडिल स्कूल खोलने की सिफारिश

८६१. **श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) नाथद्वारा तहसील में किस किस जगह मिडिल स्कूल खोलने की सिफारिश राज्य सरकार को जिला परिषद ने गत तीन वर्षों में की है ? तथा उनमे से कितने गावों में मिडिल स्कूल खुल चुके हैं ? सूचि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) नाथद्वारा तहसील में कितने मिडिल स्कूल खोलने का सरकार इस वर्ष विचार रखती है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) १९६२-६३ के शिशोदा प्राथमिक शाला को माध्यमिक शाला में परिवर्तित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए। यह शाला क्राईटेरिया में न आने के कारण उन्नत न हो सकी।

१९६३-६४ में पंचायत समिति करोली की प्राथमिक शाला को प्रोन्नत करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए। यह शाला क्राइटेरिया में न होने के कारण उन्नत न हो सकी।

१९६४-६५ में जिला परिषद ने कोई प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये।

(२) १९६५-६६ के बजट में किसी भी प्राथमिक शाला को माध्यमिक शाला में परिवर्तित करने का प्रावधान नहीं है।

श्री विजयसिंह झाला : मैंने अध्यक्ष महोदय, इसकी सूची मांगी थी वह नहीं आई। किस किस ने रिकमन्डेशन की यह अभी मालूम नहीं हुआ। अगर यह सूची होती तो उसके आधार पर सप्लीमेन्टरी क्वेश्चन्स किये जा सकते थे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : सूची मैं नजर कर दूंगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह कष्ट आप पहले ही करते तो ज्यादा अच्छा रहता।

श्री निरंजननाथ आचार्य : कहीं गलती से नहीं दे सके।

श्री विजयसिंह झाला : मतलब की बात तो यही थी कि जो सूची में नाम आने वाले थे वहां नहीं खुले और जहां रिकमन्डेशन नहीं किया वहां पर स्कूल खोल दिये तो दरअसल में सप्लीमेन्टरी तो उसी आधार पर था। अध्यक्ष महोदय, जो आधार बनते हैं कि मिडिल स्कूल कहां २ खोले जायें उसमें यह है कि जिला परिषद की रिकमन्डेशन होनी चाहिये तो तीन सालों में जो जिला परिषदों ने रिकमन्डेशन की वहां कहां कहां खोले और बिना रिकमन्डेशन के कहां कहां खोले ? दरअसल बात यह थी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जहां तक इन दोनों स्कूलों का प्रश्न है मैंने यह अर्ज किया कि यह क्राइटेरिया में नहीं आती जिसका मतलब भवनों की व्यवस्था, बच्चों की गणना कम होना है इसलिए इन दोनों का प्रश्न तो बिल्कुल साफ है कि यह नहीं लिए जा सकते थे। अब आपका प्रश्न यह जरूर रहता है कि क्राइटेरिया नहीं होते हुए भी स्कूल खोल दिये गये हैं। उस सूची से प्रमाणित कर सकते थे जैसा आपने कहा कि सदन की मेज पर रख दी जाये यह सच है कि इस सदन की मेज पर सूची नहीं रखी गई है।

श्री विजयसिंह झाला : मुझे इस पर एतराज है। दरअसल में कोई फिक्स्ड क्राईटेरिया नहीं है। कहीं भवन होता है तो जिला परिषद की रिकमन्डेशन नहीं होने पर खारिज कर देते हैं और अगर रिकमन्डेशन होती है तो भवन के बिना पर खारिज कर देते हैं। तो मैं निश्चित क्राइटेरिया जानना चाहता हूं जिससे वह इधर उधर नहीं हों। कई बार हाउस में इस प्रश्न को लाया गया

Page No.9

(श्री विजयसिंह झाला)

है। कम से कम वह क्राइटेरिया तो बतायें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं बराबर यहां पर निवेदन कर चुका हूं कि इसका फिक्स्ड क्राइटेरिया है और कई बार सदन में आपने भी सुना होगा कि मिडिल स्कूल खोलने के बारे में क्राईटेरिया फिक्स्ड है उसी के आधार पर स्कूल खुलते हैं। जैसे पांचवी क्लॉस की संख्या, छठी क्लॉस की संख्या, बिल्डिंग के कितने रूम होने चाहिये और पैसा यह सब बातें मैं कई बार कह चुका हूं।

श्री विजयसिंह झाला : क्या जिला परिषद की रिकमन्डेशन का कोई क्राईटेरिया है; अगर है तो आपने बिना रिकमन्डेशन के उन सालों में मिडिल स्कूल खोले हैं क्या ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : क्राईटेरिया के माफिक ही खुले हैं। जिला परिषद तो कभी कभी ८–९ रिकमन्डेशन्स करके भेजती है। इन्सपेक्टर की रिपोर्ट होती है और हम सलेक्ट करते हैं और कितनी खोली जा सकती हैं उस आधार पर सरकार तय करती है।

श्री विजयसिंह झाला : जिला परिषद बिल्कुल नहीं भेजे और जिनके लिए भेजे आप नहीं खोलें और जिनका प्रस्ताव भी नहीं है वहां भी आपने खोले हैं क्या ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं यह अर्ज कर चुका हूँ। क्राईटेरिया को ध्यान में रख कर ही खोले हैं।

श्री विजयसिंह झाला : मैं तो निश्चित जवाब चाहता हूं कि आपने जिला परिषद की बिना रिकमन्डेशन के भी कहीं पर खोली ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह जरूर है कि बैकवर्ड एरिया है और जहां भील लोग रहते हैं वहां हमने खोली हैं। इसी तरह से बोर्डर एरिया में रूल्स को रिलेक्स किया है। लेकिन ऐसी जगह जहां आपका स्थान है या दूसरे माननीय सदस्यों का स्थान है उसमें क्राईटेरिया का ध्यान रखा जाता है।

श्री विजयसिंह झाला : आपका क्षेत्र तो बैकवर्ड नहीं है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह तो बहुत आगे हैं अध्यक्ष महोदय, सद्भाग्य से मैं क्या कहूं।

श्री विजयसिंह झाला : क्या यह सही है कि बगैर रिकमन्डेशन के आपने अपने क्षेत्र में मिडिल स्कूल खोला है ?

श्री अध्यक्ष : वह तो एक क्राइटेरिया में है।

श्री विजयसिंह झाला : हमें कोई रास्ता मालूम नहीं है। हम भवन बनाते हैं तो कह देते हैं कि जिला परिषद की रिकमन्डेशन नहीं और जिला परिषद की रिकमन्डेशन लाते हैं तो कहते हैं कि भवन नहीं है। आखिर इधर-उधर निकलने का माननीय उप शिक्षा मंत्री जी ने रास्ता बना रखा है उन रास्तों को बन्द किया जाय तो रास्ता

(श्री विजयसिंह झाला)

तो मालूम हो। राजगढ़ के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं होते हुए भी मिडिल स्कूल खोला जाता है और दूसरे क्षेत्रों में क्राइटेरिया होते हुए भी नहीं खोला जाता है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उनका और मेरा क्षेत्र पास पास हैं। उनके क्षेत्र के बच्चे मेरे यहां आते हैं और मेरे क्षेत्र के बच्चे उनके यहां जाते हैं। शिक्षा में भावात्मक एकता तो है। इसमें कोई शिकायत नहीं हो सकती। इसके बावजूद कोई स्कूल बिना रिकमन्डेशन के मेरे क्षेत्र में नहीं खोला गया है, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : बिना जिला परिषद् की रिकमन्डेशन के खोले हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जिला परिषद् कभी बिना किसी क्राइटेरिया के ही रिकमण्ड कर देती है और किसी को क्राइटेरिया होते हुए भी छोड़ देती है तो इन सारों की स्क्रूटिनी करनी पड़ती है। इन्सपेक्टर ने रिकमन्डेशन किया है और जिला परिषद् ने रिकमण्ड किया है तो दोनों की रिकमण्डेशन को देख कर कहां पर ज्यादा आवश्यकता है उस आधार पर खोलते हैं।

श्री गोविन्दसिंह : जिला परिषद् इन्सपेक्टर की रिकमन्डेशन पर रिकाण्ड करती है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह प्रोसीजर का प्रश्न है जनरेलाइजेशन का प्रश्न नहीं है।

श्री विजयसिंह झाला : इन्सपेक्टर की रिकमण्डेशन हो जाय और जिला परिषद की रिकमण्डेशन हो जाय फिर उप शिक्षा मंत्री जी के प्रोसीजर की कौन सी बात है यह बता दें जरा ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने निवेदन किया है कि ४—५ क्राइटेरिया हैं, परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि इन क्राइटेरिया में शिशोदा नहीं आता है। उसके लिए मेरी और आपकी हमदर्दी एक सी है।

श्री गोविन्दसिंह : जिला परिषद रिकमन्डेशन नहीं देती है तो कैसे आपको मालूम पड़ता है कि वहां पर खोलना है ?

श्री अध्यक्ष : यह सब मालूम रहता है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : सारे राजस्थान का नक्शा रहता है।

श्री गोविन्दसिंह : किस आधार पर ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आधार यह है कि इन्सपेक्टर्स की इन्डिपेन्डेन्ट रिकमन्डेशन सारे राजस्थान के लिए होती है वह....

श्री अध्यक्ष : सारे आधार नहीं बताएं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : तो मुक्त छोड़ दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीरसिंह।

Page No.11

लम्बरदारों को छूट

८६२. श्री रघुवीरसिंह (बाड़ी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सत्य है कि सरमथुरा सब-तहसील के महतगान (लम्बरदारान) को सम्वत् २०१७ से उनकी महत छूट प्राप्त नहीं हो सकी है? अगर हां, तो क्यों तथा कितनी रकम किस किस सम्वत् की बाकी है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): जी हां, यह सत्य है कि सरमथुरा सब-तहसील के महतगान (लम्बरदारान) को सम्वत् २०१७ से उनकी महत छूट नहीं दी गई है।

२०१७ में यह छूट ३५९९ रुपये कायम की गई थी। उसके बाद के सालों का हिसाब तैयार नहीं किया गया, क्योंकि २०१७ से जो नया बन्दोबस्त लागू हुआ उसमें इस छूट का कोई वर्णन नहीं था और स्थिति की जांच की जा रही थी कि यह रकम किस प्रकार दी जावेगी। अब इसके भुगतान के आदेश जारी किये जा रहे हैं।

श्री रघुवीरसिंह: यह कब तक हो जायेगा?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: मैं समझता हूं कि जल्दी ही हो जाना चाहिए।

श्री रघुवीरसिंह: जल्दी का मतलब थोड़ा स्पेसिफिक कर सकेंगे?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: स्पेसिफिक क्या आदेश जारी हुए हैं और आदेश होने के बाद देरी नहीं लगती है।

कस्बा उदयपुर, जिला झुंझुनू में कन्या माध्यमिक शाला खोलने की मांग

८६३. श्री जीवराजसिंह (गुढ़ा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या जिला झुन्झनू के कस्बा उदयपुर में कन्या माध्यमिक शाला खोलने के लिए जनता की ओर से प्रार्थना पत्र सरकार के पास आया है,

(२) क्या वहां पर इसके लिए जनता ने भवन भी बनाना शुरू कर दिया है?

(३) यदि हां, तो क्या सरकार वहां इसी साल स्कूल खोलने का विचार रखती है?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य): (१) जी नहीं।

(२) जी नहीं।

(३) सन् ६५—६६ में सरकारी प्राथमिक शाला को माध्यमिक शाला में परिवर्तित करने का प्रावधान नहीं है।

श्री जीवराजसिंह: अगर भवन बना दिया जाय तब भी नहीं है?

श्री निरंजननाथ आचार्य: तब भी प्रावधान नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : भवन बन रहा है और प्रावधान नहीं है तो यह कार्ट बिफोर दी हार्स की क्या व्यवस्था है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : भवन बनता है और प्रावधान नहीं है तो भवन प्रतीक्षा करेगा जब तक कि प्रावधान हो जाय।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : तो भवन को रुकवा दें। फिजूल आप क्यों खर्च करा रहे हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : वहां जनता भवन बना रही है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आप जनता को धोखा दे रहे हैं।

श्री जीवराजसिंह : भवन बनने के बाद क्या प्राथमिकता दी जायगी ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : कह नहीं सकता।

प्रश्न संख्या ८६४

श्री अध्यक्ष : श्री हीराभाई !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री धर्माराम आर्य !

जवाल ग्राम की माध्यमिक शाला को उच्चतर माध्यमिक शाला में परिवर्तित करने की योजना।

८६५. श्री धर्माराम आर्य (सिरोही मु०) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सिरोही जिले के जावाल ग्राम की माध्यमिक शाला को उच्चतर माध्यमिक शाला में अपग्रेड करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो वह कब तक क्रियान्वित कर दी जावेगी ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त स्कूल का भवन उच्चतर माध्यमिक शाला की कक्षाएं चलाने के लिए पर्याप्त हैं ?

उप-मन्त्री शिक्षा (श्री निरन्जननाथ आचार्य) : (१) सन् ६५-६६ में मिडिल स्कूल के उच्चतर माध्यमिक शाला के बनाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(२) जी नहीं।

श्री दलपतसिंह (आबू) : ६६ में क्या स्कीम है इसके बारे में ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : अभी नहीं बन पाई है ; आगे बनेगी।

श्री दलपतसिंह : इसका कारण क्या है ? आप जानते हैं कि कम से कम एक लाख खर्चा करके भवन तैयार किया है। वहां पर जनता की डिमाण्ड १० साल से है और अब तक उसको अपग्रेड कर देना चाहिए। नहीं किया है इसका कारण क्या है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : इसके दो कारण हैं। एक तो आर्थिक संकट दूसरा हमारा जो टारगेट था वह बहुतांश में पूरा हो चुका है इसलिए अब क्वालिटी पर ध्यान देना है और एक्स्टेन्शन पर कम ध्यान है।

Page No.13

श्री दलपतसिंह : आर्थिक-संकट के बारे में तो प्रश्न ही नहीं उठता है। दूसरी परिस्थिति यह है कि जिला परिषद ने रिकमण्ड करके भेजा है तो वह कौन सी परिस्थिति है कि उसको माने या न मानें। वहां पर बच्चों की और जनसंख्या भी काफी है। ६० पर्सेन्ट यह प्रश्न हल हो जाता है। उसके बाद नहीं खोलने का प्रश्न कहां कहां उठता है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : आपका मतलब डोनेशन बेसिस पर है ?

श्री दलपतसिंह : उसके बारे में अब भी आर्थिक संकट की बात नहीं है क्योंकि भवन बना हुआ तैयार है। बच्चों की संख्या भी काफी है और तीसरा प्रश्न यह है कि जिला परिषद ने भी कई दफा सिफारिशें कीं और वह ४-५ साल से चल रही हैं कि इस स्कूल को अपग्रेड करके मैट्रिक तक कर देना चाहिए तो फिर क्या प्रश्न रहता है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मैंने अर्ज किया कि कोई प्रावधान अपग्रेडेशन का इस वक्त नहीं हो रहा है।

श्री दलपतसिंह : क्यों नहीं रखा है that I want to know.

श्री निरन्जननाथ आचार्य : उसके दो-तीन कारण हैं। अब हम क्वालिटी पर ध्यान देना चाहते हैं एक्स्टेन्शन का नहीं। यह सारा क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। राज्य सरकार ने अपनी यह नीति बना ली है कि इस वक्त नहीं कर रहे हैं अपग्रेड।

प्रश्न संख्या ८६६

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पतिलाल बोहरा !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री देवीलाल !

तहसील सराडा की काबिल काश्त भूमि का अलॉटमेंट

८६७. **श्री देवीलाल मीणा** (सराड़ा-सु०) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) उदयपुर जिले में किस किस तहसील में आदिवासी पहाड़ों पर खेती करते हैं ?

(२) क्या यह सही है कि तहसील सराड़ा में पहाड़ी पर रहने वाले आदिवासियों को वहां की काबिल काश्त जमीन एलॉट नहीं की जाती है ?

(३) क्या यह सही है कि कई लोगों ने वहां की भूमि को काबिलकाश्त बना लिया है ? यदि हां, तो उन्हें एलॉटमेंट क्यों नहीं किया जाता और खातेदारी अधिकार क्यों नहीं दिये जाते ?

उप-मन्त्री राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) उदायपुर जिले में तहसील गोगुन्दा, गिरवा, बल्लभनगर, खैरवाड़ा, सलुम्बर, सराड़ा, देवगढ़, लसाड़िया, झाडोल, कोटड़ा, कुम्भलगढ़ के पहाड़ी

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

एरिया में कहीं कहीं उपयुक्त स्थानों पर अदिवासी खेती करते हैं।

(२) जी नहीं।

(३) जी हां। परन्तु संबन्धित भूमि एलॉटमेंट नियम में नहीं आने से वह स्वीकृत शुदा चरनोट में होने से एलॉटमेंट रेग्युले-राइज नहीं हुई हैं। काश्तशुदा रकबे को गैर काबिल काश्त से काबिल काश्त में परिवर्तन की कार्यवाही जारी है तथा चरनोट की भूमि चरनोट निकल जाने पर नियमा-नुसार एलॉटमेंट की कार्यवाही होगी।

श्री देवीलाल मीणा : क्या इन तह-सलों में जिन काश्तकारों ने नाकाबिल काश्त की जमीन को काबिल काश्त बना ली है उनको तब्दील करने के बारे में सरकार सोचेगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसके आदेश जारी कर दिये गये हैं।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (सहाडा-सु०) : कब तक आदेश हो जायेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एक निश्चित अवधि है जिसमें सबको प्रार्थना पत्र पेश कर देने चाहिए और प्रार्थनापत्र पेश करने पर अगर उनके खिलाफ अदालत में मुकदमें चल रहे हैं सेक्शन ६१ के तहत तो इन दोनों सूरतों में वह रेग्युलेराइज कर दी जायगी। ऐसे आदेश दे दिये गये हैं।

मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को स्टेडी लोन

८६८. श्री मोहनराज जैन (वाली) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को प्रति वर्ष स्टडी लोन के नाम से कुछ रकम आवंटित करती है ? यदि हां, तो इस मद के अन्तर्गत अब तक कुल कितनी रकम दी जा चुकी है ?

(२) जिन शर्तों के आधार पर उक्त ऋण दिया जाता है उसकी एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त ऋण की काफी राशि बावजूद वसूली योग्य होने के भी समय पर वसूल नहीं की गई ? मौजूदा समय तक कुल ऐसी कितनी राशि काबिल वसूली बकाया है और कितने डाक्-टरों में, कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरन्जननाथ आचार्य) : (१) जी हां, १९५१-५२ से १९६३-६४ तक कुल रकम ५,३४,१६० रुपया की राशि दी गई है।

(२) नियमों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) हां, मौजूदा समय तक २०७ डाक्टरों से कुल ४,८८,६०३, रुपये का बिल

Page No.15

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

वसूली है । ब्योरेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मोहनराज जैन : मन्त्री महोदय ने यह बताया है कि कुल २०७ डाक्टरों में यह रकम बकाया है ४ लाख और कुछ, तो कुल कितने डाक्टरों को यह लोन दिया गया था ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : (कागज देख कर) कुछ तो, अध्यक्ष महोदय, मेरे पास नहीं है, बहुत कम है जिनसे वसूली हो पायी है । २०७ से ही ऊपर २२५–२३० समझ लें ।

श्री मोहनराज जैन : मेरे ख्याल से एक भी डाक्टर ने जिनको आपने लोन दिया वापिस पूरी रकम नहीं लौटाई, क्या यह सही है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : कुछ अंशों में सत्य हो सकता है ।

श्री मोहनराज जैन : यह रकम वसूल करने की जवाबदारी किस की होती है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जवाबदारी सरकार की है, लोन दिया जाता है तो वसूल होना चाहिये ।

श्री मोहनराज जैन : सरकार की तो सभी जिम्मेदारी है ही । खास तौर से यह लोन है इस लोन की वसूली की जबाबदारी किस विशेष अधिकारी की है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : एज्युकेशन डिपार्टमेंट की है अध्यक्ष महोदय, वसूली नहीं करने का कारण मैं बता दूं । इसके नियम बड़े डिफेक्टिव रहे हैं । एक दफा लोन ले जाने के बाद इफेक्टिव रूल्स नहीं बनने से हम उसको वापिस नहीं ले पा रहे हैं । नियमों में संशोधन कर रहे हैं । संशोधन हो जाने पर मेरा विश्वास है जल्दी ही वसूल कर पायेंगे ।

श्री चंद्रसिंह बर्फा (बिलाड़ा) : क्या जिनको लोन दिया गया उनके बौंड भराये हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : बौंड उनसे मराये गये हैं लेकिन आॅबलीगेटरी प्रोविजन नहीं रखा गया । हमने उनको लोन दे दिया और कहा कि नौकरी पर चले जाओ और इतना वेतन मिलने लग जाय तब इतने इन्स्टालमेंट्स में जमा करा देना लेकिन इसको ओब्लीगेटरी नहीं बनाया इसलिये डिफाल्ट रहा । अब हम रूल्स के अन्तर्गत दूसरा प्रोविजन मैन्डेटरी देना चाहते हैं ताकि कानूनी गिला नहीं रहे ।

श्री मोहनराज जैन : क्या ऐसे भी डाक्टर हैं जिन्होंने आपके मांगने पर असमर्थता प्रकट की ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : असमर्थन तो प्रकट नहीं की लेकिन हमारी मांग उन तक पहुंच ही नहीं पाई ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : आप डाक्टरों की तनख्वाह में से नहीं काट सकते थे क्या ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : तनख्वाह में से काट तो सकते थे ।

श्री अध्यक्ष : उनको लिखा तो जा सकता था कि आप तनख्वाह में से कटवा–इये ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, उनको बार बार लिखा गया है और वे जवाब भी देते गये हैं। हमारे भी रूल्स डिफेक्टिव होने से उन पर दबाव नहीं डाल सके। अब फोर्म्स और रूल्स में संशो–धन कर रहे हैं।

श्री चंद्रसिंह बर्फा : डिफेक्टिव रूल्स क्यों रहने दिये ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : रूल्स का अमेन्डमेंट कर रहे हैं।

श्री मोहनराज जैन : क्या सरकार ने इस बात को सोचा है कि इन रूल्स और एग्रीमेंट फोर्म में संशोधन करने के बाद भी आप यह रकम पूरी वसूल नहीं कर पायेंगे क्योंकि अब जो संशोधित रूल्स होंगे उनसे पहले वालों को कैसे बाउन्ड डाउन कर सकेंगे ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : आगे आने वाला लोन का प्रश्न तो इससे गवर्न हो जायगा। यह लीगल पोजीशन है कि हमारे रूल्स पहले दिये गये लोन्स के लिये इफेक्टिव हो सकते हैं या नहीं इस सम्बन्ध में मैं अभी नहीं कह सकता ।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा : डिफेक्टिव रूल्स को पहले ठीक करने के बाद ही लोन चालू क्यों नहीं किया गया ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : आगे विचार कर सकते हैं। जो दिये जा चुके हैं उन पर क्या कर सकते हैं क्या नहीं यह डाक्टरों का प्रश्न है, वे अभी मिल भी नहीं रहे हैं स्टूडेन्ट लाइफ में भी काफी हार्डशिप होता है।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा : हार्डशिप हो रही है तो आप माफ कर दीजिये।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : यह स्टू-डेन्ट्स को दिया हुआ कर्जा है, माफ करने का प्रश्न नहीं है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु०) : क्या यह माना जाय कि जब तक आपके रूल्स नहीं बन जाते तब तक वसूली के लिये कोई लिखा पढ़ी नहीं की जा सकती ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : हम बराबर लिखा पढ़ी कर रहे हैं और हर तरीके से कोशिश की जा रही है।

गर्ल्स हायर सेकेन्डरी स्कूल प्रताप–गढ़ में कमरों की कमी

८६६. श्री हरलाल मीणा (प्रताप-गढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री हरलाल मीणा)

(१) क्या यह सही है कि गर्ल्स हायर सेकेन्डरी स्कूल प्रतापगढ़ (जिला चित्तौड़-गढ़) में पर्याप्त कमरों के अभाव के कारण बहुत सी छात्राओं को स्कूल में प्रवेश नहीं मिल पाता है? यदि हां, तो इसके लिये क्या आवश्यक कदम उठाया जा रहा है ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि इस विषय में डाइरेक्टर ऑफ एज्यूकेशन से पत्र व्यवहार भी किया गया है ?

(३) क्या यह भी सत्य है कि उक्त हायर सैकेन्डरी स्कूल में छात्राएं फर्स्ट डिविजन प्राप्त करके पास हुई हैं ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त गर्ल्स हायर सैकेन्डरी स्कूल के पास कमरे बनाने के लिये जमीन भी उपलब्ध है लेकिन कमरे नहीं बनाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो इसमें क्या रुकावटें आ रही हैं और अब कब तक यह पूर्ति की जावेगी ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरन्जननाथ आचार्य) : (१) यह सत्य नहीं है।

(२) जी हां । सरकार के विचारा-धीन है।

(३) सत्य है । कन्या सैकेन्डरी स्कूल प्रतापगढ़ के पूर्व में स्थानीय नगरपालिका द्वारा १३२×१०० फीट जमीन का टुकड़ा दिया है। उक्त जमीन के पास ही सार्व-जनिक पाखाने बने हुए हैं एवं उस जमीन के भी चारों ओर दीवार न होने से उसका उपयोग भी जनता द्वारा शौचालय के रूप में किया जा रहा है। बाउन्डरी वाल बन-वाने की कार्यवाही भी जल्दी ही की जा सकेगी।

पोल्ट्री फार्म के लिए जमीन का एलॉटमेन्ट

८७०. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीका-नेर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि कोटा के अकेलगढ़ वाटर वर्क्स के पास लगभग १२ बीघा काश्त की जमीन पोल्ट्री फार्म के लिए जिलाधीश द्वारा किसी को एलॉट की गई है ?

(२) क्या यह सही है कि इस प्रकार के एलॉटमेन्ट के अधिकार कलेक्टर को नहीं है ? यदि हां, तो यह एलॉटमेन्ट किस आधार पर किया गया ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : जिलाधीश कोटा ने नवज्योति पोल्ट्री फार्म कोटा को अकेलगढ़ वाटर वर्क्स के पास १५ एकड़ गैर मुमकिन पठार भूमि १० वर्ष के लिये रियायती दर पर आंवटन करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किया है जो अभी विचाराधीन है।

(२) जी हां। कलेक्टर को इस प्रकार के आवंटन को कतई रूप से करने का अधि-कार नहीं है और ना इस मामले में उन्होंने ऐसा किया ही है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह जमीन इस समय किस के अधिकार में है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह जमीन, जो जानकारी की है उससे मालूम हुआ है कि उसी के कब्जे में है जिसके लिये प्रस्ताव भेजा गया।

श्री भैरोंसिंह : उसने कब्जा कैसे कर लिया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बाउम्मीद मंजूरी कलेक्टर ने उसको कब्जा दे दिया।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस तरह से कब्जा देने का उसको अधिकार है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अधिकार नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): लैंड को वापिस लेने की क्या कार्यवाही की जा रही हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मुझे अभी जानकारी मिली है, छानबीन कर रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : कितना अर्सा हुआ नाजायज कब्जा दिये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : १५-११-६४ को फाइल आई है। अब उसकी छानबीन की जा रही है। बाउम्मीद मंजूरी कब्जा दे दिया था।

श्री भैरोंसिंह : आप छानबीन करें लेकिन कब्जा वापिस प्राप्त करने का आदेश दिया या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने आदेश दे दिया है कि जब तक फाइनल फैसला सरकार द्वारा न हो तब तक किसी प्रकार की लागत या बढ़ावा न करे।

श्री भैरोंसिंह : अब कब्जा किसका माना जायगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सेंकशन की उम्मीद में कलेक्टर ने कब्जा दे दिया था जो नहीं देना चाहिये था।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि कोटा के ए० डी० एम० ने जमीन देने से पहले कलेक्टर से कहा था कि आप के अधिकार में नहीं है, आप अधिकार से बाहर जाकर दे रहे हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जबानी ए० डी० एम० के और कलेक्टर के क्या बात हुई उसकी मेरे पास सूचना नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सच है कि फाइल पर लिखा हुआ है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने सारी पत्रावली आज सवेरे मंगाई है लेकिन इस दृष्टि से देखा नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि उस पर कंस्ट्रक्शन कर दिया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : संभवतः....

श्री मानिकचन्द सुराणा : वह जमीन किसके पास है ?

श्री भैरोंसिंह : बिरियमसिंह, भूतपूर्व कांग्रेस अध्यक्ष, कोटा। आपको भी जान-

(श्री भैरोंसिंह)

कारी है कि वे भूतपूर्व अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी, कोटा थे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं इसको रिफ्यूट करता हूं। न मैं जानता हूं कि वे कौन हैं।

श्री भैरोंसिंह : वे कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं, फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट से ब्लैक लिस्टेड है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मुझे जानकारी नहीं है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : आप कांग्रेस में देर से आये हैं इसलिये नहीं जानते होंगे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप तो पहले से थे आप जानते होंगे ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : हम तो जानते ही हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : आपने उत्तर के दौरान यह बात बताई है कि उक्त मिसल आपके पास नवम्बर में आई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नवम्बर में प्रस्ताव आया है। उत्तर के दौरान मैंने कहा कि अपने आप को सन्तुष्ट करने के लिये मिसल मंगाई है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आप यह मान चुके हैं कि कब्जा नाजायज है, मेरे ख्याल से आपने कहा कि मिसल नवम्बर में आई और आप छानबीन कर रहे हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नवम्बर में आई उसमें ऑर्डर कब्जा देने का जिक्र नहीं था। नवम्बर में रेफेन्स प्रस्ताव आया कि इस एलॉटमेन्ट को स्वीकार किया जाय, एप्रूव किया जाय सेंक्शन दी जाय। लेकिन कब्जे की अभी हाल ही में इत्तला आई।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह मोटी सी बात है यह आप खुद मानते हैं कि कब्जा नाजायज है और मुझे यह अन्देशा है कि इस इल्लीगल पजेशन को रेगुलेराइज करने के लिये लेतलाली बरती जा रही है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हमेशा का प्रश्न नहीं है। यह ज्यों ही मेरे पास इस प्रश्न की सूचना आई त्यों ही मैंने इसके जवाब को एप्रूव करने से पहले यह ऑर्डर दे दिया कि इस पर कोई लागत न लगाई जाय, इसके ऊपर कोई एक्सटेंशन नहीं किया जाय जब तक कि इस मामले में कोई फाइनल ऑर्डर न दे दें। और मैंने सारी सूचना मंगा कर जवाब अर्ज किया है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यदि आपको एफीशियेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को मद्दे नजर रखना है तो आपको एक एग्जाम्पल बनानी चाहिए और इल्लीगल पजेशन को इल्लीगल करार करे तब एडमिनिस्ट्रेटिव एफीशियेन्सी बढ़ेगी!

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने नम्रतापूर्वक निवेदन किया कि कलेक्टर ने प्रस्ताव

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

यहां पर स्वीकृति के लिए भेजा और बाउ–म्मीद मंजूरी इसका कब्जा दे दिया। मैंने निवेदन किया था कि उनको कब्जा नहीं देना चाहिए था। इसलिए हमने सारे कन्स्ट्रक्शन को जब तक कि इस मामले में फाइ–नल ऑर्डर न हो जायं, तब तक के लिए रोक दिया है। यह कार्यवाही हमने की है और सारे मामले की नोइयत पर फैसला करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सरकार की जानकारी में हैं कि इस मामले को गवर्नमेंट को रेफर करने के पहले बरायमसिंह को कब्जा दे दिया गया था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : १५–११–६४ को यह फाइल हमारे यहां भेजी गई, लेकिन उनको एक्चूअली किस तारीख को पजेशन दिया इसकी डेट मेरे पास नहीं है। लेकिन यह कब्जा उनको जरूर दिया गया है–यह सूचना हमारे पास है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या यह सही है कि दफा ६१ लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के नीचे कोई भी इस तरह इल्लीगल पजेशन करे तो जो कुछ जमीन पर नाजायज कब्जा किया गया है तो उसकी पूरी प्रापर्टी को कन्फिस्केट किया जाय ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसमें दफा ६१ लैण्ड रेवेन्यू एक्ट का प्रश्न नहीं आता है। कलेक्टर ने जो कब्जा दिया है उसको सरकार स्वीकार नहीं करती है। कलेक्टर का प्रपोजल था उसके ऊपर हमने ऑर्डर दे दिये थे।

श्री भैरोंसिंह : क्या आपकी जानकारी के अनुसार कलेक्टर ने उसको लिखित रूप में आदेश देकर उस पर कब्जा कराया या जबानी आदेश देकर कब्जा कराया गया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह मैं नहीं कह सकता।

श्री भैरोंसिंह : फिर आप क्या कह सकते हैं ? अध्यक्ष महोदय, इनको इस मामले के सम्बन्ध में पूरी जानकारी नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : कलेक्टर ने ऑर्डर दिये हैं वह आपके हुक्म के पहले दिया है।

श्री भैरोंसिंह : फिर आपको क्या मालूम है ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैंने निवेदन किया कि कलेक्टर ने अपने सबोर्डिनेट को ऑर्डर दिया है ?

श्री भैरोंसिंह : और दिया है तो वैसा इस विधान में जवाब दें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह सूचना मेरे पास इस वक्त नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : इस वक्त नहीं है। इस क्वेश्चन को दिये एक महीना हो गया। आपको पूरी जानकारी करने के बाद में ऑर्डर करना चाहिए था उसको हटाने के बारे में। आप कहते हैं कि आपको पता नहीं है कि कब्जा कब हुआ, किस तारीख से हुआ। मैं समझता हूं यह आपकी अकर्मण्यता का नमूना है।

Page No.21

श्री मानिकचन्द सुराणा : जिस ऑफिसर को ऑर्डर पास करने का अधिकार नहीं है वह ऐसे आदेश दे दे तो ऐसे आदेश की कोई कीमत नहीं है, कानूनी नजर में कोई कीमत नहीं है और वह रद्दी की टोकरी में डाले जाने लायक है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह फैसला करना है कि उन्होंने हमारे यहां से प्रस्ताव स्वीकार न होने के पहले कब्जा किस तरह से दे दिया है-इस बात की छानबीन करनी है। अब इनमें क्या कार्यवाही करें, क्या एक्शन लें, यह प्रश्न है। जो फेक्चूअल पोजीशन है वह यह है कि १५-११-६४ को यहां पर प्रस्ताव भेजा और उधर कब्जा दे दिया, उसको मैं कानून के अनुसार उचित नहीं मानता हूं। उसमें जो कार्यवाही की जा सकती है वह हम करेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या आप उसको डिस्पजेज करेंगे? यह आप स्पष्ट तौर पर कह दें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह मामला मेरिट पर डिसाइड होगा। इस सदन में इस मुकदमे का मैं फैसला नहीं कर सकता।

श्री भैरोंसिंह : आप उसको डिस्पजेज करने की कार्यवाही करायें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं भविष्यवाणी करता हूं कि इस मामले में आप पजेशन को रेगुलेराइज करेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह एक चैलेंज है अपोजीशन के लीडर का। हम यह जानना चाहेंगे कि यह चैलेंज सही होता है या गलत।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह चीज नहीं हो सकती है कि आप पहले ही कोई सीमा बांध दें जिससे जो मुझे जायज एक्शन करना है उससे मैं हट जाऊं। यह सम्भव नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : हमें मालूम है कि नाजायज कब्जे के बारे में आप कोई एक्शन लेने वाले नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह मामला जैसा है और जो कानूनी कार्यवाही हो सकती है वही करूंगा। इस चीज से दब कर मैं कोई दूसरा एक्शन ले लूं, यह सम्भव नहीं है।

प्रश्न संख्या ८७१

श्री अध्यक्ष : श्री स्वरूपसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

स्थागित-प्रश्न

महिला मण्डल उदयपुर

(२२-३-६५ और ३०-३-६५)

४३७. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) महिला मण्डल, उदयपुर को सन् ५७ से अब तक शिक्षा विभाग से किस

Page No.22

(श्री भैरोंसिंह)

किस कार्य के लिये कितना कितना अनुदान प्राप्त हुआ है ?

(ख) इस अनुदान की उपयोगिता के प्रमाण-पत्र तथा हिसाब का वार्षिक लेखा-जोखा कब कब पेश हुआ है ?

(ग) इस संस्था के संचालक मण्डल के सदस्य कौन कौन हैं और उनको इस संस्था से कितना कितना रुपया मिलता है ?

उप मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) जिन जिन तारीखों को उपयोगिता का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ वह उपरोक्त सूची में अंकित है। हिसाब का वार्षिक लेखा-जोखा निम्नलिखित तिथियों को प्राप्त हुआ :

१६५७-५८ का १८-८-५८ को
१६५८-५६ का जुलाई ५६ को
१६५६-६० का ३०-३-६० को
१६६०-६१ का १२-७-६१ को
१६६१-६२ का २६-६-६२ को
१६६२-६३ का ३०-८-६३ को
१६६३-६४ का २८-८-६४ को।

(ग) इस संस्था के संचालक मण्डल के सदस्यों की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है इनमें से जिन जिन को संस्था की तरफ से जितना रुपया मिलता है वह भी उनके नाम के आगे अंकित है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार यह मानती है कि वह हो सकता है, यूटीलाईजेशन सर्टीफिकेट पेश होने के बाद ही नेक्स्ट ईअर की ग्रान्ट इन एड दी गई है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह इन तारीखों से पता चल सकता है कि युटीलाइजेशन सर्टीफिकेट के बाद ही ग्रान्ट इन ऐड दी गई है या क्या है।

श्री भैरोंसिंह : या क्या, क्या ? आप बताइये कि दी गई है या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यूटीलाइजेशन सर्टीफिकेट की तारीखें इसमें हैं।

श्री भैरोंसिंह : उससे मतलब नहीं है। मुझे मतलब इस बात से है कि जो ग्रान्ट इन ऐड दी है उस ग्रान्ट इन एड को देने के पूर्व पिछले वर्ष के यूटीलाइजेशन सर्टीफिकेट एक्चूअली आपको मिल गये थे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं यह तहकीकी नहीं कह सकता लेकिन बहुत कुछ युटीलाइजेशन सर्टीफिकेट प्राप्त होने के बाद ग्रान्ट इन ऐड दी गई है।

श्री भैरोंसिंह : क्या आपने इस महिला मण्डल की ऑडिट रिपोर्ट को देखा है :

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऑडिट रिपोर्ट को तो मुझे देखने का मौका नहीं मिला।

श्री भैरोंसिंह : क्या आपके विभाग द्वारा इन ऑडिट रिपोर्ट्स को देखा जाता है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : हां, विभाग द्वारा देखा जाना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : देखा जाना चाहिए—नहीं। क्या यह सही है कि ऑडिट रिपोर्ट में यह एतराज लिया गया है कि इस इन्स्टीट्यूशन को भारत सरकार से, यूनीवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन से और राजस्थान सरकार से एक ही काम के लिए तीन तीन ग्रान्ट्स मिली हैं और उनके युटीलाइजेशन सर्टीफिकेशन एक ही संस्था के द्वारा तीनों को पेश किये गये हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस तरह की शिकायत नहीं है, जैसा माननीय सदस्य ने कहा लेकिन इसमें कई शंकायें प्रदर्शित की गई हैं जिनका क्लेरीफिकेशन संस्था के द्वारा दिया गया है और क्लेरीफिकेशन के आधार पर इस प्रकार की बदनीयति होना प्रतीत नहीं होता।

श्री भैरोंसिंह : क्या इनके क्लेरीफिकेशन से सरकार को संतोष हो गया है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जो क्लेरीफिकेशन हुआ है वह तो अकाउन्ट्स डिपार्टमेंट के देखने का प्रश्न है लेकिन फिर भी सरकार को संतोष है।

श्री भैरोंसिंह : उस संस्था को मकान के सम्बन्ध में या बाकी के काम के सम्बन्ध में जो ग्रान्ट मिली है उसके यूटीलाइजेशन सर्टीफिकेट तीनों जगह उसी काम के लिए दिये गये हैं—क्या आपने इसका फिजिकल वेरीफिकेशन कराके जानकारी की है कि जो ऑडिट ग्राब्जेक्शन हुए हैं वह गलत तो नहीं हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : माननीय सदस्य ने जिस ढंग से बतलाया है वैसी स्थिति नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : कैसी है ? वह बतलाइयें।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : आपने कहा कि तीनों यूटीलाइजेशन सर्टीफिकेट तीनों प्रश्नों पर ले लिये गये हैं और उस आधार पर ग्रान्ट इन ऐड के प्रश्न को रखा गया है। ऐसी आपकी मान्यता है लेकिन तीन जगह के युटीलाइजेशन सर्टीफिकेशन का प्रश्न है और फिजिकल वेरीफिकेशन का प्रश्न है—उसके ऐसे तथ्य नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : किस प्रकार के तथ्य ! रकम का दुरुपयोग हुआ—यह तथ्य है या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : वैसा भी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : वैसा कैसे नहीं है। कौन सा तथ्य है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : धन के दुरुपयोग का तथ्य नहीं है। रिपोर्ट बहुत

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

बड़ी सारी है। लेकिन जितना याद पड़ रहा है और जो आप बता रहे हैं उससे उसको रिकूप करने की स्थिति में हूं। लेकिन कैसे कैसे तथ्य हैं, पूरी ग्रोडिट रिपोर्ट मुझे याद नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि संस्था के कान्स्टीट्यूशन के अनुसार कार्य समिति के मेम्बर वैतनिक सदस्य नहीं हो सकते ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : कान्स्टीट्यूशन में वह प्रोविजन आप बतला दें तो मैं भी राय देने का प्रयत्न करूं। बाकी कान्स्टीट्यूशन तो मैंने देखा नहीं। पदेन सदस्य बहुत से हैं, जिनमें से कई ऐसे हैं जो तनख्वाह नहीं लेते हैं और बहुत से ऐसे हैं जिनको ऑनरेरियम मिलता है। लेकिन कान्स्टीट्यूशन का प्रोवीजन तो नहीं मालूम। अब कान्स्टीट्यूशन रिप्लेस हुआ है या उसमें अमेंड हुआ है-इसकी जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में एतराज ऑडिट रिपोर्ट में उठाया गया है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने जो ऑडिट रिपोर्ट देखी है, अध्यक्ष महोदय, मैं इस एतराज को नहीं देख पाया।

श्री भैरोंसिंह : है या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जो मेरी जानकारी में है उसमें ऐसा आब्जेक्शन मेरे देखने में नहीं आया। फिर भी रह गया हो, यह कह नहीं सकता।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिनको वेतन मिलता है वह एक ही परिवार के सदस्य हैं ? जिन लोगों को वेतन मिलता है उनमें अधिकांश एक ही परिवार के सदस्य हैं ?

श्री चन्द्रसिंह वर्मा (बिलाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, ग्रापका गोलमाल जवाब है। यह दोनों बात कर रहे हैं-माननीय सदस्य और मंत्री जी...

श्री निरंजननाथ आचार्य : बैठ जाइये।

श्री चन्द्रसिंह वर्मा : जो सूची दी है उसका हमें मालूम नहीं कि किस मेम्बर को क्या कितना दिया गया है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : एक परिवार के सदस्य हों-ऐसी स्थिति नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि एक महिला कर्मचारी ने त्याग पत्र देकर अकाउन्ट्स में इर्रेगुलेरिटी और धन के दुरुपयोग के मामले में राज्य सरकार को लिखित रूप में प्रमाण सहित शिकायत की है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : बड़े विस्तृत प्रश्न हो रहे हैं जो इसमें पैदा नहीं होते। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो महिला का प्रश्न रखा...

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आपके ही बताये हुए हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने नहीं देखा। सारा मामला, आंकड़े और सारी बातें पूछने लगें तो मैं कहां से जबाब दूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या यह सही है कि आपने कभी इस शिक्षण संस्था का उपमंत्री बनने के बाद निरीक्षण भी नहीं किया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, यह संस्था अच्छी तरह से चल रही है इसलिये निरीक्षण का प्रश्न पैदा नहीं होता। जहां तक विश्वास का प्रश्न है, विश्वास है कि यह संस्था राजस्थान में अच्छी संस्थाओं में से है। सेवा भावी कार्यकर्त्ता हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस संस्था में इनको घुसने ही नहीं दिया गया।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऐसी बात नहीं है। यह बात माननीय सदस्य के लिये हो सकती है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या यह सही है कि मंत्री महोदय कार्यकारिणी के खिलाफ हैं और उन्होंने ही यह सारी सूचना माननीय सदस्य के पास ओन की है ?

श्री भैरोंसिंह : यह बिल्कुल गलत है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। आप पहिले मजाक करते हैं। हम ऐसी मजाक करेंगे तो आप धराशाही हो जावेंगे। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की मजाक आपको शोभा नहीं देती। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो शब्द माननीय सदस्य ने कहे है उनको एक्सपंज किये जावें।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, कल ही राज्यपाल महोदय ने कहा था....

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपने ऐसी बात विथआउट सेन्स की है।...

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

स्थगित प्रश्न

(५–३–६५)

पुरुषार्थी अध्यापकों के फिक्सेशन के मामले

७२३. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) - क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि जयपुर के पुरुषार्थी अध्यापकों के फिक्सेशन का पत्र निरीक्षक शिक्षणालय, जयपुर ने क्र० सं० आई. एस.। जे. पी. आर.। ई. एस. टी,। ई. बी.। ८७७१, दिनांक ४-९-६३ के अनुसार राज्य स्वीकृति हेतु भेजा गया ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि अध्यक्ष, शिक्षा विभाग बीकानेर के आदेश क्र० सं० ई. डी. बी.। ए. सी. सी. टी.। एच २। १९९९९ (५९)। २२०, दिनांक १-४-६० के अनुसार जयपुर के पुरुषार्थी अध्यापकों

Page No.26

(श्री भैरोंसिंह)

का फिक्सेशन करते समय योग्यता अनुसार अपग्रेडिंग नहीं की गई तथा उन अध्यापकों को प्रमोशन नहीं दिये गये जब कि उदयपुर आदि निरीक्षणालय ने अपने आदेश नं० ई० डी० । यू० आई० एच० ३ (बी) ६१५६, दिनांक २४-६-५६ के अनुसार अध्यापकों को १-३-५६ से योग्यतानुसार प्रोमोशन दिया ?

(३) यदि उपयुक्त आदेशों के अनुसार जयपुर के निरीक्षक शिक्षणालय ने पुरुषार्थी अध्यापकों को प्रोमोशन नहीं दिया है तो उसका कारण क्या है ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी नहीं पुरुषार्थी अध्यापकों के फिक्सेशन से सम्बन्धित कोई पत्र नहीं भेजा गया।

(२) प्रश्न स्पष्ट नहीं। माननीय सदस्य से भी इसकी जानकारी की गई मगर पता नहीं लगा । पत्र सं० ई० डी० बी० ए० सी० सी० टी०टी०एच० (२) १६६६६:५६: २२० अतिरिक्त शिक्षा संचालक के कार्यालय से फिक्सेशन के बारे में दिनांक २०-३-५६ को भेजा गया था। दिनांक १-४-६० को नहीं। इन अध्यापकों का फिक्सेशन नियमानुसार कर दिया गया। माननीय सदस्य महोदय का तात्पर्य प्रमोशन से है तो केवल तीन पुरुषार्थी अध्यापकों को उच्च वेतन श्रृंखला में प्रमोशन देने का प्रश्न अन्य ऐसे ही अध्यापकों के साथ सरकार के विचाराधीन है।

(३) इसका उत्तर उपरोक्त प्रश्न भाग २ में निहित है।

• श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। ७३० पी.।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): मेरा भी प्रश्न है।

एक माननीय सदस्य : आपका ७३५ है। यह ७३० पी० है।

स्थगित प्रश्न

(५-३-६५)

तहसील प्रतापगढ़ ग्राम घोटारसी का तालाब

७३०. श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जिला चित्तौड़गढ़ तहसील प्रतापगढ़ ग्राम घोटारसी के तालाब को सिंचाई विभाग ने ठीक करवा कर ग्राम पंचायत घोटारसी को सुपुर्द किया था ? यदि हां, तो कब और इसमें कितनी धनराशि खर्च हुई थी ?

(२) क्या यह सत्य है कि इस तालाब की पाल तोड़ डाली गई है और पानी निकाल कर इसमें खेती की जा रही है ? यदि हां, तो वह पाल किसने तुड़वाई और खेती किसने कर रखी है ?

(३) क्या यह सत्य है कि उक्त तालाब पाल तोड़ने वाले व्यक्ति के खाते में था ?

(श्री हरलाल मीणा)

यदि हां, तो कब से और सिचाई विभाग ने किस आधार पर उक्त तालाब को ठीक करवा कर पंचायत को सुपुर्द किया ?

पंचायत मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (१) जी हां। सन् १९५५ में मरम्मत करवा कर सन् १९६१ में सुपुर्द किया गया। धन राशि की जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी।

(२) जी हां। अरनोद के जागीरदार खेती कर रहे हैं।

(३) जी हां। सिचाई विभाग ने जागीर रिज़म्पशन की कार्यवाही में तालाब सरकारी समझ कर मरम्मत करवाई व ५० एकड़ से कम पिलाई का तालाब होने से पंचायत को सौंप दिया।

श्री हरलाल मीणा : जिस समय तालाब ठीक करवाया उस समय किसके कब्जे में था? इस तालाब की गवर्नमेंट ने मरम्मत कराई है तो यह गवर्नमेंट के कब्जे में होना चाहिये। मगर अब यह किसके कब्जे में है ?

श्री भीखाभाई : जागीरदार ने अपना कब्जा कर लिया है।

श्री हरलाल मीणा : उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही कर रही है।

श्री भीखाभाई : यह बताया गया है कि यह तालाब उनके सेटलमेंट में दर्ज उनके नाम है। यह नहीं कहा जा सकता कि यह पहले से ही उनके नाम पर सेटलमेंट में दर्ज था या बाद में दर्ज कराया इसकी जांच कराई जा रही है।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (सहाणा सु.) : सरकार ने तालाब की मरम्मत कराई। जिस तालाब की सरकार ने मरम्मत करवाई और वह तालाब जागीरदार ने अपने कब्जे में कर लिया है तो क्या सरकार वह जो खर्चा लगा है वह उससे वसूल किया जाना चाहिये, करेगी या इसे एक्वायर करेगी।

श्री भीखाभाई : यह तालाब १९५४ में मरम्मत करवा कर सन् १९६१ में जब दूसरे तालाब पंचायतों को सुपुर्द किये गये उस समय यह तालाब उनको सुपुर्द कर दिया गया। मेरी जानकारी यह है कि सिंचाई विभाग ने मेंटीनेन्स के नाम से इस तालाब की मरम्मत कराई। यह बात बताई कि जागीरदार के नाम पर दर्ज है। इसको एक्वायर करने की या उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की जावेगी यह जांच करके ही कहा जा सकता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : आपको इसके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये थी।

श्री भीखाभाई : पंचायत विभाग की तरफ से इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। सिंचाई विभाग ने इसकी मरम्मत करवाई। और जो कुछ जानकारी मुझे मिली मैंने उत्तर दिया है और समझता हूं कि यह काफी है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : (आसपुर) : क्या आप इस सम्बन्ध में और कार्यवाही नहीं करेंगे कि उनका कब्जा जायज है या नाजायज। बन्दोबस्त में अगर किसी ने जमीन तो दर्ज करा ली है तो

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

आपका यह फर्ज है कि वह अनुचित है या उचित। आप कहते हैं कि जो जवाब दिया गया है वह पर्याप्त है। मैं यह कहूंगा कि यह बिल्कुल अपर्याप्त है। मंत्री महोदय को चाहिये कि इस सम्बन्ध में छानबीन करके अनुचित और औचित्य के सम्बन्ध में निर्णय करें।

श्री भीखाभाई : जो विरोधी दल के नेता ने कहा है कि जांच कराई जावे, यह हमारा कर्त्तव्य है लेकिन जहां तक पंचायत विभाग का प्रश्न है मैं कहना चाहता हूं कि पंचायत और जागीरदार के बीच में झगड़ा है। इसको रेवेन्यू विभाग में लिखा जावे कि यह सेटलमेंट में जागीरदार के नाम दर्ज बाद में कर लिया या पहले से ही जागीरदार के नाम थी। पंचायतों को हम हमारी तरफ से डाइरेक्टिव दे सकते हैं। कितना विभाग कर सकता है उसके बारे में क्या किया जा सकता है....

श्री दलपतसिंह (आबू) : जब जागीरदार के नाम पर वह सेटलमेंट में दर्ज है तो फिर आप उसको कैसे एक्वायर करेंगे।

श्री भीखाभाई : पब्लिक पर्पज के लिए एक्वायर कर सकते हैं।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा (बिलाड़ा) : क्या तालाब के पेटे में किसी ने कोई कब्जा कर लिया है तो क्या आप उसको जायज समझते हैं ?

श्री भीखाभाई : मैंने कहा कि इस बात की जानकारी करेंगे कि जो उनके खाते में दर्ज है वह पहले से दर्ज था या बाद में दर्ज कराया गया है। हम इसके लिए कलेक्टर को लिख रहे हैं।

श्री हरलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह साफ है कि जागीरदार ने इस पर कब्जा कर लिया है और दो वर्षों से खेती कर रहा है।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा : यह बिल्कुल साफ कि इस तालाब पर सिंचाई विभाग ने ४० ५० हजार रुपये लगाये हैं और इस समय जो जागीरदार का कब्जा है वह हटाया जाना चाहिये। और जो तालाब बनाया गया वह जनता को मिलना चाहिये। इसका उत्तर दिया जावे कि इसकी क्या स्थिति हो रही है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इसमें बड़ा गड़बड़ घोटाला है।

श्री भीखाभाई : पंचायतों या पंचायत समिति का होगा।

(१२.०० मध्याह्न)

स्थगित प्रश्न

(५-४-६५)

श्री अध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया !

राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड

७३५. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(श्री जयनारायण सालोदिया)

(१) राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड राज्य में क्या क्या कार्य करता है और उस पर कितना सालाना खर्चा होता है ? क्या हिसाब का सालाना ऑडिट होता है ? यदि हां, तो गत दो सालों की ऑडिट रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड के खर्च के लिए कहां कहां से कितना रुपया आता है ? गत दो वर्ष के आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या इसके संचालक मंडल का चुनाव होता है ? यदि हां, तो कब व कैसे ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड राज्य में महिलाओं एवं बालकों के कल्याणकारी प्रवृत्तियों को संचालित करता है। इस बोर्ड का वर्ष १९६२-६३ का खर्चा ६,९७,६७९ रुपये तथा वर्ष १९६३-६४ का खर्चा ११,१३,८०१ रुपये हैं। इसके हिसाब का ऑडिट केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के साथ हुई विशेष व्यवस्था के फलस्वरूप भारत सरकार के कन्ट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल के निर्देशानुसार राजस्थान के महालेखापाल द्वारा किया जाता है। बोर्ड के हिसाब की ऑडिट स्टेटमेंट की प्रति सदन की मेज पर रखने का प्रश्न नहीं उठता।

(२) राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड के खर्च के लिए अनुदान केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, राजस्थान के समाज कल्याण विभाग व विकास विभाग से प्राप्त होता है।

सन् १९६२–६३ व १९६३–६४ के गत दो वर्ष के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :

अनुदान प्राप्त

वर्ष	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड	विकास विभाग राजस्थान	समाज कल्याण विभाग राजस्थान
६२–६३	६,४८,६१३.३२	८५,१६७.७९	१,५०,०००
६३–६४	५,७५,०४५.३७	१,६६,०६३.२३	१,७५,०००

(३) जी नहीं। राज्य सरकार और केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के विचार-विमर्श द्वारा ही बोर्ड के संचालक मण्डल का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

(४) राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ १ : जी : सक। ६२ दिनांक ५–४–१९६३ के अनुसार इस बोर्ड के संचालक मण्डल के सदस्यों की नामवार सूची 'ग' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री जयनारायण सालोदिया : आपने ऑडिट रिपोर्ट के लिए कहा कि सदन की मेज पर रखना आवश्यक नहीं है, इसका क्या मतलब है ?

श्री भीखाभाई : क्योंकि सेन्ट्रल ऑडिट बोर्ड से ही इसके ऑडिट की व्यवस्था होती है, बजट मंजूर करने वाला भी सेन्ट्रल बोर्ड है । इसकी ऑडिट रिपोर्ट है उसमें भी लेखा जोखा सेन्ट्रल बोर्ड का आ गया है । पृष्ठ १३० चेप्टर ६ में इसका ब्योरा है ।

श्री जयनारायण सालोदिया : ऑडिट रिपोर्ट की प्रति आपने दी नहीं, वह मैंने मांगी है ।

श्री भीखाभाई : इसकी आवश्यकता इसलिए नहीं है कि सेन्ट्रल बोर्ड ही बजट मंजूर करता है, अकाउन्टेन्ट जनरल उसको ऑडिट करता है । मुझे मालूम नहीं है, मुमकिन है पार्लियामेंट के सामने यह पेश होता है । यह बोर्ड स्टेचुटरी या रजिस्टर्ड बोर्ड नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं ?

श्री भीखाभाई : यह तो आपको मालूम है । आपको मालूम है, सभी जानते हैं, फिर आप क्यों पूछते हैं । इन्दु बहिन सुखाड़िया है ।

श्री भैरोंसिंह : आप नाराज क्यों हो गये ?

श्री भीखाभाई : नहीं, नाराज नहीं ।

श्री जयनारायण सालोदिया : आप इसे पब्लिक बोडी मानते हैं या नहीं ? पब्लिक बोडी की रिपोर्ट देने में क्या वैधानिक आपत्ति हो सकती है ।

श्री भीखाभाई : पब्लिक बोडी है, राजस्थान का स्टेट बोर्ड नहीं है, सेन्ट्रल बोर्ड के तहत सारे राजस्थान में स्टेट बोर्ड बने हुए हैं । इसका ऑडिट केन्द्र से अकाउन्टेन्ट जनरल द्वारा किया जाता है माननीय सदस्य को विश्वास नहीं हो तो वह पत्र पढ़ कर सुना सकता हूं उससे विश्वास हो जायगा । जहां तक पब्लिक बोडी का सवाल है, इस बोडी का फंक्शनिंग कैसे हुआ, यह कहने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री जयनारायण सालोदिया : ६ लाख रुपया राज्य सरकार ने भी अनुदान दिया है । यह कैसी अजीब बात है कि अनुदान दे और हिसाब नहीं ले ।

श्री भीखाभाई : ६५ की जो ऑडिट रिपोर्ट है, उसमें हिसाब छपा हुआ है,

एक सर्कूलर है :

"Pending decision of that question, you are requested to continue the arrangement already made for the audit of the accounts unless the A.G. agrees to take up the work..."

यह स्पष्ट बताता है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, इसमें आपकी ओर से व्यवस्था होनी चाहिये । इस बोर्ड को हमारी

Page No.31

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सरकार भी पैसा देती है, केन्द्रीय सरकार भी पैसा देती है। तो उस पैसे का दुरुपयोग तो नहीं हुआ है, इसे देखने का इस सदन को अधिकार हो और इसलिये ऑडिट रिपोर्ट चाहे किसी के द्वारा ऑडिट किया जाता हो, सदन में मांग की है तो उस रिपोर्ट को तो देना चाहिये। मन्त्री महोदय का यह कहना कि अनावश्यक है, यह अनुचित है।

श्री भीखाभाई : स्टेचुटरी प्रोविजन होता है, उसमें रखना पड़ता है। पार्लियामेंट में भी समाज कल्याण बोर्ड के हिसाब को रखा जाता है या नहीं रखा जाता, यह मुझे मालुम नहीं है। मेजर कन्ट्रीब्यूटर सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल बोर्ड से ही अधिकांश रुपया मिलता है, बजट की एप्रूवल यहां होती है, राजस्थान सरकार तो एडहोक बेसिस पर करती है। यह मामला सरकार के विचाराधीन है। जहां तक ६५ की रिपोर्ट का सवाल है, पेज १३० पर पूरा का पूरा जिक्र है।

श्री जयनारायण सालोदिया : इस संस्था को और कहां से सहायता मिलती है।

श्री भीखाभाई : मेरी जानकारी में तो इन तीन जगहों से ही सहायता मिलती है, आपको मालूम हो तो बतायें।

श्री भैरोंसिंह : क्या मंत्री महोदय बता सकते हैं कि इस बोर्ड की कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट निकलती है ?

श्री भीखाभाई : मंथली मेगजीन निकलती है।

श्री भैरोंसिंह : मैं जो पूछूं उसका जवाब दें। प्रति रिपोर्ट तैयार होती है या नहीं ?

श्री भीखाभाई : यह जानकारी तो है नहीं। मासिक रिपोर्ट पत्रिका बराबर निकलती है, पूरी गतिविधियां बोर्ड की उसमें होती हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि समाज कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत समाज कल्याण केन्द्र लगभग सभी बन्द हो गये हैं ?

श्री भीखाभाई : इसकी मुझे जानकारी नहीं है। कुछ बन्द हुए होंगे आप कोई दूसरा क्विश्चन पूछें I would require notice

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : मंत्री महोदय को प्रोग्रेस रिपोर्ट की जानकारी नहीं, ऑडिट रिपोर्ट पेश नहीं करना चाहते, जिसको आधार बताते हैं, जो हमारा एग्रीमेंट है सेंटर से उसमें कोई भी शब्द ऐसा नहीं है कि ऑडिट रिपोर्ट पेश नहीं कर सकते। तो यह व्यवस्था का प्रश्न है। राज्य सरकार का पैसा, और सेंटर का पैसा इस बोर्ड में लगता है तो उस बोर्ड की गतिविधियों की जानकारी सरकार को विधान सभा के सदस्यों को मंत्री महोदय जानकारी नहीं देना चाहते, इस पर अध्यक्ष महोदय, आसन की ओर से व्यवस्था होनी चाहिये, वरना दूसरे विभागों के लिये भी यही दलील रख सकते हैं, अगर सरकार की यही पद्धति रही तो दूसरे महकमों के बारे में भी हम कुछ नहीं मांग सकेंगे।

Page No.32

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, यहां पर अभी एक प्रश्न उठाया गया, माननीय सदस्य जो जयपुर से आते हैं उनके द्वारा कि सारे के सारे एक्स्टेन्शन प्रोजेक्ट्स बन्द हो गये हैं, उस पर मैंने कहा था कि अभी मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है। उनकी बात को मैंने स्वीकार नहीं किया। मुझे इस समय यह पूरी तौर पर जानकारी नहीं है कि १६ प्रोजेक्ट्स में से कितने चल रहे हैं। लेकिन मैं उनकी जानकारी के लिये इतना तो बता ही सकता हूं कि जोधपुर, अलवर अजमेर के प्रोजेक्ट्स के अन्तर्गत सेन्टर बराबर चल रहे हैं। जहां तक माननीय सदस्य ने कहा कि राज्य सरकार का और सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का ऑडिट के सम्बन्ध में कोई एग्रीमेन्ट है। मैं उनकी जानकारी के लिये निवेदन करूंगा कि यह सेन्ट्रल बोर्ड की तरफ से निकला था। फीस वगैरह न देनी पड़ेगी उसके लिये विशेष व्यवस्था की थी।

"Pending a decision on that question, you are requested to continue the arrangement, already made for the audit of the accounts, unless the A. G. agrees to take the work without any fees."

तो मैंने यह निवेदन किया था कि सेन्ट्रल बोर्ड के अनुसार ही यह ऑडिट हो रहा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इससे क्या रिलेवेन्सी है ? यह पत्र तो यह कहता है कि ऑडिट कौन एजेन्सी करेगी ? ऑडिट रिपोर्ट को यहां रखी जानी चाहिये। खैर, आपने बताया उसका कुछ हिस्सा इसमें आ गया है।

श्री जयनारायण सालोदिया : दो साल में २१ लाख रुपया खर्च किया है और जब कि आमदनी १६ लाख ही है। दो लाख कहां से अधिक खर्च किया ?

श्री भीखाभाई : क्या कह रहे हैं। मैं समझा नहीं।

श्री भैरोंसिंह : दूसरों की बात को नहीं समझते। और उनकी बात हम नहीं समझते।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपने खर्चा २१ लाख का बताया दो साल का। और आमदनी १६ लाख है।

श्री भीखाभाई : सेन्ट्रल बोर्ड का बताया ६,४८,६१३ और सेन्ट्रल बोर्ड का ५,७५,२४३) इसके अलावा विकास विभाग से मिला है। समाज कल्याण विभाग से मिला है, १॥ लाख रुपया उसको भी जोड़ दीजिये। ६४—६५ का शामिल नहीं है और उससे पहले का भी शामिल नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह सब जोड़ लिये हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि अकाउन्टेन्ट जनरल भारत सरकार द्वारा दिये गये संस्था के अनुदान का ऑडिट नहीं करता है ?

श्री भीखाभाई : यह विशेष व्यवस्था है और सेन्ट्रल बोर्ड की व्यवस्था के अनुसार हो रहा है।

Page No.33

श्री जयनारायण सालोदिया : मैंने अच्छी तरह से इसको जोड़ा है। मंत्री महोदय ने लिस्ट दी है। जोड़ने पर दो लाख का डिफरेन्स रहता है। खर्चा किया २१ लाख और कुल आमदनी १९ लाख। मैंने पहले ही इसीलिए यह प्रश्न पूछा था कि कहीं दूसरी जगह से तो आवेदन मिला है या नहीं, तो आपने जवाब दिया कि नहीं।

श्री भीखाभाई : जोड़ने का ही काम है, तोड़ने का नहीं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

तहसील रामगंज मंडी में भूमि का आवंटन

८४५. श्री जुझारसिंह (चेचट) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जिला कोटा की तहसील रामगंज मण्डी में भूमि खंडों का आवंटन तथा उनका नियमन निषिद्ध किया हुआ है जबकि यह तहसील परियोजना क्षेत्र से बाहर है ?

(२) क्या यह भी सही है कि इस तहसील के किसी भी गांव में ५ एकड़ से अधिक के क्षेत्र वाले भूमि खण्ड राणा प्रताप सागर से विस्थापित किये गये व्यक्तियों को बसाने के लिये आरक्षित किये गये हैं तथा ये भूमि खण्ड स्थानीय व्यक्तियों को आवंटित नहीं किये जाते हैं ?

(३) तहसील रामगंज मंडी में कितने गांव हैं तथा उनमें से कितने राणा प्रताप सागर के विस्थापितों को बसाने के लिये निश्चित किये गये हैं ?

(४) उन गांवों में जो उक्त प्रयोजनार्थ निश्चित नहीं है, आवंटन क्यों रोक दिया गया है तथा इस आदेश का स्थानीय जनता पर क्या प्रभाव हुआ है ?

उत्तर

(१) तहसील रामगंज मंडी में भूमि खन्डों का आवंटन तथा उनका नियमन निषेध किया हुआ नहीं है। अलबता ५ एकड़ अर्थात् १२॥ बीघे से ऊपर के भू-खण्ड राणा प्रताप सागर के विस्थापितों को बसाने के लिये सुरक्षित किये हुए हैं।

(२) जी हां।

(३) तहसील रामगंज मंडी में १६८ ग्राम हैं एवं सारी तहसील में भूमि आवंटन बंद है और विस्थापितों के लिये सुरक्षित है।

(४) आवंटन बन्द करने का एकमात्र उद्देश्य विस्थापितों को बसाना है। इस आदेश से स्थानीय जनता को कुछ आपत्ति होना स्वाभाविक है।

बड़ी सादड़ी में कन्या माध्यमिक शाला

८४६. श्री शंकरलाल (सादड़ी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि बड़ी सादड़ी में कोई कन्या माध्यमिक शाला नहीं है ?

(श्री शंकरलाल)

(२) यदि हां, तो अब सरकार कब तक कन्या माध्यमिक शाला खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) अगले वर्ष प्राइमरी से मिडिल स्कूल में परिवर्तन करने का प्रावधान नहीं है।

पंचायतों के मेम्बर

८४७. श्री अमरसिंह सावरदा (दूदू): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या एम० एल० ए० पंचायत समिति का एसोसियेटेड मेम्बर होता है ?

(२) अगर हां, तो जोबनेर पंचायत समिति के लिए कौन २ से क्षेत्र के एम० एल० एज मेम्बर होने चाहिए ?

(३) इनमें से किन किन को आज तक पंचायत समिति की बैठकों में नहीं बुलवाया गया है ?

उत्तर

(१) जी हां। पदेन सदस्य होता है।

(२) फुलेरा व दूदू निर्वाचन क्षेत्र के विधान सभा सदस्य।

(३) दोनों निर्वाचन क्षेत्र के विधान सभा के माननीय सदस्यों को बैठकों में बुलाया जा रहा है।

वैद्यों की वरिष्ठता सूची तथा पदोन्नति के आधार

८४६. श्री जयकृष्ण शर्मा (थानागाजी) क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या आयुर्वेद विभाग द्वारा वैद्यों की वरिष्ठता सूची तैयार करली गई है ? यदि हां, तो उसे सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। यदि तैयार नहीं की गई है, तो क्यों ?

(२) क्या वरिष्ठता सूची के आधार पर ही विभाग में पदोन्नति की जाती है ?

(३) क्या विभाग में 'ए' क्लॉस के वैद्यों के स्थान रिक्त हैं ? यदि हां, तो उन्हें क्यों नहीं भरा जा रहा है ?

(४) 'ए' क्लॉस के वैद्यों के पदों पर नियुक्ति के लिए नवीनतम साक्षात्कार कब किये गये थे और साक्षात्कार के आधार पर कोई निर्णय लिया गया है या नहीं ?

(४) क्या वरिष्ठता के आधार के अलावा भी कोई नियुक्तियां 'ए' क्लॉस के पदों पर की गई हैं ? यदि हां, तो उसके क्या विशेष कारण हैं ?

उत्तर

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

Page No.35

गिरवा क्षेत्र में भूमिहीन किसानों को भूमि का एलॉटमेंट

८५०. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) गत पांच वर्षों में गिरवा क्षेत्र में कुल कितनी जमीन भूमिहीन किसानों को एलॉट की गई है ?

(२) कितने भूमिहीन किसानों की दरख्वास्तें कब से विचाराधीन हैं ?

(३) क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों को भूमि एलॉट की गई है वे अधिकांश में भूमिहीन हैं ?

उत्तर

(१) गत पांच वर्षों में तहसील गिरवा क्षेत्र में १७०६ बीघा भूमि अलॉट की गई है।

(२) इस वक्त तहसील गिरवा में ७२ प्रार्थना-पत्र विचाराधीन दिनांक १२-४-६४ से है।

इनमें भूमि एलॉटमेंट की कार्यवाही जारी है।

(३) जी हां।

अनधिकृत रूप से काबिज काश्तकारों के मामले

८५१. श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या तहसील बसवा में सरकार द्वारा दिसम्बर, १९६२ में जारी किये गये आदेश के अन्तर्गत जमीन पर अनधिकृत रूप से काबिज काश्तकारों के मामलों को नियमित करने की कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो कितने गांवों व पंचायतों में नियमित करने का कार्य हुआ है और कितनों में नहीं हुआ है ?

(२) जहां नियमित करने का कार्य नहीं हुआ है वहां कब तक करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(१) जी नहीं। दिसम्बर सन् १९६२ में सरकार द्वारा कोई आदेश नहीं दिये गये। किन्तु यह आदेश एफ.३ (६६) राज। ख। ग्रुप २-६२ दिनांक १ सितम्बर, १९६२ को जारी हुये थे जिनके अनुसार नियमानुकूल कार्यवाही की गई। ४१ पंचायतों के १०५ ग्रामों में नियम का कार्य किया जा चुका है। ३ पंचायतों के १४ ग्रामों में कार्य अभी तक शेष है, २१ ग्राम ऐसे हैं जिनमें ऐसा कोई मामला नहीं है। यह कार्य भूमि परामर्श दात्री समिति की सलाह से किया जाता है। कार्य प्रगति पर है और बराबर किया जा रहा है।

(२) यह कार्य करीब ६ माह में समाप्त कर दिया जावेगा।

गुमानपुरा माध्यमिक शाला की नई इमारत और छात्रों का दाखिला

८५२. श्री भैंवरलाल 'काला बादल' (अकलेरा-सु०) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No.36

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

(१) गुमानपुरा माध्यमिक शाला की नई इमारत बन जाने पर भी मिडिल क्लास के छात्रों को इस इमारत से ता० ३-३-६४ के बाद क्यों निकाल दिया गया और इस इमारत से निकाले गये छात्र किस माध्यमिक शाला में दाखिल किये गये और अब किस तारीख से इस नई इमारत में पुनः दाखिल किया जाने का इरादा है ?

(२) क्या यह सही है कि दिनांक ३ मार्च, १९६४ को प्रश्न सं० १२६ के उत्तर में यह बताया गया था कि इस स्कूल में स्थान एक मिडिल स्कूल के लिए पर्याप्त है ?

उत्तर

(१) इस भवन में २ प्राइमरी स्कूल व एक कन्या माध्यमिक स्कूल अलग २ शिफ्टों में चलते हैं। छात्रों को निकालने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि प्राइमरी कक्षा पास करने के बाद छात्र छात्राओं के साथ नहीं पढ़ सकते; अतः उनको अन्य मिडिल स्कूलों में प्रवेश लेना चाहिये।

(२) इसमें कन्या मिडिल स्कूल चल रही है।

पशुओं के खाद्य पदार्थ पर बिक्री कर

८५३. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या मुर्गीदाना पर किसी प्रकार का बिक्री कर लागू है ? यदि है, तो किस पोइन्ट पर है और कितना है ?

(२) क्या यह सही है कि जिन वस्तुओं का मुर्गीदाना में समावेश होता है उन पर या तो बिक्री कर है नहीं या फर्स्ट पोइन्ट पर है ?

(३) क्या यह सही है कि अन्य पशुओं के खाद्य पदार्थों पर कोई बिक्री कर नहीं है ? अगर है, तो किस पर है और कितना ?

(४) क्या सरकार मुर्गीदाने पर से बिक्री कर हटाने पर विचार करेगी ?

उत्तर

(१) जी हां साधारणतया वस्तुओं पर बिक्री कर ६ प्रतिशत लगता है और प्रथम बिन्दु पर देय है।

(२) मुर्गीदाना विभिन्न किस्म का हो सकता है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि जिन वस्तुओं का मुर्गीदाने में समावेश होता है उन पर बिक्री कर है ही नहीं या किस दर पर है और है तो First Point पर ही है।

(३) पशुओं के खाद्य पदार्थों (Cattle Feeds) पर सिवाय ग्वार व बिनौले के कोई बिक्री कर नहीं है। ग्वार तथा बिनौले पर २ प्रतिशत बिक्री कर है।

(४) यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

Page No.37

हायर सेकेन्डरी स्कूलों में परिवर्तित की जाने वाली स्कूलें

८५५. श्री स्वरूपसिंह (लूनी) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

लूणी पंचायत समिति की कौनसी मिडिल स्कूलें हायर सेकेन्डरी में अगले सत्र में परिवर्तित की जाने वाली हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

सन् ६५-६६ में किसी भी शाला का सेकेन्ड्री या हायर सेकेन्ड्री शाखा में परिवर्तित करने का प्रावधान नहीं है।

आबादी की जमीन के लिए प्रार्थना-पत्र

८५६. वैद्य श्री गोविन्द सहाय (गंगापुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि तहसील सवाई माधोपुर में ग्राम ऐचेंर बनास नदी के किनारे नालों में बसा हुआ है ? तथा वहां पर बरसात में पानी भरने से ग्राम वालों के तथा मवेशियों को परेशानी रहती है ?

(२) क्या यह सही है कि ग्राम वालों ने ४ वर्ष से कई बार कलेक्टर सवाई माधोपुर के पास नालों में से ऊपर आबाद होने के लिये प्रार्थना-पत्र पेश किये हैं ? यदि हां, तो उनको इतने दिनों बाद तक आबादी के लिये जमीन न देने का क्या कारण है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां। परन्तु जिस भूमि पर वह आबादी बसाना चाहते हैं उस बारे में तहसील में विवाद चल रहा है जिसका निर्णय होने पर आगामी कार्यवाही हो सकेगी।

ग्राम पड़ासील में स्कूल

८५७. श्री जयलाल (डग) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि ग्राम पड़ासील, तहसील गंगधार में कोई स्कूल नहीं है ?

(२) उस गांव की कितनी आबादी है और कितने विद्यार्थी वहां से दूसरी जगह पढ़ने जाते हैं ?

(३) क्या सरकार वहां पर स्कूल खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो वह कब तक खोल दिया जावेगा ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) गांव की आबादी २०३ है। केवल १० विद्यार्थी करीब १ मील की दूरी पर पड़ौसी स्कूल में जाते हैं।

(३) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

Page No.38

चरागाह भूमि का बेचान

८५८. श्री लक्ष्मीचन्द (पीपल्दा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि कोटा जिले की तहसील पीपल्दा में ग्राम दौलतपुरा की चरागाह की भूमि कोलोनाइजेशन विभाग द्वारा बेच दी गई है ?

(२) क्या यह सच है कि इस ग्राम की जनता के मवेशियों के चरने के लिये चरागाह कतई नहीं रही है ?

(३) क्या यह सच है कि यह चरागाह पहले से ही सरकार के रेकार्ड में दर्ज है और यह चरागाह अन-कमान्ड एरिया है ?

(४) क्या यहां की जनता ने इस संबंध में कलेक्टर कोटा में भी याचिका पेश कर रक्खी है, लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है ?

(५) क्या सरकार इस चरागाह को तुरन्त उन लोगों से पड़त करवायेगी ?

उत्तर

(१) जी हां,

(२) चरागाह इस समय केवल ८३ बीघा ८ विस्वा शेष है।

(३) यह सच है कि चरागाह पहले से ही सरकार के रिकार्ड में दर्ज है मगर कमान्ड है अनकमान्ड नहीं है।

(४) हां, यह सच है कि इस सम्बन्ध में जनता ने याचिका पेश की थी मगर यह नीलाम नियमपूर्वक होने के कारण याचिका पत्र खारिज कर दिया गया तथा नीलाम स्वीकार कर दिया गया।

(५) नीलाम नियमपूर्वक होने के कारण स्वीकार किया जा चुका है, ऐसी सूरत में भूमि पड़त करवाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

पंचायतों को सौंपे गये तालाबों की आय

८६०. श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौड़गढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) तहसील चित्तौडगढ़ व गंगरार के अन्तर्गत कितनी पंचायतों को ५० एकड़ से नीचे के तालाब सौंपे गये हैं और कितने तालाब सौंपा जाना बाकी है ?

(२) क्या ऐसे भी कोई तालाब हैं जो ५० एकड़ से नीचे होते हुए भी कारण विशेष से पंचायतों को नहीं दिये गये ? अगर हैं, तो कितने और क्या कारण हैं ?

(३) तहसील को इन सौंपे हुए तालाबों से औसतन क्या आय थी ? और पंचायतों को सौंपे जाने के पश्चात् इनकी वार्षिक आय में कितनी वृद्धि हुई और यदि नहीं हुई, तो क्यों ?

उत्तर

(१) तहसील चित्तौडगढ़ की ४ पंचायतों को ४ तालाब ५० एकड़ से कम सिंचाई

(श्री राजस्व मंत्री)

के सुपुर्द किये गये हैं अब कोई तालाब देना बाकी नहीं है। तहसील गंगरार में ऐसे ७ तालाब ५ पंचायतों को सौंपे गये हैं तथा ५ तालाब ४ पंचायतों को सौंपा जाना बाकी है।

(२) जी हां।

१. तहसील गंगरार में ५ तालाब देना बाकी है।

२. तहसील चित्तौड़गढ़ में २ तालाब ऐसे हैं जिनसे पिलाई नहीं होती, पर फिर भी उन्हें पंचायतों को सुपुर्द करने के आदेश दे दिये गये हैं।

(३) तहसील चित्तौड़गढ़ में दो तालावों की संवत् २००६ से २०१४ तक की औसत आय क्रमशः १६० रुपये १० आने व ३० रुपये १ आना है। इनकी आमदनी अब औसतन क्रमशः ४० रुपये व १०० रुपये हैं।

शेष दो तालावों से तहसील में कोई आमदनी नहीं होती थी, परन्तु अब उनमें से एक तालाब से पिलाई शुरू करदी गई है। इसका कारण पिलाई के रकबे में कमी बेशी होना है।

लागन पर ब्याज की वसूली

८६४. श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है बांसवाड़ा जिले की तहसीलों में इस वर्ष लगान पर ब्याज भी वसूल किया गया है ? यदि हां, तो किस हिसाब से और क्यों ?

उत्तर

जी हां।

६। प्रतिशत की दर से ब्याज वसूल किया जाता है।

यह ब्याज राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा १५२ के अनुसार और राज्य सरकार द्वारा निश्चित वसूली दिनांक १ फरवरी प्रतिवर्ष खरीफ और १ जुलाई प्रतिवर्ष रवी विज्ञप्ति संख्या, एफ. ६(४३)राज ।ख। ५६ दिनांक २६-११-५६ के तहत किया जाता है।

ग्राम मावली के पास देवस्थान की भूमि के किराये की वसूली

८६६. श्री सम्पतलाल वोहरा (मावली) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) मावली ग्राम के पास देवस्थान की कुछ जमीन, जिसे हवाला कहते हैं, इस समय किसके पास है और उसे किस शर्त पर दे रखी है ?

(२) क्या यह सच है कि उससे कोई किराया (रेंट) या लगान वसूल नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो कब से नहीं हो रहा है ? इस रकम को वसूल कराने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

(श्री देवस्थान मंत्री)

उत्तर

(१) मावली ग्राम के पास देवस्थान की जमीन आराजी किता ४३, रकबा १०४ हैं वह संयुक्त कृषि सहकारी समिति को २२००) वार्षिक पर सम्‌ १९५९-६० के लिए (एकवर्ष) दी गई इसके पश्चात् एक वर्ष की अवधि और बढ़ाई गई और २४००) रुपये जमा कराने की शर्त रखी गई।

(२) समिति ने प्रथम वर्ष के ठेके पेटे २०००) रुपये जमा कराये जिससे २००) रु० बकाया रहते हैं। दूसरे वर्ष के २४००) रु० जमा नहीं कराए। इसी तरह शर्त अनुसार दिनांक १५-६-६१ को समिति को कब्जा छोड़ देना चाहिये था लेकिन उनके नहीं छोड़ने से बकाया २६००) व कबजा छुड़ाने आदि का दावा न्यायालय सब-डिविजनल ऑफीसर बल्लभनगर में किया गया।

मिडिल स्कूलों में परिवर्तित की जाने वाली प्राथमिक स्कूलें

७१. श्री स्वरूपसिंह (लूनी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) जोधपुर जिले की लूणी पंचायत समिति क्षेत्र के कौन २ से प्राईमरी स्कूल अगले वर्ष से मिडिल स्कूल होने जा रहे है?

(ख) किन २ स्कूलों के लिए पंचायत समिति ने मिडिल स्कूल बनाने के लिए सिफारिशें की हैं ?

उत्तर

(१) अगले वर्ष १९६५-६६ में किसी भी प्राथमिकशाला का माध्यमिक शाला में परिवर्तित करने का प्रावधान नहीं है।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

शाहबाद क्षेत्र के सहरियों को काश्त के लिए एलॉटमेंट

९२. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या राजस्व मन्त्री उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) पंचायत समिति शाहबाद क्षेत्र में कितने सहरियों को कितनी भूमि काश्त के लिए एलॉट की गई है ?

(२) उक्त एलॉटमेंट में से कितनी भूमि पर कितने सहरिये काबिज हैं ?

(३) भूमि एलॉट जंगल कटवा कर की थी अथवा जंगल सहित ?

(४) काश्त के लिये कितने सहरियों को कितनी राशि दी ?

उत्तर

(१) पंचायत समिति शाहवाद क्षेत्र में निम्न प्रकार भूमि काश्त के लिये एलॉट की गई है।

शाहबाद तहसील

में सम्‌ ६१ से माह अगस्त, ६४ तक १,५२७ सहरिया परिवारों को १८१९७॥ बीघा भूमि एलॉट की गई है।

(श्री राजस्व मंत्री)

तहसील किशनगंज में सन् ६१ से १६-६-६४ तक १८०४ सहरिया परिवारों को २१,४०९ बीघा ३ बिस्वा भूमि वितरण की गई है।

(२) जिन परिवारों को भूमि दी गई है वे जमीन पर काबिज हैं उनको भूमि मौके पर बता दी गई थी फिर भी प्रश्न ८५ के उत्तर के दौरान दिये गये आश्वासन के फलस्वरूप मौके पर पत्थरगढ़ी कराई जा रही है, काफी भाग में पत्थरगढ़ी की जा चुकी है एवं बाकी रकबे में की जा रही है जो जल्दी ही पूरी हो जावेगी।

(३) सहरियों को जंगल साफ करवा कर भूमि दी गई है।

(४) ४१२ सहरिया परिवारों को काश्त हेतु तहसील किशनगंज व शाहबाद से (क्रमशः) ७००००, १३२५००; कुल २०२-५०० रुपये दिये गये हैं।

पंचायत सोहेला में सवाई चक भूमि का एलॉमेंट

६३. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई)---क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:---

(१) तहसील टोंक की पंचायत सोहेला में सवाई चक भूमि के एलॉटमेंट के लिये सन् ६३-६४ में कब मीटिंग बुलाई गई ?

(२) इस पंचायत क्षेत्र में जमीन प्राप्ति के लिये कितने प्रार्थना-पत्र आये थे ? उनमें से कितने को जमीन दी गई व कितनों के प्रार्थना-पत्र खारिज किये गये और क्यों ?

उत्तर

(१) तहसील टोंक की पंचायत सोहेला में सिवाय चक भूमि के एलॉटमेंट के सम्बन्ध में सन् १९६३-६४ में कोई मीटिंग नहीं हुई।

(२) इस पंचायत क्षेत्र में भूमि प्राप्ति हेतु १९ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे जिनमें किसी भी प्रार्थी को भूमि का आवंटन नहीं किया गया क्योंकि प्रार्थियों ने अपने प्रार्थना पत्रों में भूमि आवंटन किये जाने हेतु जो खसरा नम्बर अंकित किये वे सब नम्बरान चरागाह के लिये तजवीज किये जा चुके हैं।

सवाई चक दर्ज भूमि

६४. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई):---क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:---

तहसील निवाई क्षेत्र के अन्तर्गत किस किस पंचायत क्षेत्र में कितनी कितनी भूमि सवाई चक दर्ज है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नाजायज शराब बनाने के मामले

६५. श्री ललितमोहन (गोगुन्दा-सु०)-क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

छावनी, कोटडा जिला उदयपुर के एक्साइज इन्सपेक्टर ने सन् १९६२ से सन् १९६४ तक नाजायज शराब बनाने के कितने केसेज पकड़े और कितने कम्पाउन्ड किये ?

उत्तर

७१ केसेज पकड़े और ६८ केसेज कम्पाउन्ड किये गये ।

उदयपुर जिले के पुरातत्व विभाग के अधीन स्थान

६६. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा): क्या पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) उदयपुर जिले में कौन से स्थान पुरातत्व विभाग के अधिकार में हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) क्या सरकार गोगुन्दा में जहां महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ था, उस स्थान को सुधार कर सुरक्षित रखने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) जी हां ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

अजमेर की स्कूलों में छात्राओं की संख्या

६७. श्री पोहूमल ईसरदास (अजमेर-सिटी-पश्चिम) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) अजमेर में प्राईमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हायर सेकेन्ड्री स्कूल तथा कॉलेजों में कितनी छात्राएं शिक्षा प्राप्त कर रही हैं ?

(२) क्या सरकार छात्राओं की संख्या को देखते हुए अजमेर में और भी हायर सेकेन्ड्री स्कूल व कॉलेज खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(१) प्राइमरी में ११,४९४ मिडिल में ६,२७४; हायर सेकेन्ड्री में ५,१३९ तथा कॉलेजों में ७८५ छात्राए शिक्षा पा रही हैं ।

(२) अगले वर्ष हायर सेकेन्ड्री स्कूल खोलने का कोई प्रावधान नहीं है । कॉलेज खोलने की भी योजना नहीं है क्योंकि वर्तमान में गर्ल्स कॉलेजों में छात्राओं के लिये स्थान उपलब्ध है ।

हायर सेकेन्ड्री स्कूल नाथद्वारा में वाणिज्य की कक्षाएं

९८. श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) नाथद्वारा की हायर सेकेन्ड्री स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं ?

(२) क्या इस स्कूल में वाणिज्य विषय पढ़ाया जाता है ? यदि नहीं, तो इस विषय की कक्षाएं कब से प्रारम्भ होंगी ?

उत्तर

(१) ६५६ विद्यार्थी हैं।

(२) वर्तमान में वाणिज्य विषय नहीं पढ़ाया जाता है। इस विषय को प्रारम्भ करने का १९६५–६६ में कोई प्रावधान नहीं है।

चर्म उद्योग का प्रशिक्षण

९९. श्री जयनारायण सार्तोदिया (निवाई) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करें:—

(१) ग्रामोद्योग, आदर्शचर्म उत्पादक तथा प्रशिक्षण केन्द्र, सांगानेर के द्वारा कितने लोगों को अब तक चर्म उद्योग का प्रशिक्षण दिया गया ?

(२) इस प्रशिक्षण पर कितना रुपया सालाना खर्चा किया जाता है ? अब तक के सालवार आंकड़े देने की कृपा करें।

(३) गत सालों में जितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया उसमें से कितनों को काम पर लगाया गया व कितने लगाने बाकी हैं ?

(४) क्या यह भी सच है कि इस संस्था के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त लोगों की अन्य संस्थाओं में मान्यता नहीं मिलती है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित आदर्श ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र सांगानेर में चर्म रंगाई प्रशिक्षण के कुल ६ सत्र चले हैं जिनमें कुल ७२ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है।

(२) इस प्रशिक्षण में छात्रवृत्ति के अलावा प्रत्येक वर्ष निम्न प्रकार व्यय हुआ-

१९५७	-	३१००
१९५८-५९	-	३२५०
१९५९-६०	-	४००१)४४
१९६०-६१	-	३६८०)६४
१९६१-६२	-	३९६०
१९६२-६३	-	३९६०

(३) जितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है उनमें से ८० प्रतिशत व्यक्तियों को उद्योग विभाग या अन्य संबंधित विभागों में कार्य मिला है।

(४) संस्था द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण को मान्यता मिली है और मिलती है।

गृह निर्माण तथा पीने के पानी पर व्यय

१००. श्री हरीशंकर (धौलपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हरीशंकर)

गत तीन वर्षों में समाज कल्याण विभाग द्वारा भरतपुर जिले में गृह निर्माण तथा पीने के पानी के कुओं के निर्माण (Housing Scheme and drinking water well) के अन्तर्गत कितना कितना धन व्यय किया गया है और इस राशि में से कितना धन भरतपुर में तथा कितना धन धौलपुर क्षेत्र में खर्च हुआ है ? प्रत्येक वर्ष की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

क्या यह सत्य है कि धौलपुर क्षेत्र में उक्त स्कीम के तहत कभी कोई धन व्यय नहीं हुआ ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

उत्तर

(१) सन् ६१-६२, ६२-६३ व ६३-६४ में समाज कल्याण विभाग द्वारा भरतपुर जिले में गृह निर्माण हेतु ३३,७६७) रुपये तथा पीने के पानी के कुओं के निर्माण के लिए २५००) रु० व्यय किये गए। इस धन राशि में से धौलपुर सब-डिवीजन क्षेत्र की समस्त धौलपुर बाड़ी, बसेड़ी और राजाखेड़ा पंचायत समितियों में मकान सहायता पर १५०००) रु० और पानी पीने के कुओं पर १२५०) रु० व्यय किये गए। शेष धन भरतपुर क्षेत्र में व्यय हुआ। प्रत्येक वर्ष की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। पंचायत समितियों को धनराशि जिलाधीश व जिला परिषदों द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर स्वीकृत की जाती है।

भरतपुर व धौलपुर के नगरपालिका क्षेत्रों के लिए समाज कल्याण विभाग में कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुए। इसलिए नगरपालिका क्षेत्र में कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई।

(२) यह सही नहीं है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत समिति प्रतापगढ़ के कर्मचारियों के क्वार्टर्स

१०१. श्री अब्दुलजब्बार खां (निम्बाहेड़ा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पंचायत समिति प्रतापगढ़ द्वारा कर्मचारियों के लिये रिहाइशी मकान कितने बनवाए गए हैं ?

(२) क्या इन क्वार्टर्स में बिजली फिटिंग्स भी है ?

उत्तर

(१) कुल १४ क्वार्टर बनाये गये हैं।

(२) जी हां।

पंचायत समिति शाहबाद के अधूरे विकास कार्य

१०२. श्री दयाचन्द सोन (बारां) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) शाहबाद पंचायत समिति को सन् ६४ में पूर्व के अधूरे पड़े विकास कार्यों को पूरा कराने के लिये कितना रुपया किस किस मद में दिया गया ?

(२) क्या अधूरे कामों को पूरा कराने के लिये जो रुपया दिया गया था वे पूरा करा दिया गया है ? यदि हां, तो कौन कौन से काम पूरे हो गए हैं ?

(श्री पंचायत मंत्री)

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है?

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

(१२. १५. म. प.)

श्री कैरों हत्याकाण्ड के सम्बन्ध में एक पुलिस स्टेशन में दी गई सूचना पर कार्यवाही न करने विषयक स्थगन-प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें उन्होंने एक अंग्रेजी के पत्र में छपी हुई खबर के हवाला से यह कहा कि श्री कैरों हत्याकांड के सिलसिले में एक अभियुक्त ने राजस्थान की पुलिस स्टेशन पर सबसे पहले सूचना दी लेकिन उसके सम्बन्ध में पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। अगर मंत्री महोदय उपयुक्त समझें तो आज अन्यथा कल या परसों इसका स्पष्टीकरण कर दें।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीजी कल जवाब दें या परसों जवाब दें लेकिन इस सम्बन्ध में उनका जवाब कोम्प्रिहेन्सिव हो; आपकी इजाजत से कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : On a point of order, Sir. माननीय सदस्य ने एडजोर्नमेंट मोशन प्रस्तुत कर दिया और आपका आदेश हुआ कि परसों जवाब दें। फर्दर पर्टीकुलर्स देना चाहते हैं तो अध्यक्ष महोदय को दे दें बजाय इसके कि यहां सदन में उनको रखें और फिर उन पर बहस हो।

श्री अध्यक्ष : कोई डिबेट नहीं होगी। केवल माननीय सदस्य तथ्य ही रखें।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, सब से महत्वपूर्ण तथ्य मेरे ध्यान में तारीख ६ की रात को आये जब कि केसरीसिंहपुर के सरपंच ने मुझे कई महत्वपूर्ण सूचनायें दीं, लेकिन उन सूचनाओं का मैं उपयोग नहीं कर सका क्योंकि उनकी पूर्णरूप से छानबीन करना मेरे लिये भी आवश्यक था। तारीख ९ के टाइम्स ऑफ इन्डिया एयर एडीशन के पेज ७ पर छपी कि बलदेवसिंह ने कैरों की इस हत्या का सबसे पहले समाचार पुलिस स्टेशन को दिया कि उसने हत्या की है लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई तो, अध्यक्ष महोदय, जो जानकारी मेरे पास दो दिनों में आयी उसको मिलाकर मैंने यह स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

अध्यक्ष महोदय, यह तो सारे हिन्दुस्तान के लिये दुःख की बात है कि श्री प्रतापसिंह कैरों की हत्या हुई लेकिन उस हत्या के बाद में भी इस विधान सभा में और प्रसंग में उसकी चर्चा हुई, लेकिन जो तथ्य मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं वह यह है कि इस हत्या में जो भी लोग सम्बन्धित हैं और बलदेवसिंह ने राजस्थान पुलिस स्टेशन को सूचना ही नहीं दी बल्कि कई दिनों तक लगातार यह कहता रहा कि मैंने कैरों की हत्या की है और आखिर राजस्थान पुलिस ने इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की। पंजाब पुलिस ने

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

आकर १६ मार्च को गजसिंहपुर के पास एक शराब के ठेके से बलदेवसिंह को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके पंजाब की पुलिस बलदेवसिंह को ले गई। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ इतना ही नहीं २०-२५ व्यक्तियों को राजस्थान से पंजाब पुलिस इन्टरोगेशन के लिये ले गयी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि बलदेवसिंह और दूसरे अभियुक्त सुच्चासिंह इनके बहुत से अड्डे करणपुर तहसील में हैं। यह सूचना मैं माननीय मंत्री जी को देना चाहता हू। यदि अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की पुलिस जिस दिन जिस वक्त इस बलदेवसिंह ने सूचना दी कि मैंने श्री कैरों का कत्ल किया है उसको गिरफ्तार कर लेती तो सुच्चासिंह नेपाल नहीं भाग सकता था और उसके भागने से पूर्व ही राजस्थान पुलिस बलदेवसिंह को गिरफ्तार करके उसको इन्ट्रोगेट करती तो इतनी बड़ी भारी परेशानी हुई और जो लांछन लगा वह नहीं लगता और एक्स्ट्राडिशन की प्रोसिडिंग्ज़ में जो कुछ सुच्चासिंह के बारे में नेपाल में हो रहा है और परेशानी हो रही है और सारा देश इस बात के लिये चिन्तित है कि सुच्चासिंह जल्दी से जल्दी भारत में आये तो यह सारी परिस्थिति पैदा नहीं होती। मन्त्री महोदय को मैं कहना चाहता हूं कि जो तथ्य मेरे पास हैं उनके अनुसार इस सुच्चासिंह के करणपुर, पदमपुरा और रायसिंहनगर में बहुत अड्डे हैं और तस्कर व्यापार वालों से सांठगांठ है। लखवेन्द्रसिंह ग्राम पंचायत (६ ओ) गंगानगर जिले का है। उसके यहां सुच्चासिंह का आना जाना होता था और लखवेन्द्र, महेन्द्रसिंह, सुच्चासिंह का भाई रहा है और उनके यहां बहुत बार आता जाता था।

अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों बहुत से तस्कर व्यापारी जब माथुर साहब गृह मन्त्री थे, उस समय पकड़े गये थे। मुझे अफसोस है कि श्री सुच्चासिंह उन तस्कर व्यापारियों की गेंग का लीडर था उसको वहां पर पुलिस किस तरह से नहीं पकड़ पायी? उप-गृह मन्त्रीजी को मैं यह भी सूचना देना चाहता हूं कि अमृतसर के जो अवांछनीय लोग हैं करणपुर तहसील में अड्डे बनाये हुए हैं, तस्कार व्यापार में एक्टिव है जिनकी सुच्चासिंह से डायरेक्ट रिलेशन-शिप है।

अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों से सुच्चासिंह के बारे में सूचनायें मिल सकती हैं उनमें से कुछ के नाम मैं राज्य सरकार को देना चाहता हूं। एक श्री गोपी है जो डी० आई० आर० में गिरफ्तार हैं जिनसे सुच्चासिंह के बारे में जानकारी मिल सकती है; इसके अलावा चार और व्यक्ति हैं जिनको डी० आई० आर० में गिरफ्तार करके छोड़ दिया गया है उनके नाम है भोलाराम, प्रहलाद, सादुल्ला, महेन्द्र इनसे सुच्चासिंह के वेग्रर-अबाउट्स के बारे में राज्य सरकार को जानकारी मिल सकती है।

इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस यह है कि श्री सुच्चासिंह एक गुरजीतसिंह नाम के एक व्यक्ति, जो प्रधान पद के उम्मीदवार थे, जो एक राजनैतिक पार्टी के नुमायन्दे थे, मैं उस पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, उनकी मदद उसने की।

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

मैं सरकार की जानकारी के लिये यह भी कहना चाहता हूं जो फेक्ट मैं अब रख रहा हूं उसके बारे में सेन्ट-परसेन्ट गारन्टी नहीं कर सकता। दयासिंह और नाहरसिंह द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि हनुमानगढ़, मानकसर लीलावाली के पास के वाशिन्दे हैं। इस प्रकार की सूचना अखबारों में प्रकाशित होने के बावजूद भी राज्य सरकार आज तक जवाब देने की स्थिति में नहीं है, राज्य सरकार ने इस बारे में क्या किया इसके बारे में कोम्प्री-हेन्सिव स्टेटमेंट राज्य सरकार को देना चाहिये। बाकी तथ्य उपगृह मन्त्रीजी के वक्तव्य के बाद, अगर आप इजाजत देंगे तो मैं फिर निवेदन करूंगा।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने केटेगोरिकली सदन में कहा था जिसको मुख्य मंत्री ने डिनाई किया कि राजस्थान की सरहद पर नहीं पकड़ा था बलदेवसिंह को, इसको डिनाई किया गया मुख्य मंत्री द्वारा। मैंने कहा था कि बलदेवसिंह को राजस्थान की सरहद पर पकड़ा है यह राजस्थान के लिये शर्म की बात है। पंजाब की पुलिस ने बिना राजस्थान सरकार को इत्तला दिये गुप-चुप-इनको पकड़ा था। जिसको मुख्य मंत्री महोदय ने डिनाई किया अब जो तथ्य सामने आ रहे हैं उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि मुख्य मंत्रीजी ने सदन में सही जानकारी नहीं दी थी। मैंने उस समय यह भी कहा था यह कोन्सपेरेसी हनुमानगढ़ एरिया में हैच हुई थी अब वहां के लोग पकड़े जा रहे हैं, सारी बातें सामने आ रही हैं। मैं चाहूंगा कि उप गृह मंत्री कोई भी तथ्य सदन से छिपाने की कोशिश न करें। जो कुछ भी आज तक किया गया है अब भी सदन के सामने ईमानदारी से और सही तथ्य रखें। मुख्य मंत्रीजी ने जो डिनाई किया उस सम्बन्ध में भी वे कहें कि यह सत्य था या गलत था। गलत जवाब क्यों दिया गया? यह निश्चित है कि बलदेवसिंह को राजस्थान में पकड़ा गया।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार इसकी भी जानकारी दे कि यह सुच्चासिंह नाम बदल कर राज्य सरकार की सेवा में शिक्षक की हैसियत से भी रहा है।

श्री अध्यक्ष : यह स्थगन-प्रस्ताव सुच्चासिंह के सम्बन्ध में नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) : बलदेवसिंह और सुच्चासिंह के सम्पर्क में माननीय सदस्य भी कभी आये हैं क्या, क्योंकि आप भी गंगानगर के आस पास के रहने वाले हैं? इसका भी जवाब मिल जाता तो इन्क्वायरी में सहूलियत होती।

श्री मानिकचन्द सुराणा : माननीय मंत्री लाइट वे में बात कर रहे हैं, वे आज चोट खाये हुए हैं। मैंने उनके बारे में कहा था कि महिला मंडल उदयपुर के बारे में जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य को इन्हीं ने जानकारी दी थी, इससे वे चोट खाये हुए हैं........

श्री निरंजननाथ आचार्य : अगर मैं कह देता न मालूम आप पर क्या बीतती;

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

आपके लिये वह कह दूं तो बड़ा गजब हो जायगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अब तो आप कह ही दीजिये कुछ आपके पास हो तो। मैं निवेदन करना चाहता हूं उप गृह मंत्री महोदय से जिन सरपंच महानुभाव ने इत्तला दी है उनका नाम जनहित में मैं बताना नहीं चाहता। वे चाहेंगे तो उनको उनका नाम दूंगा आप उनसे बात करें, आपके पुलिस अधिकारी बात कर लें, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, गंगानगर के प्रभावशाली कार्यकर्ता हैं उनसे आप बात कर सकते हैं। और जो भी स्थिति हो वह राजस्थान की जनता के सामने रखनी चाहिये। सब से बड़ी गंभीर बात तो यह है कि राजस्थान के जिस पुलिस स्टेशन पर सूचना दी उस पुलिस स्टेशन का नाम तक मंत्री महोदय को पता नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह तो रिपीटिशन है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह रिपीटिशन नहीं है, आपकी पुलिस की नाकामयाबी है। उस स्टेशन का आपको भी पता नहीं जिस पर पहले-पहले उसने सूचना दी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपके पहले भी एडजोर्नमेन्ट मोशन दिया था यह दूसरी बार है, दो बार आ जायगा इससे सन्तोष हो जाना चाहिये। मैं एक जानकारी आपसे करना चाहता हूं कि बीकानेर कॉलेज में साथ पढ़े हुए हैं कहीं सम्पर्क में आये हों।

श्री मानिकचन्द सुराणा : प्रोफेसर केदारानाथजी के साथ पढ़े हैं।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : मैं जब एम० ए० में था वे मेरे से जुनियर क्लास में थे। मैंने बलदेवसिंह के बारे में श्री सुखाड़ियाजी और आई० जी० पी० को इस इन्सीडेन्ट के बाद कहा है। यह कांड बलदेवसिंह द्वारा मेच्योर हुआ हो यह मैं नहीं मानता। यह बहुत पीने वाला है इसलिये डेथ प्लोट को मेच्योर करने में शामिल नहीं हो सकता। उसमें यह माद्दा नहीं कि वह किसी प्लान को फाइनल टच दे सके। वह डेरिंग नेचर का था, प्लॉट मेच्योर करने में हनुमानगढ़, करनपुर में वह रहा हो जंचने वाली बात नहीं कि वह सिरियस चार्ज में शामिल हो जाय।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं समझता हूं माननीय मंत्री महोदय जरूर कुछ समझे होंगे अगर उनमें अक्ल है तो, अगर नहीं है तो और कुछ कहना वृथा है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जो कुछ तथ्य सहायता के रूप में मिले उसके लिये मैं शुक्रगुजार हूं। दूसरी प्रकार के और भी तथ्य हों वे भी आ जावें।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : माननीय मन्त्री महोदय, इस बात का भी उत्तर दें, पेपर्स में बलदेवसिंह के बारे में गिरफ्तारी की खबरें छपी थी तीन दिन पहले तक छपती रही थीं लेकिन सरकार की तरफ से इस बात की सूचना न हाउस को दी गई है। पोइन्टेडली जब पूछा गया तो यही कहा गया कि यह सही नहीं है।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इससे यह पता चलता है इस मामले में जो उदासीनता बरती गई जबकि इस प्रकार की खबरें छप चुकी थी क्या वह उचित थी ? पुलिस अधिकारियों ने इस गिरफ्तारी की सूचना दी या नहीं और दी तो सदन को क्यों सूचित नहीं किया; इसकी भी जानकारी दें ।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : अध्यक्ष महोदय, कल ही मैंने सुना कि ये बलदेवसिंह एम० एल० ए० के पास जो गवर्नमेन्ट होस्टल में ठहरे हुए थे, हत्या के दो महीने पहले आते रहे हैं । क्या सरकार ने इस बात की भी जानकारी की है कि वह कौन एम० एल० ए० था और किस कारण से वे आया करते थे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसकी भी जानकारी ले लूंगा, यह गम्भीर प्रश्न है ।

(१२. ३० म० प०)

राजस्थान सहकारी संस्था विधेयक, १९६४

श्री अध्यक्ष : राजस्थान सहकारी संस्था विधेयक ।

श्री मथुरादास माथुर (सहकारी मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान सहकारी संस्था विधेयक, १९६४ को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

[इस प्रस्ताव पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए :—

(१) श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर)

(२) श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा)

(३) श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा)

(४) श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद)

(५) श्री विजयपाल कटारा (बांसवाड़ा–सु०)

(६) श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद)

(७) श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा)

१. "प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान सहकारी संस्था विधेयक, १९६४ को एक माह । तीन माह के लिए जनमत जानने के लिये परिचालित किया जावे ।"

(१) श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर)

(२) श्री चौसरसिंह (बेंगू)

(३) श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत)

(४) श्री भीमसेन (लूणकरणसर)

(५) श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर)

(६) श्री केदारनाथ (गंगानगर)

(७) श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर)

(८) श्री गंगासिंह राठौड़ (जायल)

Page No.50

२. "प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान सहकारी संस्था विधेयक, १९६४ को पुन: एक नवीन प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में। एक माह में। १५ दिन में। तीन दिन के अन्दर, एक सप्ताह में। आगामी सत्र में। एक सप्ताह में सदन के समक्ष प्रस्तुत करें (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी)।"]

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक अर्से की प्रतीक्षा के बाद सहकारी कानून में संशोधन लाया जा रहा है और जिस कारण से इन संशोधनों की आवश्यकता पड़ी और जिन दिशाओं में ये संशोधन किये जाने चाहिये थे, मुझे खेद है कि उसकी विपरीत दिशाओं में ये संशोधन लाये जा रहे हैं।

जब से हमारी सरकार ने समाजवाद का नारा लगाया है और उसने यह माना है कि सहकारिता के माध्यम से देश में समाजवाद की व्यवस्था लाना चाहते हैं तब से ही सहकारिता में काम करने वाले लोग यह उम्मीद कर रहे थे कि सहकारिता के कानून में जो खामियां हैं, जिनके कारण प्रगति की ओर नहीं बढ़ा जा सकता और जिनके कारण कमजोर लोगों में स्वावलम्बन की भावना आ नहीं रही है उनको दूर किया जावेगा, उसके बजाय इस तरह का जो कानून लाया जा रहा है यह इस सहकारिता के लिये और भी बुरा साबित होगा क्योंकि इस तरह के कानूनों में हर काम के लिये सरकार और सरकार के नौकर और रजिस्ट्रार की तरफ देखना पड़ता है। इनके पॉवर पहले भी बहुत अधिक थे और इस कानून में भी यही स्थिति कायम रखी गई है।

सहकारिता क्षेत्र में काम करने वालों की ५८ में १२-१३ अप्रेल को अखिल भारतीय को-ऑपरेटिव कांग्रेस हुई, उसमें सामूहिक रूप से यह मांग उठाई गई कि इस कानून में संशोधन किया जाय जिससे रजिस्ट्रार और सरकार का हस्तक्षेप कम से कम हो सके और इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान उस उक्त जो अखिल भारतीय को-ऑपरेटिव यूनियन के अध्यक्ष थे और केन्द्रीय सरकार के मन्त्री भी थे उनके व्यू की ओर ले जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि आज जो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने है वह यह है कि सरकार का और रजिस्ट्रार का कन्ट्रोल सहकारी समितियों में अधिक से अधिक जो है वह कम किया जाय और इस तरह का परिवर्तन इस कानून में किया जाय। उनका कथन इस प्रकार था—

"I am convinced that unless the Co-operative Movement is freed from the overwhelming official control and Government policies and assistance based on an understanding that co-operatives are essentially selfgovernig institutions, which require an atmosphere of independence and self-reliance, they cannot grow to their full capacity."

उस कांग्रेस में भाग लेने का अवसर मुझे भी भरतपुर जिला के सहकार आन्दोलन

(श्री नत्थीसिंह)

के डेलीगेट के नाते मिला था और उसमें तत्कालीन भारत के प्रधान मंत्री स्वर्गीय पं० जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन करते समय भी इसी तरह की बात कही थी। आज हमारे सहकारिता के मंत्री इस बात की दुहाई देते हैं कि हम पंडितजी के बताये मार्ग पर चलना चाहते है, इस पर मैं बताऊंगा कि जो संशोधन यहां लाये गये हैं वे पंडितजी के बताये मार्ग के अनुसार हैं या उसके विपरीत हैं।

नेहरूजी ने कोऑपरेटिव कांग्रेस में अपना भाषण देते हुए कहा था और स्पष्ट शब्दों में, असंदिग्ध शब्दों में कहा था कि हमने इस सहकारिता के आन्दोलन को गलत दिशा दी है यह मानकर कि इसमें अधिक से अधिक सरकारी हस्तक्षेप रहे, इसलिये उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ यह कहा; इसके लिये तो मुझे खेद है और इसके लिये अपनी जिम्मेदारी भी मानता हूं कि इसमें सरकारी हस्तक्षेप अधिक रहा। इन्हीं के शब्द मैं यहां उद्धृत करता हूं :

"I want to make a confession to you, and that is that I think that our Government was quite wrong in accepting some of the decisions of that Rural Credit Survey Committee, not all but some. I am sorry for it. I am responsible for it as much as anybody else."

और उन्होंने कहा कि हमने गलत डाइरेक्शन इसको दिया है —what was this wrong direction.

There was a tendency on the part of that Committee, well, to distrust our people."

अब उन्होंने जो कहा वह गलत बात इस संशोधन विधेयक में आज भी यों की यों वर्तमान है।

"if I may say so, our common people's tendency a to think that they are not competent enough, they cannot do a job by themselves; therefore, Government officials must come in and help."

इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि कहीं कहीं इस बात से फायदा हो सकता है ऑफीशियल को कन्ट्रोल देने से। पर अन्त में इसका नतीजा यही होने वाला है कि :

"I should like to say to you who are chiefly responsible, that that approach, even though it might bring some results locally and temporaily, pushes the Co-operative Movement in a direction which is not co-operative at all, which is something else, and which offends against the whole philosophy which, I believe, has grown up round this Movement, because, if it is to be a State sponsored Movement, with Government officials running it, it may do some good; if the Government officials are competent enough, it might do some good, but does infinite harm in the sense that it does not allow the people to learn how to do things for themselves,

(श्री नत्थी सिंह)

how to develop a spirit of self-reliance, self-dependence, and even to make mistakes if they want to make mistakes."

इस तरह से आज जो एक दिशा दिखाई गई थी उनके द्वारा, हम उससे विपरीत दिशा में जाना चाह रहे हैं। इसका नतीजा क्या होने वाला है; वोसिज्म बढ़ेगा।

इसके बाद में अक्टूबर-नवम्बर में नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल की मीटिंग हुई और उसने कॉआपरेटिव के बारे में कानून बनाने के लिए एक प्रस्ताव स्वीकार किया उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि आज के कानून में इस प्रकार का संशोधन आवश्यक है कि जिससे यह एक प्रकार का स्टेट कन्ट्रोल्ड मूवमेंट बन कर न रह जाय। और प्रस्ताव में उनकी मांग क्या है आप यह भी देखें; उन्होंने कहा कि हम इसमें इस तरह का संशोधन चाहते हैं कि जिससे यह आन्दोलन सही दिशा में जा सके :

"Many of the procedures impede the development of co-operation as a popular movement in which small groups and communities can function freely and organise their work and activities along co-operative lines without excessive offical interference and red-tape."

और उन्होंने यह भी माना है कि आज के जो कानून हैं; "their restrictive features should be removed and rules should be modified in accordance with the approach of..."

(१२. ४०. म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभा-नेत्री, पदासीन)

और इसके ऊपर ऑल इन्डिया कोआपरेटिव यूनियन की एक बात और बताऊं। उन्होंने कहा इस तरह से रजिस्ट्रार का काम हस्तक्षेप न होकर रजिस्ट्रेशन, इन्सपेक्शन, ऑडिट ऑफ अकाउन्ट्स मात्र होना चाहिये। इसके अतिरिक्त उसको और कोई काम नहीं दिया जाना चाहिये। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रार का काम यही है :

"His function is to administer the Act and not to administer the societies."

आज जो बिल हमारे सामने है उसके एक एक प्रावधान को लेकर मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि इस विधेयक के द्वारा जो बुराई दूर करने आप जा रहे हैं, उसे और अधिक ही ले आये हैं।

हमारे सहकारी आन्दोलन की सबसे बड़ी खूबी यही हो कि उसकी सदस्यता सबके लिये अबाध्य खुली होनी चाहिये। वह बिल्कुल ऐच्छिक होनी चाहिये। और उसमें निर्णय के लिए सबसे अन्तिम स्टेज साधारण सभा होनी चाहिये। लेकिन मुझे खेद है कि इस कानून में जो संशोधन किया गया है उससे सहकारी समिति की साधारण सभा का यह निर्णय करने का अधिकार छीन लिया गया है जो पहले था।

(श्री नत्थीसिंह)

क्लॉज़ १९ में यह रखा गया है कि कोई अगर सहकारी समिति का सदस्य बनना चाहता हो तो वह अधिकारीगण को आवेदनपत्र देगा और वह प्रबन्धकारिणी उसका निर्णय करेगी। अगर उसकी सदस्यता प्रबन्धकारिणी स्वीकार नहीं करती है रिफ्यूट करती है और उसका कोई रीज़न भी नहीं देती तो उसके लिए आज तक यह प्रावधान था कि साधारण सभा के सामने अपील में जा सकता था और उसका निर्णय अन्तिम निर्णय होता था, वह प्रावधान इस संशोधन में समाप्त कर दिया गया है।

इस कानून में साधारण सभा को बिल्कुल व्हाइप-आउट कर दिया है। मैनेजिंग कमेटी के डिसोज़न के बाद सीधे रजिस्ट्रार को पॉवर्स दी गई हैं कि वह यह तय करे कि अमुक आदमी अमुक समिति का सदस्य हो सकता है या नहीं, यह कतई गलत है और जो विधेयक मूल था, जो यहां पेश किया गया था, उसमें भी इस बात की सावधानी बरती गई थी और यह प्रावधान जरूर था कि यदि वह इतने समय में सूचना नहीं देता है प्रबन्धकारिणी वाला तो रजिस्ट्रार के पास जो अधिकार नहीं थे कि सहकारी संस्था के साधारणकर्ता हैं उसके कोई अधिकार नहीं हैं और आज भी जो अपील का प्रावधान रखा गया है माननीय मन्त्री महोदय उसके क्लॉज़ १२३ में देखें तो उसमें एक बात कही गई है कि सोसाइटी किसी को सदस्य बनाना चाहती है या नहीं इसके खिलाफ अपील करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन एक एक्सेप्शन तो यह है कि जोइन्ट कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी है उसमें किसी को मेम्बर नहीं बनाया गया, किसी को मेम्बरशिप से निकाल दिया गया है तो उसकी अपील का प्रावधान नहीं है। प्रत्येक प्रकार की समिति में अपील का प्रावधान किया गया है लेकिन धारा १९ में संशोधन किया गया है उससे एक विचित्र स्थिति बन गई है। जहां पहिली दफा में प्रबन्धकारिणी के बनने के बाद साधारण सभा को अधिकार नहीं दिया गया और रजिस्ट्रार को अधिकार दे दिये गये कि वह चाहे जिसको मेम्बर बनाये।

मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारे मस्तिष्क में शायद हम कहते तो हैं लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि कोऑपरेटिव मूवमेंट केवल सर्विस कोऑपरेटिव का मूवमेंट नहीं है, केवल लेबर कोऑपरेटिव मूवमेंट नहीं है, लेकिन इसके द्वारा हम यह चाहते हैं कि हमारा जो कृषक समाज है जो मुख्यत: खेती पर निर्भर करता है वह धीरे धीरे जोइन्ट कोऑपरेटिव फार्मिंग की तरफ बढ़े और हमारे देश में जोइन्ट कोऑपरेटिव फार्मिंग में आज जनता को जाने में हिचक है और वह हिचक यह है कि किसान के दिमाग में आशंका है कि अगर वह वहां गया तो वह अपने खेत पर और उसको अपने खेत को मैनेज करने की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसका हनन हो जायेगा। इसलिए आज के कानून में इनका इन्टरफिअरेन्स नहीं हो तब भी किसान जोइन्ट कोऑपरेटिव फार्मिंग की तरफ नहीं जाता है और इसमें जो यह पॉवर्स दी गई हैं कि रजिस्ट्रार जिसको चाहेगा जोइन्ट कोऑपरेटिव फार्मिंग का मेम्बर बना सकेगा और जिसको चाहेगा

(श्री नत्थीसिंह)

निकाल सकेगा, वह सिद्धान्ततः गलत है और वह भी एक-एक प्रावधान करके बतलाऊंगा। इसका निश्चित असर होगा और असर यह होगा कि अब तक कोई जोइन्ट कोऑपरेटिव फार्मिंग का मेम्बर होना चाहता था अब नहीं होगा, क्योंकि वह जान जायेगा कि अपनी जमीन पर अपने मन के आदमी मिला कर जो खेती करना चाहता है उसमें भी उसे यह अधिकार नहीं है कि वह किन किन सदस्यों को साथ मिल कर काम करे। यह अधिकार भी सोसाइटी के बजाय रजिस्ट्रार को दिये गये हैं और इसलिए मैं कहता हूं कि यह प्रावधान मूलतः गलत है और, सहकारी भावनाओं के विपरीत है। इतना ही नहीं इसके अतिरिक्त दूसरी बात जिसकी ओर मैं सभापति महोदया, आपके द्वारा इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि सदस्य कैसे बनें और उसके बाद किन नियमों और उपनियमों के अन्तर्गत वह कानून हो इसके लिए भी पॉवर्स रजिस्ट्रार को दी गई है।

क्लॉज़ १४ है जिसमें कहा गया है कि उप–नियमों के बनाने का अधिकार सहकारी समिति को है और रजिस्ट्रार को यह अधिकार है कि वह उन उप–नियमों को रजिस्टर करे। रजिस्ट्रार के रजिस्टर करने के बाद ही वह उप-नियम प्रयोग में आते हैं। लेकिन इस कानून में एक प्रावधान किया गया है और वह खण्ड १४ में यह किया गया है कि अगर सोसाइटी नहीं चाहती है कि हमारे उप–नियमों में अमुक प्रकार का संशोधन हो तब भी रजिस्ट्रार अगर चाहता है, सरकार यह चाहती है और उनकी राय में इस प्रकार का संशोधन जरूरी है तो वह सोसाइटी की इच्छा के विपरीत और बाई-ऑर्डर, आज्ञा के द्वारा, उस प्रकार का संशोधन कर देगा और वह संशोधन इस तरह किया हुआ माना जायेगा मानों उस संस्था ने यह किया है। इतना ही मैं कहता हूं कि यह बिलकुल डिक्टेटोरियल अधिकार है जो नहीं दिया जाना चाहिए। इतना ही नहीं दूसरी बात जो इस विधेयक में रखी गई है वह क्लॉज़ १७ में है जिसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं यह मानता हूं कि आज हमारे प्रदेश में बहुत ही अधिक सहकारी समितियां बनी हुई हैं। एक एक गांव में ४, ५ और ७ सहकारी समितियां हैं। मैं इसका हामी हूं कि उन सहकारी समितियों का एकीकरण हो लेकिन उन सहकारी समितियों के एकीकरण को किस तरह से किया जाये? इसके लिए जरूरी है कि उन सहकारी समितियों की सम्पत्ति ली जायें, उनको परसुएशन से, समझा-बुझाकर, उनके प्रस्तावों के द्वारा अमलग्मेशन की कार्यवाही की जाये। क्लॉज़ १६ है उसमें प्रावधान है कि सहकारी समितियां अपने एक एक प्रस्ताव के द्वारा एक दूसरे में मिल सकती हैं। वहां यह भी प्रावधान है कि वह चाहे एक से दो अपने आप हो सकती हैं। एक विचित्र स्थिति यह पैदा की गई है क्लॉज़ १७ में कि रजिस्ट्रार को इतना कॉम्पीटेन्ट बनाया गया है कि उसको फिर अधिकार दिया गया है कि सोसाइटी चाहे या नहीं कि हम मिलकर एक होना चाहते हैं...

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : सभापति महोदया, कोरम नहीं है।

Page No.55

श्री नत्थीसिंह : सोसाइटीज़ यह चाहें या नहीं कि हम विभाजित होना चाहते हैं या नहीं। रजिस्ट्रार को पूरे अधिकार दिये गये हैं कि वह अपने आदेश से सोसाइटी को अमलगमेंट होने के लिए ऑर्डर कर सकता है और उनको विभाजित करने के लिए ऑर्डर्स कर सकता है। मैं कहता हूं कि यह गलत कानून है और गलत दिशा में आगे बढ़ाया हुआ कदम है, जिसे मैं उचित नहीं समझता हूं।

(गणपूरक घंटी)

इसके अतिरिक्त एक दूसरी बात जो इस विधेयक में की गई है वह क्लॉज़ ३२, ३४ और ३६ हैं। इन ३२, ३४ और ३६ क्लॉज के द्वारा प्रबन्धकारिणी को और सहकारी समितियों को पूर्णतया राज्य सरकार, रजिस्ट्रार के हाथों की कटपुतली बना दी है और एक तरह से उनको बन्दीगृह में डाल दिया गया है। इस तरह के प्रावधान इस कानून में किये गये हैं। सभापति महोदया, जब उन धाराओं की ओर आप देखेंगी तो उनमें इस प्रकार के विचित्र प्रावधान किये गये हैं, उनमें रजिस्ट्रार को एक पॉवर दी गई है कि अगर सहकारी समिति कोई एक प्रस्ताव पास करती है तो अगर रजिस्ट्रार चाहे कि प्रस्ताव नहीं हो तो उसको फौरन ही खारिज कर सकता है। यह दूसरी बात है समिति में बताये कि यह गलत दिशा में जाने वाला निर्णय है और उसको पास नहीं करना चाहिये। लेकिन सीधे रजिस्ट्रार को अधिकार दे दिये हैं कि वह स्वयं खारिज कर सकता है।

क्लॉजेज़ ३४ और ३६ में यह लिया गया है कि किस तरह से सहकारी समितियों को भंग किया जाये, जो प्रबन्धकारिणी के सदस्य हैं उनको हटा दिया जाये और उनको हटाकर उनके स्थान पर किस तरह की व्यवस्था की जाये। इतना ही नहीं उसमें यहां तक प्रावधान किया गया है कि कोई मेम्बर जिसके लिए रजिस्ट्रार अगर यह मान ले कि यह इस स्थिति में नहीं है और रजिस्ट्रार उस मेम्बर को इस लायक नहीं समझता कि यह आगामी ३ वर्ष तक सदस्य बने तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। जब इस बात पर बहस हो रही थी सिलेक्ट कमेटी में तो मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि शायद ड्राफ्टिंग में कोई गलती हुई है—मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि वहां पर एक बात तय हुई थी और उसके बिल्कुल विपरीत बात इस समय ड्राफ्टिंग में हमारे सामने आई है और धारा ३४ में जो (बी) और (सी) है जिसमें यह प्रावधान रखा गया है और सभापति महोदया, सदन का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह कैसे पता लगे कि रजिस्ट्रार इस नतीजे पर किस प्रकार से पहुंचा कि सदस्य ने क्या गलती की है, प्रबन्धकारिणी ने क्या गलती की है जिससे उसको भंग करना चाहते हैं? एक विचित्र बात और रखी गई है कि जो किसी भी कानून में नहीं मिलेगी और वह यह रखी गई है कि अगर किसी सदस्य के खिलाफ यह प्रोसीडिंग्ज़ स्टार्ट कर दी गई हों कि उसको हटाया जाये या नहीं तो उसको डिबार किया है इस कानून में कि वह किसी भी चुनाव में नहीं खड़ा हो सकता है। आप कल्पना कीजिये कि पंचायत

(श्री नत्थीसिंह)

के चुनाव होने जा रहे हों और किसी सरपंच के खिलाफ यह प्रोसीडिंग्ज़ स्टार्ट कर दी जायें कि इस ने गलती की है और डिस्क्वालीफाई किया जाये । तो इन्क्वायरी के बाद तो इस तरह का फैसला हो सकता है कि दोषी है या निर्दोष । लेकिन इसमें प्रावधान किया गया है कि प्रोसीडिंग्ज़ स्टार्ट कर देना ही उसको डिस्क्वालीफाई कर देगा चुनाव लड़ने से-और यह क्लॉज़ ३४ में मुझे मालूम है, मैंने उस समय भी विरोध किया था और ३४ में से वह प्रावधान हटाया गया था । लेकिन मैं पाता हूं ३६ में (७) और (८) के रूप में वह प्रावधान पुनः जोड़ दिया गया है । और उन प्रावधानों में यह कहा गया है कि ३६ के प्रावधानों को पढ़कर सुनाता हूं; सात और आठ जो नये जोड़े गये हैं;—

"No member of a committee in respect of which proceedings for removal under this section are pending shall be eligible for election for appointment to the Committee till the termination of such proceedings."

यह कतई गलत बात है, सिद्धान्ततः गलत बात है । उसके खिलाफ प्रोसीडिंग कर दें और फैसला नहीं हुआ तो मन्त्री महोदय को शायद याद होगा कि यह सवाल आया था जो ३४ में से ये दो प्रावधान हटाये गये हैं और ३६ में दिये हैं, तो उस वक्त एक ऐतराज आया था सरकार की तरफ से वह यह आया था, मैं भी मानता हूं कि वह सही बात है, कि जब ३६ के तहत प्रबन्धकारिणी को हटाने की कार्यवाही होती है तो क्या हो जाता है कि वह नये चुनाव करा लेती है और नये चुनाव करने के बाद यह प्रोसीडिंग बेकार हो जाती है । उसमें यह तय हुआ था कि इस तरह के मामलों में रजिस्ट्रार स्टे करेंगे इसलिए किसी भी प्रबन्धकारिणी को स्टे करने के पॉवर्स होने चाहिए । बजाय वे पॉवर देने के आपने एक विचित्र बात कर दी । ये विचित्र प्रावधान उसमें कर दिये प्रावधान ३६ के (ए), (बी) और (सी) में बल्कि नया स्पष्टीकरण ३६ में रख दिया. यह कतई गलत बात है ।

इसके साथ साथ दूसरी बात जो कि मैं आपको कहना चाहता हूं वह यह कहना चाहता हूं कि प्रबन्धकारिणी सहकारी समिति के रोज के कार्यों में इतना बड़ा भारी हस्तक्षेप करती है तो अपील का प्रोवीजन किस लिए रखा गया है । हमारा यह कहना है कि बहुत से लोग यह कहेंगे कि सहकारी समिति में बड़े गडबड़ घोटाले हैं, अनियमितताएं होती हैं, गबन होते हैं और बड़ा मिसमैनेज रहता है तो हम भी कहते हैं कि उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए । इसमें हमको कोई गुरेज़ नही है । कार्यवाही करके एकदम अपने हाथों में ले लो । सब पॉवर्स सरकार के हाथ में सौंप देना चाहिए । रजिस्ट्रार को पॉवर्स हैं कि कार्यवाही करके नतीजे पर आयें । गलती के लिए सजा देने के उसको अधिकार दिये गये हैं, वे उनको दें । लेकिन जब ऐसा होता है तो सहकारी समिति को भी यह अधिकार होना चाहिए कि वह न्यायाधिकरण के सामने जो कि इन्डिपेन्डेन्ट ट्रिब्यूनल माना गया है उसमें

(श्री नत्थीसिंह)

आकर यह साबित कर सकता है कि रजिस्ट्रार का आदेश गलत हैं। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस कानून में वह नहीं किया गया है। ३२,३४ और ३६ के मामलों में अपील सुनने के पॉवर्स न्यायाधिकरण को होने चाहिए न कि राज्य सरकार को। वह खुद पॉवर लेती है वह १२२ में कार्यवाही करती है, १२३ में नहीं। वह सरकार को नहीं देना चाहिए, नहीं तो निश्चित रूप से यह खयाल पैदा होता है कि सरकार सहकारी समितियों को केवल अपने हाथ की कठपुतली मात्र बना देना चाहती है और इन प्रावधानों के द्वारा सरकार ने वह स्थिति पैदा कर दी है और आज रजिस्ट्रार को उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों, सहकारी समिति के लिए बना दिया है। सहकारी समितियों के बारे में रजिस्ट्रार तय करेगा और उसकी अपील राज्य सरकार सुनेगी। एक तरह से दोनों को एक मानते हैं। इसलिए जो मैंने कहा था कि जो नेशनल डेवलपमेंट कौन्सिल का रिज़ोल्यूशन है उसके विपरीत यह बात है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हरेक के लिए रखा है इतना भी एक्सेप्शन नहीं हो कि कोई सहकारी समिति अगर कर्ज नहीं लेती है, मदद नहीं लेती है। हम सहकारी समिति सहकारी भावना बना लेते हैं उसमें भी रजिस्ट्रार को और सरकार को हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया गया है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): उनने भी नहीं देगा।

श्री नत्थीसिंह: वह उसको रिफ्यूज कर सकता है यह भी अधिकार दिया है। जो पाबन्दी है कानून में उसमें राज्य सरकार को पूर्ण अधिकार है और यदि पाबन्दी किसी सहकारी समिति के साथ गलत कर दे तो यह अधिकार ऐसा रखा है कि मैं कहता हूं कि यह बिल्कुल गलत अधिकार दे दिया है। मैं कहता हूं कि मंत्री महोदय सिर हिला रहे हैं तो उन्होंने दिलचस्पी से इस कानून को नहीं पढ़ा है जितनी दिलचस्पी से मैंने इसको पढ़ा है, क्योंकि हमको भुगतना पड़ा है और आज वे इस स्थिति में हैं कि लोगों को भुगताते हैं। तो इस स्थिति में हम कानून के बायस को भुगतते हैं और फायदा उठाते हैं।

मैंने जाइन्ट को-ऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी के बारे में किताबें पढ़ी हैं। रूस, मैक्सिको और इज़राइल में जोइन्ट को-ऑपरेटिव फार्मिंग की अच्छी से अच्छी व्यवस्था है। उन्होंने यहां कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं रखा है। रूस में योजनाबद्ध प्रयास होता है। इजराइल और मैक्सिको में यह हालत है कि दोनों जगह मैंने देखा है कि जोइन्ट को-ऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज को अधिकार है कि वे अपने आप भरती करें। राज्य सरकार का उसमें कोई दखल नहीं है। वहां पर जनरल असेम्बली को अधिकार दिया गया है और जनरल असेम्बली का फैसला फाइनल है। यहां पर मामूली और मोटी मोटी बातों पर कन्ट्रोल किया है...

श्री मथुरादास माथुर (सहकारी मंत्री): इज़राइल में सोसाइटीज़ राज्य

(श्री मथुरादास माथुर)

सरकार की सहायता भी लेती हैं, यह बता दें ?

श्री नत्थीसिंह : आपने कौन सा एक्सपंशन किया है ?

श्री मथुरादास माथुर : वहां पर समितियां सरकार से ऋण या अनुदान में एक कौड़ी भी नहीं लेती हैं। न लेना है और न देना है। अपनी बनाते हैं और अपनी चलाते हैं। इजराइल की आप बात करते हैं तो इस बारे में भी मेम्बरों को सूचित करना चाहिए।

श्री नत्थीसिंह : मैं रूस और मेक्सिको की बात कहना चाहता हूं और सभापति महोदया, मैं यह बात कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप देते हैं उस तरीके से मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में कहना चाहता हूं कि अगर सरकार ऐसी सहकारी समितियों को मदद देती है तो कोई अहसान नहीं करती है। यह उनका फर्ज है और ये शब्द आप चाहें तो मैं पढ़कर सुना देता हूं। यह सरकार का फर्ज है, लेकिन कोई अधिकार नहीं है कि यदि आप पैसा दें तो किस तरह से कन्ट्रोल रखें...

श्री मथुरादास माथुर : सदन भी इस बात के लिए तैयार होगा ? अभी अपना कोर्पोरेशन बिल और कम्पनी का हो चुका है कि अनुदान जो दिया जाता है वह सदन की आज्ञा से और सदन के बजट में से दिया जाता है और उसके ऊपर कोऑपरेटिव सोसाइटी में भ्रष्टाचार हो, गड़बड़ हो तो उसकी जवाबदारी, सदन यह महसूस करता है, कि सरकार दे तो उस सूरत में अगर सरकार जो रुपया अनुदान का देती है और आप पास करते हैं तो देती है तो उस पर जो नियन्त्रण यह सदन रख सकता है तो वह सरकार की मार्फत ही रख सकता है। यह दृष्टिकोण अपनाया जाय कि अनुदान देने के बाद कोई नियन्त्रण नहीं हो तो......

श्री नत्थीसिंह : यह मैंने कतई नहीं कहा है। आप मुझे मिसइन्टरप्रेट कर रहे हैं। मैंने साफ साफ कहा है कि फर्स्ट इन्स्टान्स में आपके रजिस्ट्रार को यह अधिकार देना चाहिए कि जांच करे और चोरी की है तो एक्शन ले। उसकी अपील राज्य सरकार के पास नहीं हो और जो ट्रिब्यूनल नियुक्त करेंगे उस ट्रिब्यूनल के सामने उनको सफाई देने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन इस चीज से सहकारी समितियां केवल आपकी कठपुतली मात्र रह जायंगी। जिसको आप चाहेंगे उसको उठायेंगे और जिसको आप चाहेंगा बिठाना उसको आप बिठा देंगे। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बात कही है कि कोऑपरेटिव क्या हो, उस पर चलना चाहते हैं या नहीं—"Of course Government's business is to help. That is what the Government is for, I don't deny that. It must help but it is one thing to help and it is quite another thing to boss, and inevitably this tendency to boss comes in not so much-perhaps sometimes even there at the top levels but the lower down you go, the petty official becomes not the petty boss but a big boss."

(श्री नत्थीसिंह)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

थोड़ी देर में समाप्त करता हूं।

श्री मथुरादास माथुर : पेटी अधिकारी को नहीं देते हैं ; रजिस्ट्रार को दिया है।

श्री नत्थीसिंह : वह सारे पॉवर्स रजिस्ट्रार के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार को डेलीगेट होते हैं। सहकारी समितियां गांवों में काम करती हैं और रजिस्ट्रार के फन्क्शन्स जो इस विधेयक में दिये हैं वे असिस्टेंन्ट रजिस्ट्रार में डेलीगेट होते हैं और असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार से वे ए० आई० के पास चले जाते हैं। आप चाहते हैं कि सहकारी कानूनों को इस तरह से तोड़-मोड़ दें।

इसके अतिरिक्त दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह कहना चाहता हूं कि लैंड डेवलपमेंट बिल के सम्बन्ध में इस कानून में जो कुछ भी प्रावधान किये गये हैं इसमें कोई दो राय नहीं हैं।

(१ म. प.)

फिर भी मंत्री महोदय को याद दिलाना चाहता हूं कि इसमें दो बातें नहीं आई हैं। आपने स्वयं ने प्रश्न उठाया था कि कोई कर्जा मांगने आता है तो डूंडी पिटवाई जाय. लेकिन इसमें यह कहीं नहीं है; पहले वाला यों का यों विद्यमान है। मैं कहना चाहता हूं कि डूंडी पीटने का प्रावधान रखा जाय।

दूसरी बात यह है कि एक प्रतिबंध लगाया गया था टीनेन्सी एक्ट की तहत कि आप किसान को कर्जा देते हैं उसको अधिकार है कि वह सब-लीज़ कर सके। इसके साथ साथ यह अधिकार भी उसको रहता है कि लैंड मोरगेज़ करने के बाद भी सब-टीनेन्ट रखने का उसको अधिकार है, इसके लिये कंसेन्ट लेने की जरूरत नहीं है सिर्फ इन्फोर्मेशन दे दी जाय लेकिन कंसेन्ट लेने की शर्त नहीं लगा सकते। 'इन्फोर्मेशन' छोड़ दिया गया है। कंसेन्ट को हटाना चाहिये था, मोरगेज बैंक चाहे जैसा कर सकता है इसको हटाने का फैसला किया गया था लेकिन हटाया नहीं गया और बदस्तूर मौजूद है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल में बहुत ज्यादा संशोधन करने की गुंजाइश है। जैसा है वैसा पास हो गया तो नतीजा यह होगा जैसा यह होगा कि आपके रहनुमा पं० नेहरूजी ने कहा था वैसी एक ही बात होने वाली है। फिर तो आप डेमोक्रेसी की बात न करें, समाजवाद लाने की बात न करें। फिर तो यह कहो कि एक दूसरे ही तरह की व्यवस्था आप यहां कायम हो जायगी :

"Also remember that in the way we function it is obvious that whatever step we take in regard to Co-operation or anything else, it has to be in the democratic context, that, it has to get the goodwill of the people, you cannot force them, our Government would go the next day; unless the whole regime is changed."

(श्री नत्थीसिंह)

यदि आप कम्युनिस्ट शासन स्वीकार करते हो तो ठीक है राज्य सरकार के हाथ में सारी पॉवर्स दे दो। आप इसको इसी तरह से पास करना चाहते हैं, मैं इसका विरोध करता हूं, सही तरीके से किया जाना चाहिये।

श्रीमती सभानेत्री : श्री राधाकृष्ण गोयल।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : सभापति महोदया, राजस्थान राज्य में सहकारी आन्दोलन काफी ज्यादा फैल चुका है। अब इस आन्दोलन से जितनी हम जनता की सेवा करना चाहते हैं उतनी कर सके हैं या नहीं, आगे कर सकेंगे या नहीं, यह हमारे लिये एक गंभीर विचार का विषय बना हुआ है। इस सदन के कई माननीय सदस्यों ने समय समय पर बहुत सी बातों के सुझाव दिये उनके आधार पर यह आवश्यक समझा गया कि राजस्थान सहकारी संस्था विधेयक जो पहले से मौजूदा था उसके स्थान पर एक नया विधेयक बनाया जाय और उसमें जो विचार और सुझाव समय समय पर सदन में रखे गये थे उनको स्थान दिया जा कर इन समितियों में जो कमियां हैं उन पर गौर किया जाय।

सभापति महोदया, जब यह विधेयक प्रवर समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ था तब सभी माननीय सदस्यों का यह विचार था कि सहकारी समितियों में इस समय जो उनके उत्तरदायित्व के साथ साथ कई समितियों में उच्छृंखलता फैल गई है उसको किस प्रकार रोका जाय। जो सार्वजनिक धन का जनता के हित में और समाज की उन्नति में उपयोग होना चाहिये उसके स्थान पर उसका दुरुपयोग जब होता दिखाई दिया तो उसको रोकने की प्रोब्लम समिति के सामने आई, उस समय यह भी विचार आया कि इन संस्थाओं या सोसाइटीज़ के कार्यकर्त्ता सही उपयोग नहीं करके उसको स्वेच्छाचारिता से उपयोग करते हैं और अपने हित साधनों में खर्च करने का माध्यम बनाते हैं, उस पर किस प्रकार रोक लगाई जाय, इन बातों में से कुछ के लिये तो हमने प्रयास किया है और कुछ प्रावधान ऐसे रख दिये हैं कि जिनके कारण ये समितियां गड़बड़ियां या मनमानी करती हैं उन पर रोक लगा सकें इसके लिये राजस्थान सरकार को पॉवर्स दी गई हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत सी बातें अब भी ऐसी हो सकती हैं जिनको रोकने के लिये इस विधेयक में समुचित प्रावधान नहीं रखा गया है। मसलन अब तक यदि हिसाब लगाया जाय तो राजस्थान में करोड़ों रुपयों की बकाया ऐसी है जिसको वसूल करना नामुमकिन हुआ है तो वह विधेयक के कारण हुआ है। यदि हम ऋण देते समय कोलेटरल सीक्योरिटी की व्यवस्था करते हैं तो डिफॉल्ट की स्थिति में ऋण नहीं रहता, वसूली करने में कठिनाई नहीं होती यद्यपि वसूली के लिये आवश्यक प्रावधान बनाये हैं, लेकिन यदि कोलोटरल सीक्योरिटी की व्यवस्था की जाती तो ज्यादा निश्चित हो जाते।

इसी तरह जो धन जिस काम के लिये दिया जाता है उसका उसी काम के लिये उपयोग न करके दुरुपयोग किया है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

जानी चाहियें थी, हमने उस सख्ती से इस विधेयक के नियम नहीं बनाये हैं। जैसे कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ जो ऋण या उधार देती हैं, कई संस्थाओं में देखा जाता है कि ट्रेज़रार और मंत्री सारी रकम अपने पास रख लेते हैं और सदस्यों को नहीं देते, फर्जी अंगूठे लगा कर काम चला लेते हैं। कई सोसाइटीज में तो हजारों रुपये रख लेते हैं। फर्जी एप्लीकेशन देकर अंगूठा लगवा कर काम बना लेते हैं। इसको रोकने की व्यवस्था नहीं की गई है।

एक माननीय सदस्य : कोरम नहीं है।

(गणपूरक घंटी)

श्री राधाकृष्ण गोयल : सभापति महोदया, मैं निवेदन कर रहा था कि सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण जनसाधारण तक या जिनको आवश्यकता हो ऐसे व्यक्तियों तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है उसमें कई जगह त्रुटियां प्रतीत हुई हैं, जो एच्छिक उपयोग था वह पूरा नहीं कर पा रहे हैं। यदि हम दुरुपयोग को चैक कर सकते, धन का दुरुपयोग रोक सकते, तो यह हमारे विधेयक की सफलता होती।

इसी प्रकार जो सहकारी समितियों द्वारा व्यापार का काम किया जा रहा है उसमें भी कई प्रकार की शिकायतें समय समय पर इस सदन में उपस्थित हुई हैं। जो लोग इस संस्था के माध्यम से स्वयं मालदार बनना चाहते हैं उनको भी रोकने के लिए इस विधेयक में समुचित व्यवस्था की जानी चाहिये थी और आज सहकारी संस्थाएं जो जन साधारण के हित के काम को लेकर समाज और राज्य की आर्थिक दृष्टि से अग्रसर करना चाहिये था यह भावना कहीं पर है कहीं पर नहीं है। जहां पर यह भावना नहीं है वहां पर व्यक्ति विशेष इन संस्थाओं पर छा जाते हैं और अपने निजी लाभ के लिए इन्हें उपयोग करते हैं और लाखों रुपये इधर से उधर कर देते हैं, जनता का शोषण किया जाता है। इस प्रकार के शोषण को समाप्त करने के लिए जो सहकारी कार्यक्रम रखा गया है वही शोषण स्वयं करने लग जाते हैं, यह हमारे लिए दुर्भाग्य की चीज बन जाती है। इस विधेयक में इस बात की अत्यन्त आवश्यकता थी। सहकारी संस्था में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी पद पर हो, किसी प्रकार का शोषण या दुरुपयोग अपने हित में नहीं कर सके, इसकी पूरी व्यवस्था करनी चाहिये थी। इसलिये सभापति महोदया, जो प्रावधान इसमें रखे जाने चाहिये थे उनको रखना जरूरी था।

हमारे देश में और हमारे राज्य में सहकारिता आन्दोलन यद्यपि कई वर्षों से चालू है पर फिर भी हम सहकारिता की भावना जनता में और उसके साथ ही अपने आप में एक कैरेक्टर का निर्माण नहीं कर पाये हैं। इसलिए जो भी सहकारिता आन्दोलन में संस्था बनती है उसमें यह दृष्टि रही है कि इसके द्वारा कितनी सहायता ले लेंगे, कितना लोन ले लेंगे और कितना अन्य फायदा उठा लेंगे। मैं समझता हूं कि जो भी सहकारी संस्था बनायें उसमें यह भावना

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

रहनी चाहिए कि इसमें ज्यादा से ज्यादा समय दें, ज्यादा से ज्यादा योगदान दें और इसके द्वारा जनता का कल्याण करें। यह भावना सहकारी संस्थाओं में विद्यमान हो तो सहकारिता आन्दोलन सफल हो सकता है। लेकिन जहां पक्षपात हो, जहां पर भ्रष्टाचार हो और जहां पर केवल अपने फायदे की दृष्टि से सोचा जाय, जहां केवल शोषण के रास्ते सोचे जायं—और उन्हीं के अनुरूप रास्ते काम में लाये जायं तो भले ही आपका सहकारिता आन्दोलन व्यापक हो जाय और एक्सचेंकर के इस आन्दोलन में लाखों और करोड़ों रुपये उठ जायं तब भी यह कागजों में और रिपोर्ट में तो एक सुन्दर आन्दोलन नजर आयेगा, लेकिन इसके द्वारा एक शोषण का नया मार्ग खुल जायगा और जो अब तक शोषण होता रहा है उससे ज्यादा शोषण होगा, इन संस्थाओं के द्वारा शोषण होगा।

सभानेत्री महोदया, मेरा इसमें निश्चित विचार यह रहा है कि इसके विधेयक को प्रारम्भिक वर्षों के अन्दर तो कठोर बनाया जाय और इस बात की चिन्ता न की जाय कि कम या ज्यादा या कैसी रजिस्ट्रार को पॉवर दें, डेमोक्रेसी के अन्दर नौकरशाही को इतना अधिकार दे दें, ट्रिब्यूनल को पॉवर दे दें और राज्य सत्ता को जो अधिकार हैं वह कम हैं या ज्यादा। वास्तव में विचार करके यह प्रोग्राम बनाना है कि आखिर में ऐम क्या हो, आखिर में लक्ष्य क्या हो, आखिर में इसके जरिये क्या होने वाला है। जब सहकारी आन्दोलन में देखते है नई नई संस्थायें, नई नई संस्थायें हमारे सामने आती हैं, उनमें नये नये सदस्य और नये नये अधिकारी संस्थायें चलाने के लिए आगे आते हैं और उनके सामने आकर्षण और लालच रहता है तो जब तक इस लालच को नहीं रोका जाता है तब तक सहकारी आन्दोलन का जो विकास करना चाहते हैं, जो प्रचार करना चाहते हैं वह इन सहकारी संस्थाओं के द्वारा नहीं होगा। इसलिए जो राज्य को ज्यादा अधिकार देने के लिए यह विधेयक आया है, हमें इस विधेयक के जरिये इस प्रकार की धारायें बनानी चाहिएं, इस प्रकार से इसे सख्त विधेयक बनाना चाहिए जिससे जो कई व्यक्ति यह सोचते रहते हैं कि हम किस प्रकार संस्था के द्वारा समाज में अंधकार लावें, समाज में शोषण को किस तरह बढ़ायें और हम किस तरह से मालदार बन जायं—ऐसे आदमियों को ऐसी कार्यवाही करने का अवसर नहीं मिले, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी स्तर का हो, निम्न स्तर का हो या उच्च स्तर का हो। तो सबसे पहले सहकारी आन्दोलन को सफल बनाने के लिए हमें जनता की भावनाओं को बदलना आवश्यक है। जब तक इसमें आकर्षण के मार्ग दिखते रहेंगे, प्रलोभन दिखते रहेंगे और जब तक आदमियों के उसमें फंसने की गुंजाइश नजर आती रहेगी तब तक यह मुश्किल हो जाता है कि कोई भी इस प्रकार का व्यक्ति सही मार्ग पर चल कर ईमानदारी से काम कर सकेगा। इसलिए सभापति महोदया, प्रवर समिति के समक्ष जो मैंने धारणा रखी वह यह रखी कि अभी तक यह स्थिति है, लूटो, खाओ और मौज उड़ाओ। यह माध्यम सहकारी संस्थाओं का नहीं रहना चाहिए। सहकारी आन्दोलन को सफल बनाने के लिए हमें इस

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

भावना को जागृत करना पड़ेगा कि ईमानदारी से काम करें। जब हम देखते हैं कि सर्विसेज में और प्रशासन में गड़बड़ियां हैं तो बार बार इनको कहते हैं कि ऐसी संस्थाओं में जो डैमाक्रेसी का आधार हैं, इनमें गड़बड़ियां इस प्रकार पैदा होती रहीं तो यह संस्थायें डूबेंगी और साथ ही राज्य को और देश को भी डूबा देंगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन चीजों को रोकने के सम्बन्ध में जो कुछ करना चाहिए वह अवश्य करना चाहिए और सहकारी मंत्री, जो इसके थे, उन्होंने इसमें अभी कुछ प्रगति की है, पर इतनी प्रगति नहीं की है कि इन कमियों को सख्ती से दूर कर सकें। इसलिए मैंने यह अपना असहमति का पत्र लिखा है।

जहां तक इसके सम्बन्ध में मिसालों का ताल्लुक है, राजस्थान की बहुत सारी मिसालें मेरे पास हैं। मेरी जानकारी में हैं और मैं उनको लिपिबद्ध तरीके से सुनाऊं तो एक घंटे में भी पूरी नहीं सुना पाऊंगा, जिनमें करीब एक करोड़ से ज्यादा की रकम है जो कि लोगों को दी है और उनसे वापिस लेने का कोई सवाल नहीं है। इस प्रकार की बहुत सी ऐसी संस्थायें हैं, जिनमें जो लोन्स दिये हैं वह सौ आदमियों के नाम से एक आदमी ने लिये हैं और वह आराम से बैठा हुआ है। कई कोऑपरेटिव सोसाइटीज बोगस होती हैं, उनमें उनके परिवार के सदस्य होते हैं जिन्होंने एक बार अगूंठा निंवासी कर दी और बाद में उनको पता नहीं रहता कि सोसाइटी है या नहीं है। ऐसे लोगों का यह उद्देश्य रहता है कि जो राज्य सरकार ने नियम बना दिये हैं उन नियमों का नाजायज फायदा उठाया जाय। मैं आपको मिसाल के तौर पर टोंक जिले की पांच-सात समितियों के नाम गिनाता हूं......

श्री रामानन्द अग्रवाल : इससे क्या फायदा होगा ?

श्री राधाकृष्ण गोयल : फायदा तो यह है कि जो उप-मंत्रीजी बैठे हैं वह जो कुछ कार्यवाही हुई है उसके सम्बन्ध में प्रकाश डालेंगे और जांच करवा लेंगे। इस प्रकार के सैकड़ों और हजारों उदाहरण होंगे। पहले इस प्रकार का जो विधेयक था और अब जो दूसरा विधेयक बना रहे हैं उससे आप इन चीजों को नहीं रोक सकते हैं। इसलिए आपको विधेयक ऐसा बनाना चहिए जिससे सख्ती हो सके........

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : कौन से ऐसे उदाहरण हैं, यह बता दें।

श्री राधाकृष्ण गोयल : मैं आपको बताऊं, देखिये, मैं पहले टोंक से चलता हूं.......

श्री मानसिंह मद्दार (आमेर) : क्रय-विक्रय संघ से शुरू करें।

श्री राधाकृष्ण गोयल : वह राजस्थान लेवल का मामला है, इसलिए मैं नहीं कहना चाहता।

श्री मोतीलाल चौधरी : चेअरमैन महोदया, जिस सेक्शन के बारे में आप

श्री मोतीलाल चौधरी)

सोचते है कि उस सेक्शन में कुछ ऐसी बात है तो उसके बारे में आप बात करें। जिस सेक्शन में कुछ कमजोरी हो, उसके बारे में बतायें। ...

श्री मानसिंह महार : कमजोर यही है कि करोड़ों रुपया खा गये और आप कुछ नहीं कर सके, सरकार कुछ नहीं कर सकी।

श्री राधाकृष्ण गोयल : सहकारिता आन्दोलन में.......

श्री मोतीलाल चौधरी : इस प्रकार केवल बात करने से नहीं होता है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : हम इस उद्देश्य की पूर्ति की आशा करते हैं कि हम शोषणहीन समाज की रचना कर सकेंगे। लेकिन वे शोषण करने वाली संस्थायें बन जायें और दूसरों के हक की चीज को खुद खा जायं तो शोषणहीन समाज की रचना तो केवल नाम मात्र रह जाती है और शोषणहीन समाज से बिल्कुल विपरीत ये कारनामे रहते हैं। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं कि क्रय-विक्रय संघ का गुड़ आया, निवाई रेल्वे स्टेशन को जयपुर से। और जो ट्रेड के लिए दिया तो उसमें लिख दिया गया कि इसको दुगने और डेढ़ गुने भाव में बेचो। उस तरह गुड़ बेचा तो यह मामला पुलिस में गया। उसके बाद राजस्थान राज्य के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार ने कई महीनों की जांच के बाद पुलिस को यह मामला दे दिया। लेकिन पुलिस के उच्चाधिकारियों के द्वारा या मंत्री मण्डल के सदस्योंके द्वारा यह मामला दबा दिया गया और उसमें अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। एफ० आई० आर० वहां के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार के स्वयं के द्वारा, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज के आदेश से दी हुई है, लेकिन उसमें जो जांच होनी चाहिए थी...

श्री चन्द्रसिंह बर्फा (बिलाड़ा) : आपका क्या सजेशन है उसमें, वह बतावें।

श्री मानसिंह महार : ज्यादा पॉवर्स दें। आप समझते तो नहीं हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल : सजेशन आप सुनें।

श्री मानसिंह महार : यह सजेशन है कि ऐसे लोगों को निकाल दिया जाय और ऐसे आदमियों को जेल में डाल दिया जाय।

श्रीमती सभानेत्री : काफी लोगों को बोलना है इसलिए जल्दी समाप्त कर दें।

श्री राधाकृष्ण गोयल : एक बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति है जो 'बी' क्लास में है। उसको जितना ऋण दिया गया है वह एक व्यक्ति लक्ष्मीनारायण अग्रवाल......

श्री मथुरादास माथुर : कौन सी सोसाइटी ?

श्री राधाकृष्ण गोयल : मालपुरा ग्रामीण बहुउद्देश्यीय सोसाइटी। उसका जितना पैसा है, वह लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, जो रूई का व्यापार फेक्ट्री के रूप में चलाता है, वह सारा रुपया उस आदमी के

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

पास है। वह 'बी' क्लास में होते हुए, क्योंकि ऊपर का दबाव है, इसलिए फिर ऋण दिया गया है जब कि पहले बैंक की एग्जीक्यूटिव बॉडी ने, वहां की बैंक ने मना कर दिया था। बाद में इन्टरफियरेन्स के कारण दुबारा ऋण दिया गया और वह भी वापिस होने का नहीं है।

इसी तरह हैदरपुरा सहकारी समिति में है, वहां के एक व्यक्ति के पास बारह हजार रुपया कई साल से मौजूद है, जो कि न तो शेअर होल्डर्स को बांटा है और न बैंक में जमा कराया है। हैदरपुरा, सोरी, हाजीपुरा तहसील टोंक में यह स्थिति है।

हैदरपुरा में भी करीब छः हजार रुपये का गबन कई सालों से चल रहा है लेकिन उसकी वसूली की समुचित कार्यवाही नहीं हो रही है।

पूदिया सहकारी समिति के जो ट्रेजरार या मंत्री थे उसने अपने पास कई सालों से इस प्रकार का गबन का रुपया रख लिया है, वह न तो बैंक में जमा हुआ है और न सदस्यों में बांटा गया है।

पीपल सहकारी समिति में बीस हजार रुपया उसने अपने पास रखे, उसका ब्याज उसने खुद लिया। बाद में पंचायत से बीस हजार रुपया लेकर जमा करा दिया। उसके बाद फिर रुपया ले लिया। इस प्रकार उसने सैंकड़ों रुपये के ब्याज का फायदा उठाया और अपने काम में वह रुपया लिया।

इसी तरह कई मिसालें हैं। निवाई मार्केटिंग सोसाइटी है। इसमें भी काफी माल का ब्लैक किया गया है और खुद के काम में ले लिया है और उसकी शिकायत यहां पर आई तो गवर्नमेंट ने इसकी जांच भी की, मगर कुछ ढिलाई की है यह सरकार बहुत अच्छी तरह समझ सकती है। यह सुझाव रखा गया कि इसमें इतनी कठोरता रखी जावे कि कोई अपराध कर दे तो किसी को उसको बचाने का अधिकार नहीं दिया जावे। उनको भी ४०९ में सजा दी जानी चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि इनको सजा नहीं दी जावे चाहे वे ४०९ का अपराध करते हों। मैं यह कहूंगा कि यदि इस प्रकार का कोऑपरेटिव सोसाइटी अपराध करती है तो उसको अवश्य सजा दी जानी चाहिये, क्योंकि वह एक तो अपराध करती है और दूसरा विश्वासघात करता है। इसलिये उसको ४०९ में दूसरों से पहले सजा मिलनी चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिये मैं यही अर्ज करूंगा कि समय समय पर संशोधन आवेंगे उस पर विचार किया जावे और इस संस्था को सही रूप में सेवा करने वाली संस्था बनाई जावे।

श्री मानसिंह मह्रार (आमेर) : सभापति महोदया, राजस्थान सहकारी संस्था विधेयक, १९६४ प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत हो रहा है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अभी मेरे एक मित्र ने इस बात के लिये रोष प्रकट किया कि धारा ३६ में सरकार ने

(श्री मानसिंह महार)

पॉवर ली है वह ठीक नहीं है। मैं कहता हूं कि मेरा जो नोट ऑफ डीसेन्ट है वह यही है कि सरकार को कुछ पॉवर्स नहीं हैं और मैं अपने तर्क द्वारा इस बात को सिद्ध करूंगा कि सरकार ने जो पॉवर्स लिये हैं वे कुछ नहीं हैं। आज सहकारी समितियों की क्या हालत हैं और सरकार करोड़ों रुपया सहकारी आन्दोलन में खर्च कर रही है; उन करोड़ों रुपयों का चन्द गुट के व्यक्ति दुरुपयोग कर रहे हैं। इससे बचने के लिये सरकार के पास एक ही तरीका है और वह यह कि सरकार सारी बोगस संस्थाओं को एक बार डिज़ॉल्व कर दे। यह बात मैंने कई दफा जोर देकर कही थी कि अगर राजस्थान में सहकारी आन्दोलन को सफल बनाना है तो इसकी बोगस सोसाइटीज़ को एक दम समाप्त कर देना चाहिये और इसको दुबारा चलाना चाहिये तब काम हो सकता है। वर्ना आज हमारा सहकारी आन्दोलन चन्द स्वार्थी लोगों के हाथ में चला गया है और जब तक इसको उन लोगों के चंगुल से नहीं निकाला जावेगा यह फेल हो जावेगा।

सभापति महोदया, मैं आपसे निवेदन करूं, और बातों पर तो मैं बाद में जाऊंगा पहले धारा ३६ के बारे में बातें कही है कि प्रोसीडिंग्ज़ चालू होने के बाद उसको चुनाव नहीं लड़ने दिया जावे। यह सरकार का उचित कदम है। मैं इसके लिये सरकार को धन्यवाद देता हूं कि वह इस प्रकार का कानून लाये हैं। मैं आपको निवेदन करूंगा, एक सहकारी समिति का मुझे मालूम है कि उनका सेक्रेटरी श्री रामलाल है, उसने कोऑपरेटिव बैंक से रुपया लिया और ५,०००) रु० सहकारी समिति के कोष में जमा नहीं कराया। सभापति महोदया, वह इस चीज के लिये पकड़ा गया और उसका अदालत में चालान हुआ। मगर अदालत में भी क्या किया जा सकता है? अदालत भी क्या करें? गवाहों को नहीं आने दिया जाता है। उनको पैसा दे कर रोक लिया जाता है और ऊपर से भी सिफारिश आ जाती है और उसका नतीजा यह होता है कि मुकदमा ५-१० वर्षों तक हैंग ओन रहता रहता है और जो संस्था के मालिक हैं वे लोग चुनावों में मुतवारित आ जाते हैं क्योंकि जनता जानती नहीं है। मैं रामजीलालजी का जिक्र कर रहा था। उसको तीन वर्ष हो गये हैं। सन् १९६२ में चुनाव जीत कर आने के बाद मैंने फर्स्ट इश्यू उठाया था कि इनका चालान हो जाना चाहिये। सरकार यह जवाब दे चुकी है कि उनका चालान हो गया और अदालत में मामला है। मगर आज तक ५०००) रु० उनसे वापिस नहीं लिये गये हैं। इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि वे पहले तो मंत्री ही थे। अब के चुनावों में चुन कर अध्यक्ष हो गये हैं। सरकार के सिर पर पहले मंत्री बन कर काम करते थे और अब अध्यक्ष हो गये हैं। सभापति महोदया, हमारी सरकार उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकी। मैं यह मानता हूं कि सरकार को दफा ३६ का पॉवर दिया जाना बहुत जरूरी है। इस प्रकार के बहुत से मसले मैं जयपुर के आस-पास के दे सकता हूं फिर भी मेरे एक मित्र कहते हैं कि यह नहीं होना चाहिये। जैसा मैंने कहा कि इन चोर गुदड़ियों को बन्द कर दिया जावे।

(श्री मानसिंह महार)

मैं सहकारी समितियों को चोर गुदड़ियें कहता हूं। इनको आप खत्म कर दीजिये और उसके बाद आप इस सदन में हिम्मत पहले करके कहिये कि पहले जो चोर गुदड़ियें थी वे हमने समाप्त कर दी हैं और अब ईमानदार आदमी सहकारिता में आये हैं। तब सदन इस पर विचार करेगा। मैं हमेशा इस बात का विरोधी रहा हूं कि सरकार को अधिकार नहीं दिये जावें मगर सहकारिता के बारे में मैं यह मानता हूं कि अगर इसे खड्डे से निकालना है तो सरकार पूरे पॉवर्स अपने हाथ में लेकर इसे दुरुस्त करे।

सभापति महोदया, सहकारिता के क्षेत्र में क्या क्या नहीं देखा हमने। इस सहकारिता आन्दोलन ने जयपुर के इस गुड़ को गोबर कर दिया....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : गुड़ का गोबर नहीं, चांदी कर दिया।

श्री मानसिंह महार : यह कांग्रेस की चांदी हो सकती है, मगर जनता जनार्दन के लिये यह गोबर हो गया। मुझे मालूम है क्रय विक्रय संघ ने क्या किया। कांग्रेस के लिये क्या कहें, यह तो चौधरी कुम्भारामजी ने कमाये हैं. यह बात मैं सदन के फ्लोर पर कहना चाहता हूं कि क्रय विक्रय संघ ने पैसा कमाया और किसी ने नहीं कमाये, चाहे राजस्थान का पुलिस विभाग नीचे के क्लर्कों को गिरफ्तार करे या किसी और को, मगर उनको ईमानदारी से काम करना है तो उनको चाहिये कि जेल के सींकचों में चौधरी कुम्भाराम को डालना चाहिये। उनको इस प्रकार के कारनामों के बाद भी रेवेन्यू मिनिस्टर बनाया है तो मैं यह कहूंगा कि नन्दाजी की जो यह आवाज थी कि भारतवर्ष से भ्रष्टाचार को रोका जायगा। मगर उनकी इस आवाज का सर्वनाश हो गया और नन्दाजी ने चौधरी कुंभाराम को ट्रेजरी बेंच पर बिठला कर, मैं कहूंगा कि कि भ्रष्टाचार को पनपा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह हमारा दुर्भाग्य है कि आज राजस्थान सरकार ऐसे आदमियों को ट्रेजरी बेंच पर बिठलाती है। यह हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि आज तक इस क्रय-विक्रय संघ को आपने डिजोल्व नहीं किया और उन्होंने कुंभाराम जी के खास गुर्गे को प्रेसिडेन्ट बनाया। यह और भी दुर्भाग्य की बात है। इसके बाद में आपने देखा कि किस नाटकीय ढंग से क्रय-विक्रय संघ की तिजोरी को कूए में डाला गया? क्या षडयंत्र था? मैं यह कहना चाहता हूं कि जो कैरों हत्याकाण्ड का षडयंत्र था, बलदेवसिंह और सुच्चासिंह के साथ मिल कर षडयंत्र किया गया था उसी तरह से।

उसके पीछे क्रय-विक्रय संघ के चोट्टाई के जो कागजात थे उनको इधर-उधर करने का षड़यन्त्र था। यह सब ढकोसला है कि चौकीदार ने और एक कर्मचारी ने मिल कर यह काम किया। मैं कहता हूं, यह सब रुपयों के लिए नहीं किया गया बल्कि चोट्टाई के कागजात थे उनको इधर-उधर करने का षड़यन्त्र था। और वे फाइलें जला दी गई उसकी आड़ में, और आज कहा जाता है कि तिजोरी वैसी की वैसी मिल गई। सभापति महोदया, आप भी विचार

(श्री मानसिंह महार)

कीजिये, १००–२०० गज की दूरी पर कुएं में तिजोरी को डाला जाय और किसी को पता नहीं चले। वह तो क्रय-विक्रय संघ के अध्यक्ष और नीचे के कर्मचारी की साजिश थी, मिल कर यह काला कारनामा किया था। उसमें भी चौकीदार को क्यों पकड़ा गया, पकड़ना था तो क्रय-विक्रय संघ के सब कर्मचारियों को तथा और लोगों को पकड़ना था।

दिल्ली से और दूसरी जगहों से लाखों रुपयों का मेवा आया। क्रय-विक्रय संघ में कपूर आया, केम्फर जिसको कहते हैं, वह आया। वह सब गया कहां? जरा जवाब तो दें, क्रय-विक्रय संघ के अध्यक्ष भी यहां बिराजते हैं, वे सदन को बतायें कि वह सस्ता मेवा, कपूर कहां गया, आपको वह मेवा खा खाकर भैंसा बनने के लिए नहीं दिया, वह राजस्थान की जनता के लिए था।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़): आदमी भी भैंसा बन सकता है क्या?

श्री मानसिंह महार: वह तो मुझे क्या पूछते हैं? आप खुद देख सकते हैं, मुझे मालूम है, सभापति महोदया, ...

(श्री मोतीलाल चौधरी के खड़े होने पर)

क्यों खड़े होते हैं, मुझे कह लेने दो फिर जवाब दे देना।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना): माननीय सदस्य नाराज हैं। कम से कम सभ्य शब्दों का प्रयोग करें। किसी को भैंसा कहना, गुर्गा कहना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे शब्द काम में नहीं लें, तथ्यपूर्ण बातें सदन के सामने रखें; किसी को भैंसा कहना, किसी को गुर्गा कहना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सभ्य शब्दों को काम में लें।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): यह आपको नहीं कहा। आपने तो अभी चार्ज सम्हाला है। आपके पहले थे न, उनके लिए कहा है। माननीय सदस्य ने कहा, वह कहां तक सही है, पर आपके लिए नहीं आपसे पहले थे उनके लिए कहा है।

श्रीमती सभानेत्री: माननीय सदस्य को बोलने दीजिये।

श्री मानसिंह महार: मैं इस सदन की फ्लोर पर फिर उस चार्ज को रिपीट करता हूं, क्रय-विक्रय संघ में करोड़ों रुपयों का घोटाला है।

श्री मोतीलाल चौधरी: सारी ही गलत बात है।

श्री मानसिंह महार: तुम जैसे ×× के कहने से गलत नहीं मानता, कोई ईमानदार मंत्री, उपमंत्री कहें कि गलत है तो जवाब दूंगा। गलत नहीं, करोड़ों का घोटाला है।

श्री मानिकचन्द सुराणा: On a point of order, Sir....

×× अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

श्री भीमसिंह (उपमंत्री, सहकारिता) : जो शिकायत थी, उसकी इन्क्वायरी हो रही है, जब तक कुछ भी साबित नहीं हो जाता तब तक न सही कह सकते हैं और न गलत कह सकते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सभापति महोदया, कुछ संसदीय परम्पराएं हैं। जब व्यवस्था का प्रश्न हो तो माननीय सदस्य खड़े हों तो वे आसन ग्रहण कर लें। मुझे सख्त अफसोस है कि माननीय उपमंत्री जी इतनी साधारण सी बात को नहीं समझते और पोइन्ट ऑफ ऑर्डर के बीच में बोलने लग गये...

श्री भीमसिंह : जब मैं श्री महार का जवाब दे रहा था तो आप खड़े हो गये।

श्री मानिकचन्द सुराणा : माननीय सदस्य ने ×× शब्द का इस्तेमाल किया है, आप जैसे ×× मैं समझता हूं इस सदन के किसी माननीय सदस्य के लिये इस प्रकार के शब्द कहना ससदीय परम्परा के प्रतिकूल है, इसलिये हाउस की प्रोसीडिंग्ज़ से इस शब्द को निकाल दिया जाय।

श्रीमती सभानेत्री : ठीक है, इसे निकाल दिया जाय।

श्री मानसिंह महार : अगर ×× शब्द को निकाल दिया जाय तो वह सेन्टेन्स बिल्कुल तथ्यहीन हो जायगा, अर्थहीन हो जायगा, इसलिये ×× शब्द का पार्लिया-मेटरी शब्द जो हो वह मुझे भी बता दिया जाय ताकि आइन्दा के लिये ध्यान रखूं कि ×× की बजाय क्या कहूं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : खा जाने वाले।

श्री मानसिंह महार : खा जाने वालों, लूटने वालों की संस्था है, यह जोड़ दिया जाय। तो मैं कह रहा था माथुर साहब को कि इस बिल में काफी पॉवर दिये जाय, सरकार काफी पॉवर दिये जायं। इस मुद्दे की मदद में मैं कह रहा था कि जयपुर क्रय-विक्रय संघ ने, राजस्थान राज्य के क्रय-विक्रय संघ ने जिसके दरवाजे पर पांच पांच मटके लगे हुए हैं उसमें कपूर आया उसको सोलह गुनी कीमत पर ब्लैक मार्केट में बेचा। जो मेवा वगैरह आया वह अपने रिश्तेदारों को, अपने पास पड़ौस वालों को सस्ते भाव में दिया और उनकी तन्दुरुस्ती को खराब किया, बहुत सी मौतें हुई हैं उनके रिश्तेदारों में यह मेवा खाने से।

श्री भगराज चौधरी (रानीवाडा) : I raise a point of order, Sir. मेरा पोइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है कि जो सहकारी विधेयक सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है, उस विधेयक के सम्बन्ध में ही माननीय सदस्यों को कहना चाहिये, सहकारिता के सम्बन्ध में घोटाले हुए हैं, उन घोटालों के सम्बन्ध में न कह कर विधेयक के सम्बन्ध में कहें तो सदन का समय बचेगा...

श्री मानसिंह महार : और कौनसी बात कहूं।

××× अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

Page No.70

श्री भगराज चौधरी : भाषण जो भी हो बिल के सम्बन्ध में हो, ताकि सदन का समय बचे और बिल के सम्बन्ध में आवश्यक सुझाव सदन के सामने आ सकें।

श्री मानसिंह महार : कुछ लोगों को जो बातें मैं कहता हूं अच्छी नहीं लगतीं। जो नेक सलाह दी जाती है वह सन् १९६७ में अच्छी लगेगी जब इस प्रकार के कारनामें करने वाले ६७ में आम चुनावों में हारेंगे। गुड़ का घोटाला, शक्कर का घोटाला कर के पंचायतों के चुनाव जीते हैं। ६७ में लाभ नहीं मिलने वाला है. जनता जनार्दन अब वह लाभ आपको नहीं उठाने देने वाली है। अभी तो गुड़ घोटाले का पैसा लोगों को दे दिया और पंचायतों में जीत गये पर आम चुनावों में, आम जनता, जिसका पेट आपने काटा है, गुड और चीनी ब्लैक में बेची है, मेवा आपने खाया है, वह जनता आपसे इसका बदला लेगी।

श्री फूलचन्द जैन : पंचायतों में क्या आम जनता ने वोट नहीं दिये ?

श्री मानसिंह महार : आपने भेड़ का चमड़ा ऊपर पहन कर कह दिया कि हम तो कांग्रेसी नहीं हैं, बाद में उस भेड़ के चमड़े को उतार फेंका। यह आपको मालूम नहीं है, यह आपने बुद्धिमानी की, मैं दाद देता हूं।

श्री दौलतराम सारण (उप-मंत्री, स्वायत्त शासन) : भेड़ की खाल हटाने का आपकी रानी साहिबा, राजा साहब, और उनके बहुत से सिपहसालार ने भी गुड़ खांड का बखान हनुमानगढ़ के चुनावों में किया, उसके बाद भी जनता ने जवाब दिया था। वह मालूम नहीं ?

श्री मानसिंह महार : मालूम है, सभापति महोदया, मैं कहना नहीं चाहता था आपने याद दिला दिया। लोगों के गलत तरीके से मकान पहले तो बनाने दिये और बाद में बुलडोजर से उन मकानों को तुड़वाया गया।

श्री दौलतराम सारण : यह गलत है, गलत बातें कहने की आपकी आदत बन गई है।

श्री मानसिंह महार : हनुमानगढ़ में ट्रान्सपोर्ट का नेशन- लाइजेशन नहीं करके वहां के ट्रान्सपोर्ट मालिकों से लाखों रुपया लिया, यह चोट्टाई नहीं थी क्या ? क्या यह ईमानदारी थी ? कैसे यहां से बुलाते हैं, कितने परमिट दिये, कितने खोटे परमिट दिये।

श्री दौलतराम सारण : मुझे आपत्ति है सभापति महोदया, कि इस प्रकार के सरसरी तौर से आरोप रख रहे हैं, यह परम्परा अनुचित है। माननीय सदस्य के पास प्रमाण हो तो प्रमाण सहित कहें, सरसरी तौर से बिना प्रमाण के चोर, बेईमान कह देना, यह अत्यन्त आपत्तिजनक है।

श्री मानसिंह महार : चौधरी कुंभाराम ने क्रय विक्रय संघ में भ्रष्टाचार किया, यह बिश्नोई कमेटी की रिपोर्ट है, उससे सिद्ध है। मैं लिख कर देता हूं।

सभापति महोदया, चौधरी कुंभाराम के विरुद्ध एक इम्पार्शियल हाई कोर्ट के जज के द्वारा इन्क्वायरी करायी जाय और हाई कोर्ट जज इस चीज़ से इन्कार करेगा कि जो

(श्री मानसिंह महार)

कुछ मैं कहता हूं वह गलत है तो मैं सजा भोगूंगा, उस हाई कोर्ट के जज का जितना खर्चा पड़ेगा वह मैं मेरी जेब से दूंगा और आप चाहें तो जमानत ले लीजिये और मेरा मकान गिरवी रख लीजियेगा और मैं चैलेन्ज देता हूं उप-मंत्रीजी को जो कुम्भारामजी के गुर्गे हैं.......

श्री दौलतराम सारण : आप गलत कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं वह सत्य है।

श्री मानसिंह महार : क्या सत्य है। इन × × × × पर पर्दा डालते हो। उसको छिपाते हो।

श्रीमती सभानेत्री : मुझे इस × × × × शब्द पर आपत्ति है। आप कृपया इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग आगे से न करें और इस शब्द को यहां से निकाल दिया जाय।

श्री मथुरादास माथुर : मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य को पूरा अधिकार है इस सदन के फ्लोर पर जो कुछ कहना चाहें वह कहने का। जो कुछ वे कहते हैं उसको हम सुनते हैं और हर मुद्दे का उनको जवाब दिया जावेगा। एक एक चीज का उनको जवाब दिया जावेगा। यह ऐसा विषय नहीं है कि सदन में इस पर पहली दफा ही बहस हो रही है। कई दफा यह मसला आया है और सदन में और बाहर भी इस की कई दफा चर्चा हो चुकी है, उसके बाद फिर इसी पर चर्चा की जाय, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि दूसरे मुद्दे भी हैं उन पर आप चर्चा करें। जो कुछ इस में कहा है आप उन पर भी चर्चा करिये। बिश्नोई कमेटी की रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी गई है। कोई नई बात आप नहीं जानते हैं।

श्री मानसिंह महार : सभापति महोदया, माननीय मंत्रीजी ने जो कुछ कहा है वह उचित है और मैंने जो कुछ कहा है अपनी तुच्छ बुद्धि में वह भी सही है।

श्री दौलतराम सारण : बुद्धि तो है ही नहीं।

श्री मानसिंह महार : तुम्हारे तो गोबर भरा हुआ है भेजे में।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य, फिर आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो कि आपत्तिजनक हैं। मैं आपको चेतावनी देती हूं कि यदि आपने आगे अपने भाषण में इस प्रकार के अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया तो मैं आपको आगे बोलने नहीं दूंगी।

श्री मानसिंह महार : मुझे डिस्टर्ब न किया जाय।

श्रीमती सभानेत्री : आप भी डिस्टर्ब मत करिये और आप भी अपशब्द न कहिये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : आप अत्यन्त उग्र स्वरूप धारण मत करिये।

× × अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाल गये।

श्री मानसिंह महार : लीडर महोदय की और सभापति महोदया की आज्ञा मानते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन कर रहा था कि उन्होंने जो कुछ फर्माया वह उचित है। वे हमें बतायेंगे और जो कुछ इस विषय में कहेंगे वह भी हम जानते हैं लेकिन रोष प्रकट करना इतना ही है कि आप एन्टीकरप्शन के महकमे को दे देते हैं और लालाराम और उसके एक दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया और उनसे पूछताछ करें वह तो एक जनता को हुडविंक करना है। मैं आप को सही कहता हूं कि वह तो जनता को एक धोखा देना है। आप समझते हैं कि किसी कोआॅपरेटिव सोसाइटी में गबन हो जाय और मैं अध्यक्ष हूं तो मेरे क्लर्क और दूसरों को तो पकड़ लिया जाय और मुझे नहीं पकड़ा जायगा ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : On a point of order, Sir, पिछली मर्तबा यह मुद्दा उठा और चेयर की ओर से यह व्यवस्था दी गई थी कि कोई भी मामला सबजुडिस हो जाय तो उन मामलों को यहां नहीं लाया जाय। पहले भी इस विषय में कहा था। सम्माननीय सदस्य भी इसको मानेंगे। मैं इस केस के बारे में ही नहीं कहता लेकिन कोई भी केस सबजुडिस हो तो उस पर सदन में चर्चा नहीं की जानी चाहिये, ऐसी आसन की ओर से व्यवस्था है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सभापति महोदया, माननीय सदस्य ने जो नसीराबाद से आये हैं उन्होंने यह मसला उठाया है कि यह मामला सबजुडिस है, इसलिए इस पर बहस नहीं की जा सकती। मेरा निवेदन यह है कि सबजुडिस का मतलब यह है कि कोई मामला अदालत में चालान हो जाय तो सबजुडिस की संज्ञा में आता है। किसी पुलिस अधिकारी के पास इन्वेस्टिगेशन में चल रहा हो या विजीलेंस कमीशन के पास हो या एन्टी-करप्शन के पास हो तो वह मामला सबजुडिस की तारीफ में नहीं आता है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैंने तो यह समझ कर कहा है कि जमानत हुई है। पुलिस ने ली है या अदालत ने ली है, यह मैं नहीं जानता।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : जमानत लेने से ही सबजुडिस नहीं हो जाता है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जमानत लेने पर सबजुडिस नहीं हो जाता और जब तक सम्पूर्ण रूप से किसी अदालत के सामने चालान न आ जाय तब तक वह सबजुडिस नहीं। इसलिए यह मैटर किसी भी प्रकार सबजुडिस नहीं है। इस सदन में स्वतन्त्र रूप से, स्वच्छन्द रूप से और सम्पूर्ण रूप से इस पर चर्चा की जा सकती है।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) : सभापति महोदया, इस सम्बन्ध में जानकारी देनी होगी। रूल्स बिल्कुल स्पष्ट हैं। क्वैसी–ज्युडिशियल या ज्युडिशियल इन्क्वायरी हो और फैक्ट्स वैसे के वैसे हों तो वह सवाल यहां डिस्कस नहीं किया जाना

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

चाहिये। अदालत से जमानत नहीं हुई हो तब भी सबजुडिस है। जमानत होने का प्रश्न प्रिजुडिस न हो इसी इरादे से इस शासन से कई बार आदेश दिये गये हैं। क्वैसी-ज्युडिशियल हो या ज्युडिशियल हो तो डिस्कस नहीं किया जाना चाहिये ताकि इम्पार्शियल हो और प्रेजुडिस न हो।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): इस तरीके की कोई व्यवस्था आज तक हमारे नोटिस में नहीं आयी है। न माननीय मंत्री जी ने कोट किया है। रूल यह कहता है कि सबजुडिस मामला हो, अदालत में मामला बहस तलब हो तो जनरल तौर पर प्रकाश डालने की बात हो सकती है। इस केस में असिस्टेन्ट मैनेजर की अरेस्ट हुई है; दूसरे लोगों के बारे में कोई फाइन्डिंग्स नहीं हुई हैं न अरेस्ट हुई हैं। हैड आॅफिस के चेयरमैन, डाइरेक्टर्स के बारे में इन्क्वायरी होनी चाहिये ऐसा बिश्नोई कमेटी ने भी कहा है। गवर्नमेन्ट इन्क्वायरी नहीं करा रही है। इस तरह की स्थिति है। एक तरफ गवर्नमेंट इन्क्वायरी न करे और कोई केस हो उसको सबजुडिस मामला कह कर उस सारे मामले पर पर्दा डालना चाहे, यह कैसे हो सकता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: सबजुडिस एक ज्युडिशियल टर्म है। उसको आप क्वैसी-ज्युडिशियल कह कर ट्रिब्यूनल के सम्बन्ध में उपयोग कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग मेरे खयाल में यह प्योरली ज्युडिशियल टर्म है और ज्युडिशियल टर्म का ज्युडिशियल प्रोसिडिंग्स के सम्बन्ध में ही प्रयोग किया जा सकता है।

रहा सवाल, एक संघ के प्रेसिडेन्ट को बिलकुल छोड़ दिया जाय और दूसरे छोटे बड़े आदमियों को पकड़ कर गिरफ्तार किया जाय, मेरे खयाल में दुनिया में ऐसा नहीं होता। खेल में भी देखिये कोई खामी आती है तो केप्टिन से पूछा जाता है और केबिनेट में कोई खामी होती है तो प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर से पूछा जाता है। इसके सिवाय हमारे पास और क्या है? एक्सपोज़ करते हैं। क्रय विक्रय संघ को एक्सपोज़ करेंगे और करते रहेंगे जब तक आप कोई इसके लिए व्यवस्था नहीं करेंगे। आप सब लीपा-पोती करके ढंकना चाहते हैं, दफन करना चाहते हैं, रफा-दफा करना चाहते है। हमारा यह पुनीत कर्त्तव्य है कि आपकी जो कमियां हैं, खामियां हैं और आपा-धापी के सम्बन्ध में विरोध प्रकट करें और क्रिटिसिज्म करें।

श्री मथुरादास माथुर: On a point of order, sir. । चूंकि एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपके भाषण में कोई दखल नहीं देना चाहता। जो प्रसंग उठाया है मैं इस सम्बन्ध में यहां पर रूल ३७ की सब रूल (२) के पार्ट (XX) को रेफर करना चाहूंगा। उसमें लिखा है:—

"It shall not ordinarily ask about matters pending before any statutory Tribunal or statutory authority performing any judicial or quasi-judicial functions or any commission or Court of Enquiry appointed to enquire into or investigate any mat-

(श्री मथुरादास माथुर)

ter, but may refer the matter concerned with procedure or subject or stage of enquiry, if it is not likely to prejudice the consideration of the matters by the Commission or the Court of Enquiry."

इतना ही निवेदन कर दूं कि सदन के माननीय सदस्य जानते है कि यह पूरा मामला विजीलेन्स कमीशन के सामने दिया हुआ है। चाहे वह इस सिलसिले में खुली जांच करें, बड़ी बड़ी चीजों की जांच करके वे फैसला करते हैं। विजीलेन्स कमीशन क्वासी-जुडिशियल कमीशन है। इन्डीपेन्डेन्ट आदमी को इसका हैड बनाया गया है सदन की मन्शा के आधार पर। ऐसी सूरत के अन्दर जब विजीलेन्स कमीशन जांच करता हो, उसके बारे में यहां नहीं कहा जा सकता।

श्री मानसिंह महार : मिनिस्टर के खिलाफ जांच नहीं कर सकते।

श्री मथुरादास माथुर : कर सकते हैं।

श्री मानसिंह महार : नहीं कर सकते, गलत सूचना देकर आप सदन को गुमराह कर रहे हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सभापति महोदया, मैं समझता हूं सरकार सबजुडिस अगर प्रोपर्ली करे तो वह बात दूसरी है। माननीय मंत्री महोदय ने जिस व्यवस्था का उल्लेख किया और जिस पर वे स्ट्रेस कर रहे हैं, टू दी एक्स्ट्रीम स्ट्रेस करके एप्लाई करना दूसरी चीज है और प्रोपर्ली एप्लाई करना दूसरी चीज है। जहां तक जुडिशियल प्रोसीडिंग्ज का सवाल है इस क्रय-विक्रय संघ के बारे में यह कमीशन जुडिशियल ट्रिब्यूनल नहीं है जिसके सुपुर्द कर रहे हैं। सबजुडिस जो इसको कहा जा रहा है वह इस स्पेसिफिक केस में एप्लाई नहीं हो रहा है।

श्री मानसिंह महार : सभापति महोदया, सदन के समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर विचार व्यक्त कर रहा हूं। यह हमारा फर्ज हो जाता है कि सरकार किसी मामले पर पर्दा डालना चाहे, किसी मामले को दबाना चाहे तो हमें उन मामलों को सदन के समक्ष रखना चाहिये और सरकार को मजबूर करना चाहिये कि वे ऐसे मामलों के बारे में हाईकोर्ट के किसी जज से इन्क्वायरी करावें। सरकार कहती है कि विजीलेन्स कमीशन इन्क्वायरी कर रहा है। हमें मालूम है कि विजीलेन्स कमीशन मंत्रियों के खिलाफ इन्क्वायरी नहीं कर सकता। चौधरी कुम्भाराम विजीलेन्स कमीशन के दायरे में नहीं आते हैं, फिर कहूंगा, जब तक सरकार के कान नहीं खुलेंगे मैं कहता रहूंगा। इस गड़बड़ घोटाले में मुख्य चीज है गुड़ का सारा मामला हो गया लेकिन सरकार के और क्रय विक्रय संघ के बीच अभी तक एग्रीमेन्ट नहीं हुआ, एग्रीमेन्ट पर दस्तखत नहीं हुए। बिना किसी एग्रीमेन्ट के क्रय-विक्रय संघ माल लाता है, करोड़ों रुपया खाता है। आज जो सहकारी विधेयक आया है उसमें सरकार को अधिकार ज्यादा मिलने चाहिये। सरकार को जो पॉवर्स दिये गये हैं उनको कम न करें, अधिक पॉवर्स दिये जाय।

क्योंकि यह ग्लेयरिंग इन्स्टान्स है सभापति महोदया, राजस्थान राज्य क्रय-विक्रय

(श्री मानसिंह महार)

संघ ने जो घोटाले किये हैं उसको ही मान लें यह बात नहीं, जितने भी आस-पास के क्रय-विक्रय संघ हैं उनके कागज़ातों की जांच की जाय तो हरेक में गुड़, सीमेन्ट, मेवे कपूर का घोटाला हुआ है। सहकारी क्रय-विक्रय संघ अचरोल को लीजिये शाहाबाद के क्रय-विक्रय संघ को लीजिये, इन सब के कागजातों की जांच करवाइये तो आपको मालूम होगा मुत्तवातिर घोटाले बढ़ते जा रहे हैं। बिश्नोई कमेटी की रिपोर्ट को तीन महिने तक दबाये रखा, सब चीजों को जब खत्म कर दिया गया तब जाकर उसको सदन की मेज पर रखा गया। दो महिने पहले भी रख सकते थे, दो महिने बाद क्यों रखा ? हनुमानगढ़ बाई-इलेक्शन के पहले रखनी चाहिये थी जो बाद में रखी गई। हर रिपोर्ट के बारे में कह देते हैं कि नहीं रखते जब ऐवीडेन्सेज डेस्ट्रोय हो जाती है तब जाकर सदन की मेज पर रखते हैं, यह आपका तरीका है। इस तरह से आप डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि क्रय-विक्रय संघ का खतरनाक मामला है इसकी अगर जांच नहीं कराई तो इस प्रान्त में बगावत हो सकती है, लोग शान्तिपूर्ण तरीके से मांग करते हैं आप उनकी सुनवाई नहीं करते है। सरहद पर पाकिस्तान आ गया है आपको मालूम होना चाहिये। आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस प्रकार के घोटालों की न्यायिक जांच हो और हम चाहते हैं कि शान्ति रहे....

श्री दौलतराम सारण : पाकिस्तान तो माई साहब है।

श्री मानसिंह महार : तुम्हारा होगा, हमारा क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। हमारे हाथों में ताकत है। पाकिस्तान आयगा तो उसका गला दबोच देंगे। हम अहिंसा परमोधर्मः को मानने वाले नहीं। हम तो हथियार से बातें करते हैं, आपकी तरह से टोपली रख दी काम हो गया ! हम लड़ना जानते हैं। पाक की तबियत दुरुस्त कर देंगे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सभापति महोदया, सम्माननीय सदस्य सिलेक्ट कमेटी में भी थे आपने डिसेन्ट नोट दिया है। फिर भी आप इनको जनरल डिसक्शन अलाउ कर रहे हैं। आप तो उन बातों को कहें जिनका उल्लेख डिसेन्ट नोट में किया गया है। दूसरे सदस्य भी अपनी राय रखना चाहेंगे, इस तरह से सब्जेक्ट को इन्ट्रोड्यूस करना कहां तक उचित है, यह तो आपके देखने की बात है।

श्रीमती सभानेत्री : आप जल्दी समाप्त करें।

श्री मानसिंह महार : पांच ही मिनट में खत्म कर दूंगा।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा (बिलाड़ा) : आचार्यजी ने जो पाइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाया था उसकी व्यवस्था नहीं दी गई।

श्रीमती सभानेत्री : भाषण समाप्त होने दीजिये फिर देखा जायगा।

श्री मानसिंह महार : सरकार को अधिक अख्यारात दिये जायं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : पाकिस्तान आ रहा है, आप इसे क्रान्ति समझते हैं।

श्री मानसिंह महार : मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। पाकिस्तान का मैं मुकाबला करूंगा, बन्दूक से लडूंगा। मैं जानता हूं लड़ना। टोपियां डाल कर भागना नहीं सीखा है जिन्दगी में।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : टोपियां तो पहिन चुके हैं।

श्री मानसिंह महार : उसको तो मैं फेंक चुका।

श्रीमती समानेत्री : आप स्थान ग्रहण करें।

(विराम)

श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सभापति महोदया, आज इस सदन में एक महत्वपूर्ण विधेयक पर आम बहस हो रही है। मैं समझता हूं यह विधेयक वह विधेयक है जिसके आधार पर हम अपने देश में नई अर्थ-व्यवस्था कायम करना चाहते हैं। हम इस समाजवाद के संक्रमण काल में इसके द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था कायम करना चाहते हैं जिसके जरिये मौजूदा स्थिति है उसमें मौलिक परिवर्तन ला सकें।

सभापति महोदया, सहकारिता के बारे में हमारे देश में और दूसरे देशों में मुख्तलिफ किस्म का नजरिया मुख्तलिफ लोगों ने जाहिर किया है, और हमारे देश में एक बहुत बड़ा बहस का मसला बना हुआ है। हम अपने देश में सहकारी आंदोलन को किन आधारों पर संगठित करें? हम लोगों को जो आम जनता में सहकारी संस्थाओं को स्थापित करते हैं, उनका संचालन करते हैं, उनके संचालन में कुछ दिक्कतें सामने आती हैं, उस अनुभव के आधार पर जो कुछ राज्य की ओर से सहकारी संस्थाओं के एडमिनिस्ट्रेशन को एडमिनिस्टर करने की कोशिश की जाती है, अपना दायित्व निभाने का प्रयत्न किया जाता है, उनको कुछ दिक्कतें अपने सामने पेश आती है उस दृष्टिकोण से मैं समझता हूं राजस्थान सरकार की ओर से यह शायद प्रयत्न किया गया कि तमाम दिक्कतें को, उन तमाम बातों को विचार करके एक इस प्रकार निर्णय लिया जाय जिससे हम अपने प्रांत में नये तरीके से सहकारी आन्दोलन को स्थापित कर सकें। सभापति महोदया, जो उद्देश्य है इस विधेयक का जैसा कि मैं मानता हूं माननीय विधि मंत्रीजी जो सहकारी मंत्री भी हैं।

(२. ००. म. प.)

इस बिल को इसी मकसद से पेश किया है। बिल की बहस इस सदन में नहीं हुई और सीधे ही प्रवर समिति में गया था और प्रवर समिति में बहस होने के बाद उसके प्रतिवेदन की शक्ल में यह बिल इस समय सदन के सामने है।

सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि यह हमारा विधेयक आज इस मूवमेंट के सम्बन्ध में जो विवादास्पद प्रश्न है अन्त-

Page No.77

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

राष्ट्रीय स्तर पर भी और उसका आभास हमारे देश में भी मिलता है। मौलिक क्वेश्चन का, या जो आम तौर पर कार्यकर्ताओं की उन सहकारी आन्दोलन में जिस तरीके की कठिनाइयां पैदा होती हैं, या शासन की ओर से जो सुविधाएं सहकारी आन्दोलन को मिलनी चाहिये उस सम्बन्ध में, या सरकार की ओर से भी किस तरीके के इस आन्दोलन में अपना योगदान दिया जावे, इन तमाम दृष्टिकोणों से मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि सरकार अब भी कोई निश्चित नीति इसमें नही बना पाई है। सरकार अब भी साफ दृष्टिकोण नहीं बना पाई है कि इस आधार पर राजस्थान में हमको सहकारी आन्दोलन का निर्माण करना है।

सभापति महोदया, आम तौर पर इस दुनिया में दो दृष्टिकोण मौलिक तौर से सहकारी आन्दोलन के बारे में हैं। समाजवाद की बात जो देश करते हैं, या समाजवाद जिन्होंने अपने यहां कायम किये हैं, जो देश अपने यहां प्राइमरी ओब्जेक्टिव, पहला उद्देश्य, सहकारी आन्दोलन का मान कर चलते हैं, वे मानते हैं कि बीच के लोग ये शोषक वर्ग हैं जो शोषण करते हैं, अपनी शक्ति के कारण, पूंजी होने के कारण सामर्थ्यहीन, शक्तिहीन लोगों का। तो प्राइमरी उद्देश्य कोऑपरेटिव आन्दोलन का यह है कि ऐसे शक्तिहीन, साधन और सामर्थ्यहीन लोगों को कैसे शक्तिवान लोगों से बचाया जावे, उनके शोषण से उनको मुक्ति दिलाई जावे और सरकार अपने साधनों से उनको मदद देकर अपने पैरों पर खड़ा करे। तो इस तरह इसमें मुख्य उद्देश्य उसका शोषण समाप्त करना है और इस आज के समाज में कोऑपरेटिव तरीकों से सीमित रूप में भी उस शोषणविहीन समाज की स्थापना की ओर बढ़ना है, यह उद्देश्य लेकर चलता है।

दूसरा दृष्टिकोण जो आम तौर पर पूंजीपति देशों में कोऑपरेटिव आन्दोलन के सम्बन्ध में लिया जाता है उसका मकसद मुख्य तौर से शोषण को समाप्त करना नहीं, सामर्थ्यहीन लोगों को सहायता देना नहीं है, उनका मुख्य उद्देश्य एक प्रोडक्शन के तरीके को ज्यादा इफीशियेन्ट मात्र बनाना है; कम खर्चीला उसे बनाना है। सब लोगों को मिलाकर, कुछ लोग मिलकर काम करें तो फालतू चीजें कम खर्च हों और कम एक्सपेन्डीचर पर ज्यादा रिटर्न आवे, यह उनका मुख्य मकसद है। अमेरिका जैसे देशों में इस आधार पर कोऑपरेटिव आन्दोलन संगठित किये जाते हैं।

सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश में जो हमारी सरकार ने समाजवादी समाज व्यवस्था करने का संकल्प या घोषणा की है अगर उस दृष्टिकोण से हम अपने इस सहकारी विधेयक को देखें तो मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि यह विधेयक उस दृष्टिकोण से नहीं बनाया गया, ऐसा लगता है। यह उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा कि जो इस समाज में शोषक वर्ग है उसकी शक्ति से शोषित वर्ग को बचावें और कोऑपरेटिव सोसायटीज का पहला उद्देश्य उस शोषण को समाप्त करना हो।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सभापति महोदया, यदि हम इस विधेयक की मुख्तलिफ धाराओं को देखें कि किस प्रकार के लोग इनकी कार्य समितियों के सदस्य बन सकते हैं उनकी बात को ही देखें तो जो बिल में कहा है उसकी सत्यता अपने आप प्रमाणित होती है। यद्यपि उस दिशा को, उस कमजोरी को, उस उद्देश्य इस विधेयक में कुछ महसूस किया मालूम पड़ता है। उस पर कुछ अंकुश लगाने की कोशिश डरते डरते की भी मालूम पड़ती है। पर आज जिस तबके के आधार पर यह सरकार बनी हुई बैठी है वह उन पर अंकुश लगा सके, यह इस सरकार के वश की बातें नहीं हैं और इसलिये इशारा मात्र करके यह बात इसमें रह गई।

मैं समझता हूं कि जिन सदस्यों को, जिन साथियों को इस सहकारी आन्दोलन का अनुभव है वे जानते हैं कि जो ऋणदात्री कोआॅपरेटिव सोसाइटियां हैं वे आज ज्यादा तौर पर ऐसे लोगों के हाथों में फंसी हुई हैं जो खुद सूदखोरी करते हैं। उनका मुख्य मकसद उस कोआॅपरेटिव सोसाइटी का खजांची बन कर बैठना है। अपनी बहियों के अन्दर दो दो रुपया और तीन तीन रुपया, चार चार रुपया सैंकड़ा के ब्याज पर लोगों को ऋण दिया हुआ है और उन्हीं अपने कर्जदारों को अपनी कोआॅपरेटिव सोसाइटी का मेम्बर बनाया और खुद ट्रेजरार बन गये और अगले साल उन किसानों से, उन कर्जदारों से कुछ कर्जा वसूल हुआ या नहीं हुआ, अपनी तिजोरी से साल का जितना कर्जा देना होता है जमा कराया। इससे आप समझ लेते हैं कि बहुत क्रेडिट वर्दी सोसाइटी है। उसे 'ए' मार्क का रिमार्क मिल जावेगा और १५ दिन के बाद वापिस कर्जे के लिये दर्खास्त देकर कर्जा ले आवेगा और उसको कोआॅपरेटिव सोसाइटी में उन कर्जदारों के नाम लिखकर अपनी तिजोरी में डाल लेगा, उसमें से एक पैसा उन किसानों को, कर्जदारों को जिनके नाम से लाया गया है, नहीं मिलेगा। ७॥ परसेन्ट ब्याज पर कोआॅपरेटिव से मिला और ५०) झब्बू को मिला तो कोआॅपरेटिव में झब्बू का अंगूठा लगा दिया और पैसा झब्बू की बही में लिखा है। उसमें जमा हो जावेगा।

इस तरह से सभापति महोदया, बहुत सी कोआॅपरेटिव सोसाइटियां राजस्थान में ही नहीं सारे देश में काम कर रही हैं। यानी वह शोषक वर्ग जिससे आप किसान को सस्ते ब्याज पर कर्जा देना और राहत पहुंचाना चाहते हैं वह आपके इस कोआॅपरेटिव आन्दोलन में होता नहीं, बल्कि उसी शोषक वर्ग को उसका क्लोक (लबादा) पहनाकर कोआॅपरेटिव का जामा पहनाकर उसको कोआॅपरेटिव सोसाइटी की मार्फत अपने ४) सैंकड़ा के ब्याज के लिए उसकी वसूली की गारन्टी मात्र मिल जाती है कि कोई परवाह नहीं अगर झब्बू की गांठ में ज्यादा पैसा नहीं है तो कोआॅपरेटिव का वह मेम्बर हो जावेगा तो उसके नाम पर जो लोन मिलेगा उससे ले लेंगे। वह कहता है जावो, भागो, कुछ भी खर्चा करो, रिश्वतें दो, इसको देकर कर्जा मंजूर कराओ। तो इस तरह की प्रवृत्तियां आज इस आन्दोलन में मौजूद हैं। बल्कि उस शोषक वर्ग को अपना शोषण करने की

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

एक गारन्टी का तरीका इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में, इस तरीके के सिस्टम में मिल जाता है

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बावजूद इसके कि इस बिल के अन्दर यह प्रावधान किया गया है कि वह मनी लैण्डर सूदखोर उसके अन्दर खुद कर्जा नहीं ले सकेगा। या जब वह उसको कर्जदार बना ले तो ब्याज का रुपया नहीं दे सकेगा। आपने यह उसके ऊपर पाबन्दी लगाई है। ये दोनों ही पाबन्दियां इस बीमारी को दूर करने में असमर्थ हैं। जो सूदखोर देता है वह कर्जा लेने नहीं आता। अपने कर्जदार के जरिये दिलाकर अपना कर्जा वसूल करने आता है। इसलिये आप यह प्रावधान रक्खें कि उसको कर्जा नहीं मिलेगा, इससे उसका कुछ बनता बिगड़ता नहीं। आप पदाधिकारी बना कर यह चाहते हैं कि वह कर्जा लेने देने का काम नहीं करेगा। तो यह कागजों में ही रखा रह जावेगा। रजिस्ट्रार के पास कोई सी. आई. डी. नहीं बैठी है जो इन्क्वायरी इसकी कर सके। पर आप अपने पापों को तो खुद जानते हैं. आप अपनी कमजोरियों को खुद जानते हैं। रिपोर्ट भी अगर आपके पास आती है तो आप उन पर एक्शन नहीं ले सकते। तो इस तरह की वेग बातें करने से कोई लाभ नहीं। कर्जा देने का काम तो पदाधिकारी करेगा तो लेने देने का काम नहीं करेगा। अगर करेगा तो कौनसी इन्क्वायरी कमेटी आप बिठावेंगे? कौनसा आपके पास साधन है?

श्री मथुरादास माथुर : (सहकारी-मंत्री) : सफाई के लिये मैं कह दूं कि कि हमने दो प्रावधान रखे हैं। जो मनी लैंडर हैं रजिस्टर्ड हैं वह ऑफिस बियरर नहीं रह सकता। और दूसरा यह है कि मेम्बर बन सकता है पर कर्जा नहीं दे सकता। अब मनी लेंडर को मेम्बर ही नहीं बनाया जावे, आप क्या यह चाहते हैं, तब तो बात दूसरी है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आप तो तारीफ करें सेठ रामानन्दजी साहब!

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदया, मैं यह समझता हूं कि उनको उसके अन्दर मेम्बर बनाने देना ही उस बीमारी की शुरूआत करना है......

श्री मथुरादास माथुर : उसमें क्या एतराज है, अगर कोई मनी लेण्डर है अगर वह ५००) रु० इन्वेस्ट करता है उसका वह फायदा नहीं उठा सकता क्योंकि वह कर्जा नहीं ले सकता। ऑफिस बियरर बन कर जैसे झिब्बू, गब्बू के नाम कर दे जैसा आपने अभी कहा तो ऐसा भी नहीं कर सकता। तो उसके ५००) रुपये लेकर हम सोसाइटी में रख लें तो क्या एतराज है?

श्री रामानन्द अग्रवाल : उसमें पूरे तरीके से अपने स्टेटस की वजह से आप उसको पदाधिकारी नहीं रखेंगे तो भी समाज में अपने स्टेटस की वजह से वह कोऑरेटिव सोसाइटी पर हावी रहता है।

श्री मथुरादास माथुर : यों तो बाहर रहकर कई एम० एल० ए० नहीं हैं और फिर भी अपना असर डालते हैं, तो वह भी

Page No.80

(श्री मथुरादास माथुर)

है। क्या उनको जिलावतन किया जाये, यह आपका मतलब है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं पहले ही जानता हूं आपके करने की बस की बात नहीं है। आपकी नीति उनको छोड़ने की नहीं है। आप केवल ऊपर का दिखावा मात्र करना चाहते हो।

श्री मथुरादास माथुर : आप गलत कह रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपका तजुर्बा और आप कुछ वर्षों के बाद फिर सर्वे करायेंगे और फिर देखेंगे कि इस बीमारी को दूर करने के लिए यह इलाज किया था, किस हद तक इसको कर सके। उस पर आप इस नतीजे पर पहुंचोगे कि वास्तव में इसका कुछ हल नहीं हुआ। इसलिए सभापति महोदया, मैं यह समझता हूं कि बुनियादी तौर पर अगर हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज का शोषण समाप्त करने का प्रथम उद्देश्य है तो इस प्रकार के तबके जिस उद्देश्य से उस कोआॅपरेटिव सोसाइटीज को बनायें उस प्रकार के तबकों से जिसकी वह सोसाइटी बनी है उसका शोषण करने का धंधा है जो उसमें कम्फि-लिक्ट में आते हैं इस तरीके के लोगों को उस सोसाइटी में मेम्बर नहीं बनने देना चाहिए। सभापति महोदया, अभी हमारे उपभोक्ता भंडार बने हैं। बहुत से लोग जो कि ब्लैक मार्केटियर्स हैं, जिनका धंधा अनाज को बेचने करने का है उन्हीं लोगों को उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज में उन उपभोक्ता भण्डारों में रियेली पॉवर्स दे दी हैं, तो उनके नतीजे इस प्रकार के हुए हैं कि उन्होंने अपनी दुकानों पर सहकारी भण्डार की चीज आई, कोटा आया उसको अलग अलग ब्लैक में बेच दिया। आप जिनके पंजों से आम जनता को बचाना चाहते हो उस बीमारी को आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के अन्दर मत घुसेडिये, उससे उनको दूर रखिये। लेकिन क्योंकि आपकी थ्योरी वर्ग सहयोग की है और हमारी वर्ग संघर्ष की है हम यह समझते हैं कि गाय और शेर एक घाट पानी नहीं पी सकते क्योंकि शेर को मौका मिलता है गाय को खा जायेगा और आप समझते हैं कि शेर और गाय एक घाट पानी पी सकते हैं, इसलिए आप उनको एक साथ बैठाने की बात करते हैं........

एक माननीय सदस्य : मजदूर और सेठ एक जगह कैसे पानी पी रहे हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : लेकिन उस मकसद से बिल्कुल होशियार नहीं कर सके। इस परपज को डिफीट करेगा, इसलिए मैं समझता हूं कि इस बिल में इस प्रकार के जो प्रावधान हैं उस दिशा में संशोधन होने की आवश्यकता है। दूसरा जो एतराज इस तमाम बिल के दृष्टिकोण के बारे में है वह यह है कि बुनियादी तौर से इस बिल का दृष्टिकोण एक पूंजीवादी दृष्टिकोण है। जब कि सहकारिता का दृष्टिकोण यह है कि यह जो समाज में सबसे ज्यादा असमर्थ हैं उनको सबसे अधिक सहायता मिलनी चाहिए, जो अपंग हैं, जिनके पास साधन नहीं हैं उनको अधिक साधन मिलने चाहिए, लेकिन आपने साधन देने का आधार उसकी जमीन, उसकी सम्पत्ति और उसकी आर्थिक

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हैसियत और उसका स्टेटस रखा है। वह मोर्टगेज बैंक हो चाहे दूसरे तरीके का कर्जा हो तमाम के तमाम आपके जो बेसिस हैं, जो आपकी स्कीम है कोआॅपरेटिव आन्दोलन की वह इस आधार पर नहीं है कि कौन आदमी कितना श्रम करेगा, कौन आदमी अपने श्रम से कितनी पैदावार करेगा। पैदावार से आपने नाता नहीं जोड़ा, जमीन से आपने नाता नहीं जोड़ा, आपने नाता जोड़ा है पूंजी से, आपने नाता जोड़ा है सम्पत्ति से और हमारे इधर बैठने वाले दोस्त कोलेटरल रिलेशन चाहते हैं उसके साथ जुड़वाना और इनका कहना जायज़ है। आप समाजवाद की दुनिया को धोखा देने के लिए बात तो करते हैं और उनको तो समाजवाद के नाम से ही चिढ़ आती है......

श्री मथुरादास माथुर : एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं, उसका जवाब मिल जाये जिससे मुझे उत्तर देने में सहूलियत हो। ठीक है भाषा आपने बहुत अच्छी इस्तेमाल की। आपने कहा कि यह बिल पूंजीवाद की ओर इशारा करता है और यह आपकी धारणा है, तो मुझे भी मालूम पड़े कि वह इशारा किस तरह से है ? आपने एक दलील दी की हमारी जो लोनिंग पॉलिसी है उसके बारे में कहा। मेरा ख्याल है कि बिल में कोई धारा नहीं है कि जो लोनिंग पॉलिसी के बारे में कुछ कहती हो। लोनिंग पॉलिसी तो बैंक को बदलती है। इसका प्रॉडक्शन से लिंक होना चाहिए यह हम मानते है लेकिन बिल में कौनसी धारा है लोनिंग पॉलिसी के बारे में वह आप बता दें, ताकि उसके बारे में कुछ सोचा जाये। आप एक धारा तो बता दें ताकि मैं भी सोचूं कि हम क्या कर रहे हैं। कौन सा क्लॉज़ है जिसके ऊपर आप बात रख रहे हो। इसमें शेयर है, इन्सटालमेन्ट की बात है और सिर्फ यह कह देना कि वीकर सेक्शन के आदमी को रखा जायेगा तभी सोसाइटी रहेगी, यह कैसे है ?

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : माननीय मंत्रीजी जब केरल के कोआॅपरेटिव बिल, जो कि इन्ही की पार्टी के लोगों ने बनाया उससे तुलना करें तो मालूम पड़े कि वह कितना पूंजीवादी है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदया, यदि मंत्रीजी चाहते हैं कि हम इसमें कुछ सुझाव दें और उस सुझाव को मन्जूर करें, उनकी नीति के अनुसार वे मन्जूर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, यह सरकार के सोचने की बात है.......

श्री मथुरादास माथुर : आप तो सिलेक्ट कमेटी के सदस्य थे और उसमें आपके कोई ऐसे सुझाव आये हों जो इस ओर इशारा करते हों; आप ही बता दें। आप यही बता दें कि सिलेक्ट कमेटी में एक भी सुझाव ऐसा आया हो कि हम पूंजीवाद के गड्ढे में गिर रहे हों और आप बचाना चाहते हों और मैं फंस गया होऊं, तो एक मिसाल तो बता दें जिससे इस बात का मालूम पड़े कि हम पूंजीवाद को मदद देना चाहते हैं ? अगर आप ऐसा बतायेंगे तो मैं अमेन्डमेन्ट करने के लिए तैयार हूं। अगर उसमें ऐसी बात नहीं है और सिर्फ यही कह

(श्री मथुरादास माथुर)

देना क्योंकि यह बिल गवर्नमेन्ट ने बनाया है इसलिए पूंजीवादी बिल ही होगा, यह बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदया, मैं नहीं चाहता था कि सिलेक्ट कमेटी की बहस को इस सदन में लाऊं। लेकिन माननीय मंत्रीजी उस मिसाल को चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि लैण्ड डेवलपमेन्ट बैंक के बारे में जब बहस हुई उस समय माननीय मंत्रीजी खुद भी थे और मैंने इस पोइन्ट ऑफ व्यू से उसमें रखा कि आपकी स्कीम के अनुसार जो भी लैण्ड डेवलपमेन्ट बैंक या जिसको लैण्ड मोर्टगेज बैंक भी कहते हैं उसमें कर्ज मिलने का आधार यह है कि किसके पास कितनी जमीन है और उसके ऊपर टाइटल ओनरशिप का या खातेदारी का है, यह उसका आधार है। अगर किसी के पास यह आधार नहीं है कि कोई जमीन कितनी जोतता है और जोत कर उसमें कितना अन्न पैदा करेगा। एक गैर-खातेदार राइट्स वाला किसान है जिसके पास में ५० बीघा जमीन है वह उसमें के लैण्ड मोरगेज बैंक में से वह ऋण नहीं ले पायेगा लेकिन जिसके पास खातेदारी राइटस हैं और जिसके पास थोड़ी सी जमीन है वह उसके अन्दर ले पायेगा। इसलिए राइट्स इन लैण्ड यानी लैण्ड का स्टेटस यह आपका आधार है, उसका इकोनोमिक स्टेण्डर्ड यह आपका आधार है ताकि आप उससे वसूल कर सकें। आपने खुद ने इस बात की दलील दी है, आपने खुद ने स्वीकार किया था और फिर आप अपने ऑफिसर्स की दलील के नीचे दबकर या अपनी पार्टी के इशारों पर, आदेशों की मजबूरियों को मानकर आपने कहा कि यह ढांचा जब तक चल रहा है तब तक तो यह कर नहीं सकते और इस बुनियाद पर प्रोडक्शन के साथ लिंक नहीं कर सके, और इस बिल के अन्दर, मुझे समय ज्यादा लगेगा, मैं समझता हूं कि आप लैण्ड डेवलपमेंट बैंक के जो भी प्रावधान हैं उनमें आप उत्तर दें कि डिसक्शन के बाद आपने वे चेन्जेज़ नहीं किये हैं। नहीं किये हैं मैं मानता हूं। मैंने उनको पढ़ा है। वे वैसे के वैसे हैं आज भी। लैण्ड मोरगेज बैंक की पॉलिसी जो है वह इस आधार पर है और इसमें भी आपने उसी आधार को रखा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसका नतीजा यह होगा कि जिसके पास कुछ नहीं है वह इससे मदद नहीं ले सकता और जिसके पास जितने ज्यादा साधन हैं उतना ही ज्यादा कर्जा, उतनी ही ज्यादा सुविधाएं उनको मिल सकती हैं। इस दृष्टिकोण से हम इसको पूंजीवादी दृष्टिकोण मानते हैं कि जितनी ज्यादा पूंजी है उसके अनुसार लोन मिलना चाहिए। इसको हम पूंजीवादी दृष्टिकोण मानते हैं।

सभापति महोदया, तीसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि आज इस सारी बहस में जो अभी स्वतन्त्र पार्टी के कुछ माननीय सदस्यों की तरफ से मैंने सुनी एक बहुत बड़ा सवाल इस बात पर हो रहा है कि कोऑपरेटिव मूवमेंट के अन्दर कुछ गड़बड़ियां होती हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में कुछ भ्रष्टाचार होते हैं, कुछ धांधलियां होती हैं। यह बात भी सही है। दूसरी तरफ ये तथ्य भी हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज में सरकार की ओर से, रजि-

Page No.83

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

स्ट्रार की ओर से, असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार की ओर से अनुचित तौर से हस्तक्षेप होता है, वक्त के ऊपर सहायता नहीं दी जाती है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रजिस्टर्ड होने के लिए पड़ी रहती हैं. लोग मारे-मारे फिरते हैं। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का क्रिटिसिज्म दोनों एंगिलों से है । एक तरफ यह ऑफिसर्स क्लास, ब्यूरोक्रेसी यह कहती है कि हमारा फन्दा कमजोर कर दिया है इसलिए सब स्वच्छन्द हो गये हैं, गड़बड़ हो गई है। इसलिए यह क्रय-विक्रय संघ के अन्दर घोटाला है या फलानी सोसाइटी के अन्दर घोटाला है । दूसरी तरफ सोसाइटीज की ओर से यह शिकायत है कि हमको गुलाम बना दिया है । यह रजिस्ट्रार हम को अपनी रियाया समझता है। कलेक्टर के नीचे हम जितने दबे हुए नहीं हैं जितने कि रजिस्ट्रार के नीचे और इसलिए मैंने, सभापति महोदया, देखा है किसान को घी की पीपी हाथ में लिए हुए– अरे कहां जा रहा है ? इन्सपेक्टर साहब के पास जा रहा हूं, लोन एप्लीकेशन लेकर जा रहा हूं। घी की पीपी को लोन एप्लीकेशन पर चिपका कर वहां चलायेगा तब आगे जायेगी । यह डिपार्टमेंट जो जनता की इस तरीके से सेवा करने के लिए बना है उस डिपार्टमेंट की हालत और किसी डिपार्टमेंट से कम नहीं है। जिस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम है, सिविल सप्लाइज डिपार्टमेंट बदनाम है उस तरीके की हालत सहकारी डिपार्टमेंट की, सभापति महोदया, है । इसलिए आज प्रश्न क्या ? आज एक ओर यह मानते हैं कि सहकारी आन्दोलन में ऑफिसर्स की पॉवर्स बढ़ाई जायं ; डिपार्टमेंट की पॉवर्स को बढ़ाया जाय और इस तरीके से कन्ट्रोल किया जाय जिस तरीके की माननीय स्वतन्त्र पार्टी के सदस्य ने मांग की है बड़े जोरों से और माननीय मानसिंह महार ने बड़े जोरों से मांग की है कि धारा ३६ में जो उसके अन्दर है उस शक्ति को और भी बढ़ाया जाना चाहिए। दूसरी तरफ से माननीय नत्थीसिंहजी, संसोपा के सदस्य, ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि इस बिल के उद्देश्य के अन्दर पूंजी का जिक्र किया गया है और वहां पर जो देश के नेता कहते हैं कि कोऑपरेटिव आन्दोलन को डिपार्टमेंट से मुक्त करके अपने पैरों पर चलाने की बात मुख्य है। सभापति महोदया, हम यह समझते हैं कि इस बात को स्वीकार करते हुए कि इस सहकारी समितियों के अन्दर काफी अनिमितताएं, काफी बड़ा भ्रष्टाचार है, काफी बड़ी गड़बड़ियां हैं, हमारी यह मान्यता है कि हम अगर भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हों, अगर इन अनियमिताओं को दूर करना चाहते हों तो उसको आप अपने चम्मच से पिलाना बन्द करें ; इनको आप अपने पैरों पर खड़ा रहने दें, अपनी जिम्मेवारी महसूस करने लगें । और जिस तरीके से हम को इनकी गड़बड़ियां दूर करनी हों तो मैं अपने मित्र माननीय मानसिंहजी महार से कहना चाहता हूं कि ३६ वीं क्लॉज़ तो पहले भी मौजूद थीं इनके अन्दर। क्या आप समझते हैं कि क्रय–विक्रय संघ के खिलाफ एक्शन इसलिए नहीं हुआ है कि एक्ट के अन्दर या सरकार के पास पॉवर्स नहीं थे ? इमानदारी की बात यह है कि पॉवर्स सब कुछ होते हुए सरकार किन्हीं व्यक्तियों के खिलाफ उस पॉवर को

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इस्तेमाल नहीं करना चाहती, तो चाहे १० ऐसे ३६ के सेक्शन रख दिये जायं, सेक्शन ३६ में कितने ही पॉवर्स आप उनको दे दें, उसको कौन इस्तेमाल करेगा ? क्लॉज ३६ आधीन रजिस्ट्रार करेगा और रजिस्ट्रार को मथुरादासजी माथुर को टेलीफोन करना पड़ेगा और मथुरादासजी माथुर को चेयरमैन क्रय-विक्रय संघ से बात करनी पड़ेगी, अपनी पार्टी मीटिंग में तय करना पड़ेगा कि हमारी पार्टी के ऊपर इसका क्या असर होगा। कितना इलेक्शन फण्ड में पैसा आया है और कितना शॉर्टफॉल हुआ. इन सब बातों के निर्णय पर दफा ३६ पर निर्णय लिया जायेगा। इसलिये किस भरोसे में हैं आप ? किस के हाथ में पॉवर्स देना चाहते हैं और किस के भरोसे पर क्रय विक्रय संघ की मिसाल देकर यह यकीन करना चाहते हैं कि इससे इसमें भ्रष्टाचार मिट जायेगा ? सभापति महोदया, मैं समझता हूं कि इस भ्रष्टाचार, इस अनियमितता...

श्री मथुरादास माथुर : मथुरादास माथुर को पार्टी वाले तो कम कहते हैं, और लोग ज्यादा कहते होंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदया, मैं समझता हूं कि पूरे अधिकार देकर इन्डिपेन्डेन्ट इस संस्था को जिस तरीके से माननीय सदस्य ने पढ़ा था रजिस्ट्रेशन का काम, उनके ऑडिट का काम, उनके लिक्विडेशन का काम, यह काम डिपार्टमेंट को करने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी गड़बड़ करे तो जिस तरह से एक साधारण आदमी क्राइम करता है तो उसके खिलाफ बहुत सख्ती से कार्यवाही की जाय, उसी तरीके से अगर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में कोई ऐसा करता है उस पर साधारण नागरिक से ज्यादा कठोर कार्यवाही की जाय। यह रवैया अगर है कार्यकर्त्ताओं के प्रति, यह मैं नहीं कहता कि कांग्रेस दल के ही लोग गड़बड़ करें तो उन्हीं को सख्त सजा देना चाहिये, विरोधी दल के लोग कोऑपरेटिव जैसी चीज में या किसी भी रेस्पोन्सिबल जगह पर होने के नाते हम ज्यादा कठोर दण्ड के भागीदार होने चाहिये बनिस्बत एक साधारण नागरिक के।

सभापति महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि आप देखें कि आखिर इस विश्नोई कमेटी की रिपोर्ट में इस क्रय-विक्रय संघ के अन्दर मैं यह कहना चाहता हूँ कि पॉवर्स नहीं थीं सो बात नहीं। उस विश्नोई कमेटी की रिपोर्ट में क्या कुछ नहीं कह दिया गया है। इसमें साफ कहा है कि क्रय-विक्रय संघ के बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स की जानकारी में वहां के यू० पी० के रेलवे वालों को और सिविल सप्लाइज वालों को रिश्वत देना तय किया।

श्री मथुरादास माथुर : यह उस रिपोर्ट में नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उस रिपोर्ट में यह बात है।

श्री मथुरादास माथुर : रिपोर्ट सदन में रखी गई है। रिपोर्ट में यह बात नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इल्लीगल ग्रेटिफिकेशन देना है, यह नहीं कहा है,

Page No.85

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

लेकिन इसलिए खर्च करना पड़ा, इस बात को स्वीकार किया है ।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : सभापति महोदया, जो पोइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाया गया है उस पर पहले निर्णय हो जाना चाहिये । ये बार बार उसी बात की चर्चा कर रहे हैं । आपने कहा था कि बाद में निर्णय देंगे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस सम्बन्ध में मैं भी कुछ कहना चाहूंगा । रूल १२३ का जिक्र किया था माननीय सदस्य ने उसको पूरा पढ़ा नहीं । उसमें यह प्रोवीजन है:-

"No motion which seeks to raise discussion on a matter pending before any statutory tribunal or statutory authority performing any judicial or quasi-judicial functions or any commission or court of enquiry appointed to enquire into,or investigate, any matter shall ordinarily be permitted to be moved;"

एक तो यह प्रावधान एक मोशन के बारे में । अभी कोई मोशन इस बारे में मूव हुआ नहीं है । इसके नीचे एक प्रोविजो है जो इस प्रकार हैं:—

"Provided that the Speaker may, in bis discretion, allow such matter being raised in the House as is concerned with the procedure or subject or stage of enquiry if the Speaker is satisfied that it is not likely to prejudice the consideration of such matter by the statutory tribunal, statutory authority, commission or court of enquiry."

इसलिये इस मामले में आप इजाजत दे सकते हैं, यह आपका डिस्क्रीशन है ।

दूसरी बात यह है कि जिसका जिक्र हो रहा है, उसके खिलाफ कोई इन्क्वायरी किसी कोर्ट में सब-जुडिस नहीं है...

श्री मथुरादास माथुर : मैंने भी एक रूल कोट किया था, ऑर्डिनेरिली हाउस में क्वेश्चन पूछा जाता है....

श्री रामानन्द अग्रवाल : It is not a Question.

श्री मथुरादास माथुर : It is a question before the House. It is a question which has been raised on the floor of the House. Whether we can raise a question on the floor of the House?

इसके ऊपर मैंने बताया था, रूल्स ३७ के सब-रूल (२) के पार्ट (XX), पेज १४ में लिखा है :—

"It shall not ordinarily ask about matters pending before any statutory tribunal or statutory authority performing any judicial or quasi-judicial functions or any commission or court of enquiry appointed to enquire into, or investigate, any matter......"

(श्री मथुरादास माथुर)

यह पढ़ा तो अब आप मोशन पर आये ।

ख्वामख्वाह बिना मोशन के इमोशन करने की क्या आवश्यकता थी ? इसमें यह कहा गया कि whether we can discuss this. इसमें सभी लागू होते हैं, It is a quasi-judicial question.

सभी बातें आती हैं । मैंने वही पोइन्ट आउट किया था ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह रूल इन्टरप्रिटेशन के बारे में है । इस समय जो बहस हो रही है उस पर वह रूल लागू नहीं होता है । डिबेट कैसे होगी, इसका उसमें प्रोवीज़न नहीं है । जिस चेयरमैन के बारे में कहा उसकी कोई इन्क्वायरी नहीं हो रही है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : Let us hear the ruling.

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह समय मेरे समय में से नहीं काटा जाय ।

(विराम)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप अभी अलाऊ कर दें, फिर निर्णय ले लेना ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदया, मैं जिक्र कर रहा था कि बिश्नोई रिपोर्ट में इस बात को साफ तौर से कहा गया है कि जो इसका हैड ऑफिस है....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : एक पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ हुआ है, उस पर आपकी व्यवस्था का सवाल है । इधर की तरफ से मना करने से सवाल हल नहीं होगा ।

श्रीमती सभानेत्री : मैंने कंसल्ट किया है, इस विषय पर चर्चा की जा सकती है । यदि आप कहें तो रीज़न्स दे दूं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : रीज़न्स देने की आवश्यकता नहीं हैं ।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस बिश्नोई कमेटी की रिपोर्ट में इस बात को साफ तौर से कहा गया है कि जो तमाम पॉवर्स थीं वे बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स के हाथ में थीं और बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स जब बैठा हुआ नहीं होता था तो उसके पीछे चेयरमैन उसके फंक्शन्स को एक्सरसाइज करते थे । इस बात को रिपोर्ट में कहा है कि श्री लालाराम जो अरेस्ट हुए हैं वे कई बार हैड ऑफिस और चेयरमैन से डाइरेक्शन प्राप्त किया करते थे । इस रिपोर्ट में यह भी कहा है कि कितनी ही को-ऑपरेटिव सोसाइटीज ने इस बात की शिकायत की कि गुड़ जैसा मंगाया था वैसा नहीं है, चल कर देख लें । बावजूद इस बात के बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स के नोटिस में होते हुए कोई एक्शन बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स ने नहीं लिया....

श्री मथुरादास माथुर : आप रिपोर्ट के खिलाफ बात कहोगे तो मुझे कॉंट्राडिक्ट करना पड़ेगा । बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स ने एक्शन नहीं लिया है शिकायत पर, यह कहना गलत है । बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स ने

(श्री मथुरादास माथुर)

सोसाइटीज पर जुर्माना किया है, रुपये दिलाये हैं, कम्पेन्सशन दिलाया है, एक नहीं बीसों बातें हुई हैं। या तो आप बिश्नोई कमेटी की रिपोर्ट को डिस्कस कर लीजिये मैं एक एक पॉइन्ट का जवाब दूंगा। नहीं तो कहीं 'एहमदिये की टोपी माहमदिये पर धर कर ऊदबिलाव खड़ा किया' यह नहीं चलेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदया, इस रिपोर्ट में लिखा है; Para 57 :

"When I view the above as a whole, I come to the conclusion that somebody somewhere was interested in some of the firms. Shri Lala Ram was the Assistant Manager on the spot. The head office had been from time to time bringing the various complaints to his notice. The other parties had also been telling him about these complaints. The allegations which have been received in the month of Jany. 1964, I understand were brought to his notice by Sangh. It would be naive for him to say that he did not know these allegations."

श्री मथुरादास माथुर : यह और पढ़िये; This is more in favour of the Sangh.

श्री रामानन्द अग्रवाल : This is what he says.

श्री मथुरादास माथुर : You are reading 57.

इसका मतलब यह है कि संघ के पास जो शिकायतें आई हैं उनके बारे में वह संघ वक्तन-फवक्तन आदेश देता रहा है। लालाराम का यह कहना कि मुझे मालूम नहीं है, गलत है।

आपके पास रिपोर्ट है उसमें बता दीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : This is para 59 which says.

"As regards the office bearers of the Sangh, I consider it improper for me to comment on it in any manner since I happen to be an ex-officio Director of the Sangh. I the Government so desires the matter may be examined by some other person."

It clearly says प्रोब (probe) नेसेसरी है। इसके अन्दर और भी प्रोब नेसेसरी है। उन्होंने कहा कि...

श्री मथुरादास माथुर : इसको आप गलत इन्टरप्रेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं खुद संघ का डाइरेक्टर हूं, इस नाते मैं खुद इन्वोल्व्ड हूं इसलिये मैं इसमें क्या कर सकता हूं। सरकार को सोचना है। यह नहीं कहा कि सरकार सोचे ही। इसमें कहा है कि सरकार सोच सकती है। हमने कह दिया कि प्रिवान्सेज कमेटी इसकी जांच कर ले।

(श्री मथुरादास माथुर)

डाइरेक्टर्स के खिलाफ यदि मामला आयेगा तो उस समय देखा जायगा ।

(२. ३७. म. प,)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इसलिये मैंने कहा कि आप जो कुछ बात कह रहे हैं उसका आपने गलत इन्टरप्रिटेशन किया है। आपने तो इसको एक बार पढ़ा होगा लेकिन मैंने कोई पचास बार इसको पढ़ा होगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस में साफ हा है :

"I cannot say that the head office of the Sangh was privy to such activities but this is a matter which to my mind needs a probe. Since it amounts to lack of supervision and negligence, this clearly says..."

श्री मथुरादास माथुर : यह बात तो और भी उनके हित में जाती है, जैसा कि वे कहते हैं कि वक्तन फवक्तन लालाराम को हिदायत देते रहे हैं कि ऐसा काम न करे। लालाराम का यह कहना गलत है कि उसको पता नहीं...

श्री रामानन्द अग्रवाल : ये बातें तो आप बाद में जब जवाब दें तब कह देना ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि जो यह डिस्कशन चल रहा है जनरल प्रिंसिपल्स पर चल रहा है और जहां तक जनरल प्रिन्सिपल्स में इसका आशय आता है वह आप जरूर कहें। लेकिन we are not discussing the Report itself. आप उसमें से तथ्य ला सकते हैं। आप रिपोर्ट को पॉइन्ट आउट करते हैं। मैं रेफर करूंगा रूल ६७ (१) जिसमें लिखा है :

"...the principle of the Bill and its provisions may be discussed generally but the details of the Bill shall not be discussed further than is necessary to explain its principles..."

तो आप इसके प्रिन्सिपल्स के ऊपर....

श्री रामानन्द अग्रवाल : उतना ही कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : जो प्रकाश डालने के लिए उचित है, वह चीज जरूर लायें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस पोइन्ट को कह रहा था वह यह कि जो बीमारी है वह यह है कि सरकार के पास एम्पल फेक्ट्स होने के बाद भी सरकार एक्शन नहीं लेती। यह बीमारी केवल उस एक्ट में और ज्यादा पॉवर रजिस्ट्रार को या सरकार को देने से हल नहीं होगी, जैसे इस क्रय विक्रय संघ के मामले में बावजूद एक बिश्नोई रिपोर्ट के, बावजूद इसके कि उन्होंने यह कहा कि फरदर प्रोब की आवश्यकता है, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि डाइरेक्टर की एब्सेन्स में चेयरमैन काम को देखता था, जिसमें यह कहा है कि चेयरमैन टेलीफोन पर श्री लालाराम को वक्तन फवक्तन डाइरेक्शन देता था—इसमें यह

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

साफ सिद्ध है, उपाध्यक्ष महोदय, आखिरकार डिप्टी रजिस्ट्रार को अधिकार इससे ज्यादा क्या हो सकते है ? सीधी बात है, चेयरमैन के खिलाफ जांच होनी चाहिए। चाहे वह डेलीबरेटली या अनडेलीबरेटली नेगलीजेन्स ऑफ सुपरवीजन की बात हो, लेकिन इसमें कोई सन्देह नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने खुद ने शिकायत की है, मैंने चिट्ठी लिखी है, संघ के चेयरमैन को चिट्ठी लिखी है, मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी है, संघ के चेयरमैन को चिट्ठी लिखी है, अलवर का जो क्रय विक्रय संघ का गुड़, वहां लोग कहते हैं, डेढ़ रुपये के हिसाब से बेचा है और वहां इसका ब्लैक चल रहा है, आप कार्यवाही कीजिये। मैंने इसका माननीय सदस्य, मोतीलालजी से जिक्र किया था, जो आज कल चेयरमैन हैं कि इस तरह कोऑपरेटिव आन्दोलन बदनाम होता है, इसको आपको रोकना चाहिए, इसके लिए सख्त कार्यवाही करनी चाहिए....

श्री मथुरादास माथुर : मिनिस्टर को चिट्ठी लिखने के लिए कहा, यह गलत बात है। आपने मुझे कभी नहीं लिखा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप तब मिनिस्टर थे नहीं। उस वक्त नहीं थे।

श्री मथुरादास माथुर : मैं था !

श्री रामानन्द अग्रवाल : नाथूरामजी थे जो डाइरेक्टली गुड़....

श्री मथुरादास माथुर : आप स्पीच में मन्त्री कह देते हैं। तो मेरी यह आदत नहीं है कि गलत बात को सुनूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : खाद्य मन्त्री, नाथूरामजी को लिखी।

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : उपाध्यक्ष महोदय, हर सदस्य कितना बोले, इसके लिए समय निर्धारित है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन करूंगा कि थोड़ा संक्षेप में कहें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज जो बीमारी है उसका इस एक्ट में इलाज होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि इस सरकार को इस बिल में प्रावधान करना चाहिए कि जो नियम हैं उनके अन्दर किसी के साथ पक्षपात नहीं हो, रूल्स सब के लिए एक तरह के लागू किये जायं और इस तरह की गारंटी, स्टेट्युअरी गारन्टी इस बिल के अन्दर हो कि आप इस प्रकार की कार्यवाही करेंगे, उसको यह की यह सजा दी जायगी और उस तरीके के काम को तो एक क्राइम करार दे दिया जाय। इस एक्ट में आपने एक प्रावधान रखा है कि एक कमेटी, एक कोऑपरेटिव बॉडी अगर अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश न करे तो उस कोऑपरेटिव का चेयरमैन और मंत्री सैक हो सकता है, उसके डेमोक्रेटिक राइट, उसकी वोटिंग पॉवर छीनी जा सकती है, उस कोऑपरेटिव बोर्ड के अधिकारी के ऊपर जुर्माना हो सकता है। मैं माननीय मंत्री से कहूंगा कि आप इस एनोलोजी को लागू करें तो लागू करें न कि यदि रजिस्ट्रार उसको इतने दिन के अन्दर रजिस्टर न करे तो उसको डिमोट कर दिया जाय, उसको यह सजा दी जायगी और अगर

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सरकार, अगर बैंक इतने अर्से में लोन दे तो यह सजा दी जायगी। इस तरीके से आप केवल जो सहकारी समितियां हैं उनके अधिकारियों के ऊपर पाबन्दी लगाना चाहते हैं और गवर्नमेंट ऑफिसर्स पर और ब्यूरोक्रेसी के हाथ में ज्यादा पॉवर्स देना चाहते हैं

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो इससे यह मूवमेंट आगे बढ़ेगा नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तीन मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।

मैं कुछ मिसालें आपके सामने, जो पक्षपात की हैं और जो बराबर झगड़े होतें हैं उनकी, रखना चाहता हूं, जिन्हें पहले भी मैं आपके नोटिस में लाया हूं। अभी ब्यावर में एक सूती मिल मजदूरों की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है-बहुधन्धी कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसके सम्बन्ध में अजमेर का जो सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक है उसने अपना एक रिज़ोल्यूशन पास कर दिया है कि इन मजदूरों को, जो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेम्बर हैं, को अपने एम्प्लॉयर से गारन्टी दिलानी पड़ेगी कि यह अपने लोन को रिपे कर देंगे। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह कोऑपरेटिव प्रिन्सिपल्स के बिलकुल विरुद्ध है। क्योंकि उनकी जो पेइंग कैपेसिटी है, तो उनके क्रेडिट को उनकी कैपेसिटी के आधार पर आप निर्धारित करते हैं और एम० सी० एल० नियुक्त करते हैं। फिर आप उनके एम्प्लॉयर से गारंटी चाहें तो वह क्यों गारन्टी देने लगा? तो यह जो एक नया इन्वोकेशन जारी किया है इस तरह का तो यह बिल्कुल गलत है। मैं आपको बता दूं, मेरे पास फैक्ट्स मौजूद हैं, यह ११-११-६४ को अपने प्रस्ताव नं १३ के द्वारा सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक ने ब्यावर सूती मिल मजदूरों की बहुधन्धी को-ऑपरेटिव सोसाइटी के लिए रिज़ोल्यूशन पास किया है, ११-११-६४ को रिज़ोल्यूशन नम्बर १३....

श्री मथुरादास माथुर : यह किसने किया है?

श्री रामानन्द अग्रवाल : अजमेर की सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, अजमेर ने उसने इस तरीके का रिज़ोल्यूशन पास किया है कि यह सोसाइटी अपने एम्प्लॉयर से गारन्टी दिलवाये इन्डीविजुअल मेम्बर्स के बारे में कि वह लोन पे नहीं कर सकेंगे तो एम्प्लॉयर पे करेगा, मिल मालिक पे करेगा। आप जानते हैं कि ट्रेड यूनियन एक्टीविटीज में रोज झगड़े रहते हैं, तो वह क्यों जिम्मेदारी लेगा वर्कर्स की...

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : कौनसी है?

श्री रामानन्द अग्रवाल : बहुधन्धी सूती मिल मजदूरों की सोसाइटी है।

श्री मोतीलाल चौधरी : मिल के अन्दर सहकारी समिति होगी वह कन्ज्यूमर को-ऑपरेटिव स्टोर होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : नहीं है। क्रेडिट सोसाइटी है, बहुधन्धी है।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इसी तरह से मैंने अलवर की गोविन्दगढ़ को-ऑपरेटिव का जिक्र किया था और माननीय मंत्री के नोटिस में कितनी ही बार लाया, २२-७-६२...

श्री मथुरादास माथुर : क्या ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : उसका मामला विचाराधीन है, आज तक उसको लोन नहीं मिला और है किस तरीके के बेहूदे ऑब्जेक्शन्स बेंक की तरफ से होते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : इसका मतलब तो यह हुआ, आप मेरे नोटिस में लाये। मैंने बेंक से कहा और बेंक ने मेरी बात नहीं मानी। और जब मैं अधिकार लेना चाहता हूं तो आप विरोध करते हैं। मैं क्या करूं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : हम कहते हैं कि क्लीअर कट आप एक्शन लेते नहीं जहां आपको पॉवर्स हैं।

श्री मथुरादास माथुर : आज के विधेयक में जो प्रावधान बना हुआ है, उसमें आप मुझे बता दीजिये क्या पॉवर हैं। एक प्रावधान में डिजोल्व कर सकते हैं उसको ज्यादा से ज्यादा, लेकिन वह रेवेन्यू बोर्ड में अपील करेंगे तो और तुम्हारी और मेरी, दोनों की, मिट्टी पलीद हो जायगी।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : पॉवर्स बहुत हैं।

श्री मथुरादास माथुर : नहीं है।

श्री नत्थीसिंह : पॉवर्स है !

श्री मथुरादास माथुर : पॉवर्स होते तो ! नत्थीसिंह जी, आप बैठ जाइये, महरबानी करके।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री रामानन्द अग्रवाल : उसी तरह से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अलवर में, सुनिये माथुर जी, उपभोक्ता भंडार नं० १२ है, जिसमें ९ हजार का गबन हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, उसका जो सभापति है, जो अध्यक्ष है या सेक्रेटरी है वह अपनी दुकान के ऊपर रुपया रखता है। दुकान से वह रुपया गायब हो जाता है। मैं कह नहीं सकता कि चोरी हुई है या बेईमानी उसने की है। इसके खिलाफ वहां की जो वर्किंग कमेटी है उसके आठ मेम्बर्स में से ६ मेम्बर्स ने इस्तीफा दे दिया है। इसके खिलाफ आप एक्शन लें, इन्क्वायरी करें और पैसा वसूल करें। लेकिन अभी इसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई है और न केस रजिस्टर हुआ है और न पैसा वसूल हुआ है। उसके बजाय एक नई कार्यकारिणी बना ली है। संचालक ने पहले डिसमिस कर दिया है, सबका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप डिफाइन कीजिये कि प्रिन्सिपल्स क्या है। आपने कहा, को-ऑपरेटिव प्रिन्सिपल्स क्या बनाये ? मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि को-ऑपरेटिव प्रिन्सिपल्स स्टार्ट

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

में डिफाइन कीजिये और उसके अनुसार उनको बनाने चाहिए...

(श्री सहकारी मंत्री कुछ कहने के लिए खड़े हुए)

आप जब जवाब दें तब कह दें।

श्री मथुरादास माथुर : मैं कहता हूँ कि को-ऑपरेटिव प्रिन्सिपल्स डिफाइन करके आप अमेंडमेंट मूव कर दें कि को-ऑपरेटिव प्रिन्सिपल्स यह होंगे। एक डाइनमिक सोसाइटी में प्रिन्सिपल्स बदलते रहे हैं, कन्सेप्शन बदलते रहे हैं। मैंने बड़ी कोशिश की है कि को-ऑपरेटिव प्रिन्सिपल्स को डिफाइन करने की सिलेक्ट कमेटी में कोशिश की लेकिन इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर कोशिश करेंगे तो लिमिटेड कर देंगे, वर्ना अभी अनलिमिटेड स्कोप है। आप कोशिश कीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हम करेंगे।

आपने को-ऑपरेटिव प्रिन्सिपल्स को बहुत वेग छोड़ दिया है। आपने सारी चीजों को स्टेटस में नहीं लिया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसी तरह से रजिस्ट्रेशन को भी आपने वेग छोड़ दिया है। किन का रजिस्ट्रेशन हो और किन का...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री मथुरादास माथुर : शिड्यूल्ड ट्राइब्ज कर दिया...

श्री उपाध्यक्ष : जिन जिन की असहमति थी वे बोल चुके हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : मेरा है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा कि समय १० मिनट से जहां तक हो सके ज्यादा नहीं लें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो सजेशन दिया है टाइम लिमिट का, इसके लिये मैं निवेदन करूंगा कि सिलेक्ट कमेटी में हमें अवसर नहीं मिला और इसके बाद अब तक आपने कोई टाइम लिमिट नहीं की और अब आप अचानक इस पर जब हम अपने विचार रखने चाहते हैं तो आप टाइम लिमिट रखना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं टाइम लिमिट मुकर्रर नहीं कर रहा हूं। मैं लिबरल रहूंगा। अगर आप भी इसमें प्रयत्न करेंगे तो जितने अमेन्डमेंट्स हैं वे सभी सदस्य बोल सकेंगे।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : अब तक तो सवा सवा घंटे तक लोग बोले हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इसके लिये कुछ न कुछ व्यवस्था तो करनी ही होगी।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, जो यह विधेयक प्रवर समिति के प्रतिवेदन के साथ इस सदन में उपस्थित किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि

Page No.93

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

सरकार ने जिस भावना को लेकर के इस विधेयक को प्रस्तुत करना चाहा है उसके अन्दर बहुत सी बातें, बहुत से प्रश्न रह गए हैं जिसकी ओर भी मैं सदन का ध्यान दिलाता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक सहकारी आन्दोलन का प्रश्न है और सहकारी आन्दोलन का ध्येय है, यह तो ठीक है कि सहकारिता के आन्दोलन को ऊपर उठाया जाय, लोगों में सहकारिता की भावना उत्पन्न करके उत्पादन बढ़ाया जावे और वह उत्पादन इकोनोमिक है और देश की प्रगति के अन्दर भी उसका हाथ हो। लेकिन साथ ही साथ इस आन्दोलन का ध्येय यह भी हो कि देश का वह वर्ग जो पिछड़ा हुआ है अथवा जो अनपढ़ है और किसी प्रकार से आर्थिक शक्ति से क्षीण होने के कारण आज देश की प्रगति के अन्दर जो भिन्न २ औद्योगिक संस्थान हैं, भिन्न २ व्यापार हैं और दूसरी संस्थाओं के अन्दर वह अपना योगदान नहीं दे सकते हैं तो उसको भी इस सहकारिता आन्दोलन के द्वारा इतना सशक्त बनाया जावे कि वह भी सहकारिता का सदस्य बने और इस सहकारिता के निर्माण में अपना योगदान दे सके। इस आधार पर ही अगर हम हमारी सहकारी संस्थाओं का निर्माण करें और सरकार भी उसी आधार पर सहकारी संस्थाओं को ऊपर उठावे तो मैं समझता हूं कि हमारे देश की और खास कर हमारे राज्य की बहुत सी समस्याओं का निराकरण हो सकता है। आज हमारे राजस्थान के अन्दर बहुत ही इस प्रकार की सम्पत्ति है जो इस राज्य के लिए सम्पूर्णतया उपयोगी हो सकती है। इनमें भी खास कर के वन सम्पदा और खनिज सम्पदा है। इन दोनों ही वन सम्पदा और खनिज सम्पदा पर राज्य का स्वयं का स्वामित्व है लेकिन इन वन सम्पदा और खनिज सम्पदा दोनों को ही एक्सप्लॉइट करके जो उनका मुनाफा प्राप्त करते हैं, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि देश की आजादी के १७ साल के बाद भी आज वन सम्पदा और खनिज सम्पदा का लाभ सरकार को अथवा सरकार को नहीं तो उस वर्ग को जो अपने श्रम के द्वारा उसको एक्वायर करता है, वहां पर काम करता है, उसको प्राप्त नहीं होता है। जो हमारी वन सम्पदा और खनिज सम्पदा है उसका फायदा न तो उस श्रमिक वर्ग को मिलता है और न सरकार को ही पूरी मात्रा में मिलता है वरना उस वर्ग को प्राप्त होता है जो कि पूंजी के आधार पर उस सम्पदा का एक्सप्लॉयटेशन करना है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आज जो वर्कर्स हैं उनको सामने रखते हैं, इस पिछड़े वर्ग को सामने रखते हैं तो सरकार का यह प्रथम उद्देश्य हो जाता है, सरकार का यह प्रथम कर्त्तव्य हो जाता है कि वह वन एवं खनिज संस्थाओं के अन्दर अधिक से अधिक सहकारी संस्थाओं का निर्माण करे और सहकारी संस्थाओं का निर्माण करके उसका मुनाफा उस वर्ग को दिलावे, उस वर्ग को उसका फायदा दिलावे तो वर्ग उस क्षेत्र के अन्दर अपनी मजदूरी का काम करता है। आज दोनों क्षेत्रों में श्रम ही प्रधान है और उस में पूंजी का भी महत्व है लेकिन जो अधिकतर मजदूर वहां पर काम करते हैं, वह मजदूर जो वर्षों से

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

वहां पर रहते हैं और जो अनपढ़ हैं उनके अन्दर संगठन की शक्ति नहीं है। आज वे लोग जो देश के साथ नहीं चल सकते हैं और खास कर इन दोनों क्षेत्रों के लोग, उन लोगों के लिए सरकार का यह कर्त्तव्य है कि सहकारी संस्थाओं का निर्माण करे। केवल इतना ही नहीं सरकार स्वयं ऐसी सहकारी संस्थाओं का निर्माण कर उनमें उन श्रमिकों को सदस्य बनावें और उनका शेयर लगावे। केवल संस्थाओं को खोल देना ही पर्याप्त नहीं है, आज इस क्षेत्र के अन्दर खास कर इस वन सम्पदा के अन्दर और खनिज सम्पदा के अन्दर इस बात की आवश्यकता है कि उस सम्पदा के क्षेत्र में स्वयं सरकार अपने सहकारी विभाग की एजेंसी के द्वारा, अपने सहकारी विभाग के कर्मचारियों के द्वारा उन क्षेत्रों में जाकर सहकारी संस्थाओं को कायम करे और इन संस्थाओं में जो वहां के रहने वाले व्यक्ति हैं, जो इनमें वर्षों से काम करते आ रहे हैं, उनको साफ करते हैं, उनका निर्माण करते हैं, उन व्यक्तियों को इनकी ओर आकर्षित करके उनका सदस्य बनावें। और सदस्य बनाने के लिए अगर उनके पास पूंजी नहीं है, सदस्यों के पास अपनी जेब से पैसा लगाने के लिए न हो तो सरकार अपने पैसे से उनके शेयर खरीद कर उनको अधिक से अधिक संख्या में सदस्य बनावे। आज इन संस्थाओं की स्थिति यह है कि जो वन श्रमिक सहकारी समितियां हैं और खनिज श्रमिक सहकारी समितियां है उनमें सहकारी संस्थाओं का निर्माण तो हो गया लेकिन उनका लाभ उनको नहीं पहुंचता है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि सहकारी विभाग अपने अधिकारियों को इन समितियों का सदस्य बनावे और केवल सदस्य बना कर ही न रह जावे बल्कि उन समितियों के मंत्री भी सहकारी विभाग के अधिकारी बनें। इन मंत्रियों पर जिम्मेदारी हो कि वह इनके हानि, लाभ, उनके कार्य का संचालन, ऑडिट का कार्य, जो मजदूर सदस्य हैं उनको मुनाफा बांटने का काम आदि सब काम करें। उन श्रमिक सहकारी संस्थाओं के समस्त कार्य का भार इन मंत्रियों पर हो जो कि सहकारी विभाग के कर्मचारी हों।

आज, उपाध्यक्ष महोदय, वन श्रमिक सहकारी समितियां जो दो वर्षों से काम कर रही हैं लेकिन उनमें आज स्थिति इस प्रकार की है वह वन सहकारी समितियों में जो काम करने वाले हैं वे अपने आपको बड़ा समाज सेवी व्यक्ति कहलाते हैं, लेकिन स्थिति यह है कि वहां की सहकारी समितियों के जो सदस्य अनपढ़ हैं वे अपने कर्त्तव्यों को नहीं जानते हैं तो जो आप पढ़े-लिखे कहे जाने वाले और अपने आपको समाज सेवी कहलाने वाले व्यक्ति हैं ये येन केन प्रकारेण इन संस्थाओं में महत्वपूर्ण पद प्राप्त कर लेते हैं। उनका महत्वपूर्ण अधिकार बन जाता है। वह सारा का सारा मुनाफा, उस व्यक्ति को मिल जाता है, वहां का सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन सारा का सारा शासन उस व्यक्ति के हाथ में रहता है जो पढ़ा लिखा है, समाज सेवी कहा जाने वाला है। वह पढ़ा-लिखा, समाजसेवी कहा जाने वाला व्यक्ति वेतन का मुनाफा, वन संपदा को बेचने में अधिक से अधिक पैसा अपनी जेब में लेता है और

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

वह गरीब व्यक्ति जिनके लिए वन सहकारी समितियों का निर्माण किया गया है, उनके अंगूठे का निशान कागज पर लगवा लिया जाता है और वे गरीब व्यक्ति उन सब प्रकार के लाभों से वंचित रह जाते हैं। तो आवश्यकता आज इस बात की है कि सही माने में सरकार अपनी एजेंसीज के के द्वारा, प्रोपेगेन्डा के आधार पर उन लोगों को अपने प्रचार से एक तरह से जबरदस्ती के तरीके से सहकारी समितियों का सदस्य बना कर सहकारी समितियों का निर्माण करें। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर का और पब्लिक सैक्टर का झगड़ा चलता है, इस झगड़े का समाधान अगर सरकार एफिशियेन्ट है तो सहकारी समितियों के द्वारा प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के झगड़े को निबटा सकती है। सरकार सहकारिता के आधार पर, उद्योगों के अन्दर इस प्रकार के कार्यों के अन्दर लोगों को इन्वाइट करें, इन क्षेत्रों में सहकारी समितियों को आमन्त्रित करे और इस प्रकार सही तरीके से पवित्र रूप में सहकारी समितियां इन क्षेत्रों में आती हैं तो जो आज प्राइवेट सेक्टर का और पब्लिक सेक्टर का नारा सुनते हैं वह समाप्त हो जायगा।

समाजवाद का सम्बन्ध जहां तक समानता से है, उसका कोई दल विरोधी नहीं होगा, कोई पार्टी उसका विरोध नहीं करेगी। पर नेशनेलाइजेशन करना मात्र अगर समाजवाद का मतलब है तो मैं और मेरा दल उसका विरोध करेंगे, समानता पर जाना अगर समाजवाद का मतलब है तो हम उससे सहमत हैं।

आज कोआॅपरेटिव के आधार पर इन्डस्ट्रीज़ का ट्रेड का, सरकार निर्माण करे। आज कहने को तो बहुत सी सहकारी समितियां बना दी हैं पर आज देखा जाय तो सहकारी समितियां बदनाम हो गई हैं, उनकी गड़बड़ियों को यदि कोई सामने लाने का प्रयास करता है तो कहा जाता है कि आप सहकारी समितियों के सहकारिता के विरोध में हैं। सहकारिता का मैं विरोधी नहीं, हमारा दल विरोधी नहीं, सहकारिता का आन्दोलन आज जिन बुराइयों की वजह से बदनाम हो रहा है, उनको हम दूर करना चाहते हैं।

आज १०० वन सहकारी समितियां हैं, उनमें से केवल २४ सहकारी समितियों के अन्दर ८१४००) रुपया ऋण का बकाया है। जो सहकारी समितियों को समय समय पर ऋण दिया जाता है, जो इन्स्टालमेंट्स उनसे वसूल हो जाने चाहिये वे वसूल नहीं हुए हैं, उन इन्स्टालमेंट का आज २४ सहकारी वन समितियों में ८१४०० रु० बकाया है। जो जंगलों के ठेके इन वन सहकारी समितियों को दिये गये हैं उनमें ठेके की रकम का ४४६४४६ रु० ४६ नं० पै० बकाया है जो इन सहकारी समितियों द्वारा सरकार को चुका दिया जाना चाहिये या वह नहीं चुकाया गया। केवल इतना ही नहीं उदयपुर डिविज़न में इस रकम में से आधी रकम बाकी है। उदयपुर में वन सहकारी समितियां हैं उनमें १,८३,०४५ रुपया बकाया है।

श्री उपाध्यक्ष : I will point out that we are not discussing a demand,

(श्री उपाध्यक्ष)

we are discussing the main principles of the Bill and so he may kindly concentrate on the principles.

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : कोरम नहीं है साहब !

(गणपूरक घन्टी के पश्चात पुनः)

श्री कृष्णकुमार गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि सहकारी समितियों का निर्माण आवश्यक होता है, अंकुश आवश्यक होता है, जिस वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिये सहकारी समितियों का निर्माण हुआ है, उनके लिये नारा भी लगाया जाता है पर वस्तुस्थिति यह है कि जो सहकारी समितियां हैं, जिनमें लाखों रुपया जंगलात के ठेकों का बकाया है, ऋण बकाया है, ये सहकारी समितियां उन रुपयों को चुका नहीं पाई है, आखिर यह रकम है कहां ? क्या यह रकम उन मजदूरों के पास है जिनके भले के लिये इन सहकारी समितियों का निर्माण किया गया है ? यह तथ्य नहीं है, उनके पास नहीं है । अपने आपको समाज सेवी कहने वाले जो लोग पढ़े लिखे हैं, यह रुपया मजदूरों को नहीं मिला, वह उन्हीं समाजसेवी कहलाने वाले लोगों के पास पड़ा हुआ है और इस तरह से इस पैसे का नुकसान सरकार को तो हो ही रहा है पर जिन लोगों के फायदे के लिये इन सहकारी समितियों का निर्माण किया गया है, उन लोगों को भी इनसे कोई फायदा नहीं मिल रहा है ।

इसलिये मेरा यह निवेदन है कि सहकारिता का कानून बनायें पर सहकारी विभाग के सदस्य हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी डाली जाय कि सरकार प्रत्येक कार्य के लिये जिम्मेदार है, उन सहकारी विभाग के अधिकारियों को हर एक काम के लिये जिम्मेदार ठहराया जाय, खास कर के वह सहकारी समितियां जिनमें पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनमें जो सरकार का पेड व्यक्ति हो उस पर आपको सारी जिम्मेदारी डालनी पड़ेगी, प्रत्येक कार्य के लिये वह सरकार के प्रति उत्तरदायी होगा, उस सहकारी समिति के हिसाब किताब की सारी जिम्मेदारी डालनी पड़ेगी उस पेड व्यक्ति पर । क्योंकि समाजसेवी पढ़े लिखे व्यक्ति आज सहकारी समितियों का शोषण कर रहे हैं ।

सहकारी समितियां बनती हैं, पर जो उप समितियां हैं, जिन नियमों का पालन किया जाना चाहिये, उन नियमों पर उनके द्वारा कुठाराघात होता है । बीकानेर सहकारी उपभोक्ता भण्डार के चेयरमैन रोशनलाल कोचर हैं, उन्होंने जहां गेहूं का भाव ६४) रुपया प्रति क्विन्टल अधिकतम भाव तय था उसकी अवहेलना कर के परचेज कमेटी बनी हुई है, बिना परचेज कमेटी की मीटिंग बुलाये, उनकी राय को बिना प्राप्त किये ही रोशनलालजी कोचर ने जो कि सहकारी उपभोक्ता भण्डार के चेयरमैन हैं उन्होंने उस गेहूं को बजाय ६४) रुपया प्रति क्विन्टल के भाव के ७०) रुपया प्रति क्विन्टल के भाव से बीकानेर शहर में बिकवाया । मैं पूछना चाहता हूं मन्त्री महोदय, से कि क्या रोशनलालजी कोचर को इसलिये छोड़ा जा रहा

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

है कि वे रामरतनजी कोचर के कोई रिश्ते-दार होते हैं ? अगर कोई दूसरा व्यक्ति ६४) रुपया प्रति क्विन्टल के अधिकतम निर्धारित भाव से ७०) रुपया प्रति क्विन्टल के भाव से बेचता तो सरकार उसे डी० आई० आर० में गिरफ्तार कर के जेल में डाल देती। पर रोशनलालजी कोचर ६४) रुपया प्रति क्विन्टल के बजाय ७०) रुपया प्रति क्विन्टल के भाव से गेहूं बिकवाते हैं, इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? और आज तक सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया उसके लिये कौन जिम्मेदार है ? खास कर आप के विभाग से पूछना चाहता हूं कि बिना परचेज़ कमेटी को सूचना दिये, बिना अनुमति के गेहूं बेचा उसके लिये कौन जिम्मेदार हैं।

श्री मथुरादास माथुर (सहकारी मंत्री) : हमारा विभाग कतई जिम्मेदार नहीं है। अगर कोई सहकारी समिति या और कोई व्यक्ति चाहे वह किसी विभाग का हो किसी और कानून के आधार पर कोई फौजदारी कर डाले तो वह व्यक्ति उसका जिम्मेदार है। सहकारी समिति पे कानून तोड़ता है तो लीगल एक्शन डिपार्टमेन्ट कन्सर्न लेगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : परचेज कमेटी बना रखी है।

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में ही रखें।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इन परचेज कमेटी के सदस्यों को विश्वास में लेकर कोई भाव का निर्धारण किया जा सकता है। ऐसे नियम हैं। उन नियमों की अवहेलना की गई है। आपका विभाग इसमें नहीं आता ?

श्री मथुरादास माथुर : परचेज़ कमेटी का इन्टर्नल मेटर है। बाँई लॉज़ में प्राव-धान है। बना लेते हैं। परचेज़ कमेटी को नहीं मानते हैं तो वोट आॅफ नो कॉन्फिडेन्स लायें और हटा दें। बॉईलाज़ का ब्रीच है तो जांच करेंगे, शो कॉज़ नोटिस देंगे और फिर हटा पायेंगे। उनको रेवेन्यू बोर्ड में अपील करने का अधिकार है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सहकारी समिति का निर्माण किस उद्देश्य को लेकर करते हैं ? समुचित व्यवस्था समाज में कायम की जाय, लेन देन करे और गैर कानूनी मुनाफा न कमाया जाय। यदि गैर कानूनी मुनाफा कमाया जाय और सरकार का विभाग कुछ नहीं कर सके तो यह आंदोलन बेकार है।

श्री मथुरादास माथुर : इसीलिए मैं अधिकार चाहता हूं और माननीय सदस्य एतराज़ करते हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपने तो बहुत अधिकार ले रखे है। मुझे क्रय-विक्रय संघ की तरफ मत ले जाइये। आप उनका प्रयोग नहीं करते हैं। आप उन पर प्रयोग करना चाहते हैं जिनके पास जेक नहीं है और उन पर नहीं करना चाहते हैं जिनके पास जेक है। इस व्यक्ति पर कार्यवाही करने के लिये सरकार डी० आई० आर० में क्यों नहीं कुछ करती, मजबूर क्यों है मुझे समझ में नहीं आता।

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

एक तथ्य सबसे बड़ा सहकारी विभाग का है वह यह है कि आपके यहां पर इन्डस्ट्रीज विभाग ने सन् १९५६ में हैंड लूम क्लॉथ के सेल को प्रोत्साहन देने के लिये एक मोटर और जनरेटर खरीदा है। २४,६१६) में उसको खरीदा है। यह इन्डस्ट्रीज़ विभाग में खरीदा गया। उसका नतीजा यह रहा कि उसकी कुल सेल ३७,१३६) रुपया रही जब कि उस गाड़ी का मेन्टीनेन्स और स्टाफ पर खर्चा कुल मिलाकर ५२,६८६) आया। यह गाड़ी ५६ के अन्दर आयी। इस गाड़ी को परचेज़ कर लिया; २४,२५ हज़ार के आस पास और वह सामग्री विभाग में पड़ी हुई है लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है।

क्रय-विक्रय समिति, जयपुर को १ लाख रुपया मार्च ६१ में इसलिये दिया कि दाल-मिल लगाये। लेकिन ६१ से १ लाख की रकम दी हुई पड़ी हुई है, मिल नहीं लगा। रुपया उनके पास पड़ा है और सरेन्डर नहीं किया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

ये जो कुछ इस प्रकार की चीजें हैं ये विभाग की एफिशियेन्सी बताती हैं। पैसा दिया जाता है, प्रयोग नहीं होता, पड़ा रहता है। और दूसरे विभाग बहाना लेते हैं कि पैसा नहीं है। इसलिए आवश्यकता अनुसार पैसा दिया जाय और सहकारी संस्थाओं को मजबूत किया जाय।

अन्त में मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि सहकारी आन्दोलन एक बड़ा भारी आन्दोलन है और पवित्र मकसद को लेकर यह आन्दोलन चलाया गया है। वह जिस वक्त तक सफल और पूरा नहीं हो जाता तब तक मिशनरी स्प्रिट के साथ सरकार और सरकारी पुर्जे इस आन्दोलन को सफल बनायें और सक्रिय रूप से कार्य करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ढाबरिया।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे सामने राजस्थान सहकारी संस्था विधेयक, १९६४ विचारार्थ है। मैंने इसको जनमत जानने के लिये प्रसारित करने के लिए प्रस्ताव रखा है।

यह बिल ऐसा बिल है कि जिसके द्वारा राजस्थान के लाखों आदमी प्रभावित होते हैं। आज भी राजस्थान के अन्दर इस एक्ट के जेर तहत जितनी सहकारी संस्थायें हैं और उसके मेम्बर्स हैं वे करीब १२ लाख आदमी हैं और यह विधान सभा उन १२ लाख आदमियों के लिये कानून बनाये, उसको हम यहां बैठ कर पास कर लें और जैसा चाहें हम लिख कर रख दें, मैं यह उचित नहीं समझता। मैं समझता हूं कि इसकी जानकारी उन लोगों को होनी चाहिये जो इससे प्रभावित होते हैं। इन १२ लाख में से जितने भी लोग पढ़े-लिखे हैं और समझते हैं वे लोग भी इसमें किस तरह की सुविधायें रखाना चाहते हैं, किस तरह की बातें रखाना चाहते हैं, सहकारी संस्थाओं का गठन किस तरह का होना चाहिये, लोन एप्लीकेशन किस तरह से बनायी जानी

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

चाहिये और जिस तरह के तरीके इसमें हैं, जितनी सहकारी संस्थायें हैं, जिनकी संख्या करीब २२ हजार है, उन सब को दृष्टि में रख कर उन लोगों को इसमें सुझाव देने का मौका दें तो, मैं समझता हूं, बहुत अच्छा होगा।

परन्तु आज जिस तरह से यह बिल एक सलेक्ट कमेटी के द्वारा इस सदन में रखा गया है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं, मैं इस बात का हामी हूं और जिस पार्टी का मैं मेम्बर हूं वह भी यह चाहती है कि देश के अन्दर अगर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म लाना है तो उसका एकमात्र तरीका कोई है तो वह कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं और यही उसकी जड़ है। पर मैं आज यह समझता हूं कि देश में डेमोक्रेटिक सोशलिज़म और सहकारी संस्थाओं के जो कार्य हैं वे एक अच्छे चरित्र के बिना चल नहीं सकते। इन दोनों चीजों को देश में अच्छी तरह से लाने और चलाने के लिये यह बहुत जरूरी है कि जो इसको बनाने वाले हैं, जिसके राज्य में यह चल रही हैं, जिसके द्वारा समाजवाद लाया जाना है, जो इसके कार्य–कर्ता या मेम्बर हैं—सबसे पहली बात यह है कि ये सब के सब ईमानदार हों। अगर वे ईमानदार नहीं हैं तो मैं यह समझता हूं कि यह सारा सहकारी आन्दोलन है वह न ही कामयाब होने वाला है और न ही हम समाज को बनाने की और उसको चलाने की जो व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं वह स्थापित कर सकते हैं। जिस तरह के कानून और जिस तरह की सहकारी संस्थायें काम कर रही हैं, मैं समझता हूं, उनमें मूलभूत परिवर्तन करना चाहिये।

अभी दो तरह की विचारधारायें हैं, जो इस हाउस के माननीय सदस्य बोले हैं उन्होंने बतायी हैं। वे कहते हैं कि सत्ता ज्यादा से ज्यादा सरकार के हाथ में होनी चाहिये। ऐसा उधर बैठने वाले माननीय सदस्य, जो बोले हैं, ने कहा है। कुछ अपने आपको प्रोग्रेसिव कहते हैं वे यह कहते हैं कि सत्ता सरकार के हाथ में नहीं होनी चाहिये। जितने सरकार के हाथ में सत्ता कम होगी उतना ही कोऑपरेटिव मूवमेन्ट सफल होगा। मैं समझता हूं कि ये दोनों ही चीजें हमारे चरित्र से सम्बन्धित हैं। अगर हम जो इस आन्दोलन को चलाने वाले हैं जनता को इस बात का विश्वास दिला दें कि सहकारी संस्थाओं के द्वारा जो भी काम किये जा रहे हैं वे बिल्कुल उस नीति से, उस आधार पर, उस सत्यता से, उस नेचर से किये जा रहे हैं जिसके लिये सहकारी समिति बनायी गयी, जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सहकारी मूवमेन्ट है मैं समझता हूं, आज राजस्थान में इतने लाखों आदमी सहकारी समितियों के मेम्बर हैं। जितनी भी सहकारी समितियां हैं, मेरा दावा है कि अगर कमीशन बिठाया जाय तो मैं साबित कर सकता हूं इनमें से ८० प्रतिशत सहकारी समितियां बोगस सहकारी समितियां हैं जिनका कार्यक्रम इस तरह का नहीं कि जो सहकारी आन्दोलन द्वारा समाजवाद ला सकें। ऐसी सहकारी समितियों का न तो स्ट्रक्चर है, न बनावट है और न कार्यक्रम ही। इस कारण मैं यह कहना चाहता हूं कि लोगों ने सहकारी मूवमेंट चलाने का

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

ठेका ले रखा है, सरकार कांग्रेस की है जितना भी हम काम करना चाहते हैं, सरकार द्वारा समाजवाद को लाने के लिये पंचायतें, पंचायत समितियां, जिला परिषदें, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं—इस तरह के जितने भी काम हैं वे सब कांग्रेस के लोगों के ही हाथ में होने चाहिये। किसी के भी ऊपर दूसरे लोगों का हाथ नहीं होना चाहिये। यह जो सेन्ट्रलाइजेशन करके चलना चाहते हैं उससे आप लोगों के अन्दर एक प्रकार का भ्रष्टाचार पनपा रहे हैं इसका एकमात्र कारण यह है।

भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री नत्थीसिंहजी ने कहा कि सरकार के हाथ में ज्यादा सत्ता नहीं होनी चाहिये, रजिस्ट्रार और सरकार के हाथ में नहीं होनी चाहिये। इसकी मैं ताईद करता हूं। एक बात और कहना चाहता हूं कि सरकार के हाथ में सत्ता नहीं हो जैसा कि सदन में विरोधी दल में बैठने वाले सदस्य कहते हैं-सरकार भ्रष्ट है, खत्म होने वाली है तो वह कैसे हो। इसलिए सरकार के हाथ में ये ज्यादा से ज्यादा अधिकार रख कर ज्यादा से ज्यादा भ्रष्ट होने दिया जाय ताकि लोगों को यह मालूम हो सके कि यह सहकारी मूवमेन्ट है इसमें सरकार का दखल होने से यह भ्रष्ट हुआ है। इससे यह सरकार अपने आप खत्म हो जायगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि सहकारी मूवमेन्ट जिस ढंग से आजकल चल रहा है-ग्राम सेवा सहकारी समितियां, औद्योगिक सहकारी समितियां, कृषि सहकारी समितियां, बहुद्देशीय सहकारी समितियां, रोडवेज सहकारी समितियां–इस तरह से कितनी ही सहकारी समितियां बनती हैं। पूज्य जवाहरलाल नेहरू ने कहा था और जो कहते कहते चल बसे—सहकारी समितियों द्वारा हम सारे देश के अन्दर ज्यादा प्रोडक्शन खेती में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यह तो सरकार जानती है। सरकार ने इन समितियों को सब तरह से सहयोग दिया, आर्थिक और तरह तरह से मदद दी। करोड़ों रुपया इस सहकारी मूवमेंट को चलाने के लिये सरकार ने दिया। प्रॉडक्शन बढ़ाने के लिए खेतों को सुधारने के लिए और लोगों की आर्थिक हालत को सुधारने के लिये करोड़ों रुपयों का प्रोवीज़न किया और हर साल करोड़ों रुपयों का प्रोवीज़न करते आ रहे हैं। मैं भीलवाड़ा जिले का जो कोऑपरेटिव बैंक है उसका नमूना आपके सामने रखना चाहता हूं। यह जो आंकड़े मैं रख रहा हूं वह १९५४ से लेकर १९६३ तक के आंकड़े हैं। जितना ऋण हर साल दिया गया वह इस प्रकार है:—

१९५४ में	१६ हजार
१९५६ में	३ लाख ६ हजार
१९५८ में	१६ लाख १८ हजार
१९६० में	२६ लाख ५ हजार
१९६१ में	२१ लाख ४१ हजार
१९६२ में	३० लाख ६३ हजार
१९६३ में	३० लाख ९१ हजार

इससे मैं यह समझता हूं कि भीलवाड़ा जिले की सारी की सारी आबादी ८ से ८॥ लाख आदमियों की है। इसमें से ७० पर्सेन्ट

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया

और ७५ पर्सेन्ट किसान हैं। इन किसानों को सही मायने में यदि यह करोड़ों रुपया दिया गया और वह इनके पास पहुंचा है, जिस काम के लिए दिया गया है वास्तव में उसी काम के लिए खर्च किया गया है, खेती के अन्दर बीज लाकर डाला है, खेती को सुधार करने की कोशिश की है, अच्छे औजार लाकर प्रॉडक्शन बढ़ाने की कोशिश की है तो इनका असर खेती के अन्दर अवश्य होना चाहिये, एग्रीकल्चर प्रॉडक्शन बढ़ना चाहिये, आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिये, कर्जा है वह कम होना चाहिये। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं इतने करोड़ रुपये उधार देने के बाद भी आप छाती पर हाथ रख कर कह सकते हैं कि कितने किसानों के कर्जे में कमी हुई है।

(श्री भैरोंसिंह के राज्य पक्ष में सहकारी मंत्री के निकट बैठने पर)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : On a point of order, Sir. आखिर मिनिस्टर जिन बैन्चेज पर बैठते हैं उनकी कुछ प्रतिष्ठा है; तरीका है उसके माफिक वर्ताव होना चाहिये। क्या ये नये मिनिस्टर बने हैं ?

एक माननीय सदस्य : आप अभी से परेशान होने लग गये ?

श्री उपाध्यक्ष : कौन से मिनिस्टर से मतलब है, इधर वाले या उधर वाले ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इनकी जलन को मैं समझता हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह परम्परा और सदन की प्रतिष्ठा का सवाल है। माननीय मंत्री महोदय वहां जाकर बैठ कर इनसे बात कर सकते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : हमारे बगल में कोई विरोधी आकर बैठता है तो इसमें क्या एतराज है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपको एतराज नहीं हो सकता, सदन को एतराज है। आपके बारे में वैसे भी बातें बहुत होती हैं, आपको बचना चाहिये।

श्री मथुरादास माथुर : पहले आप अपने को तो बचालें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : इतने करोड़ों रुपये देने के बाद भी अगर हम कामयाब नहीं हुए तो मूलतः हमें यह मानना होगा कि जिस काम को जिस तरीके से कर रहे हैं वह तरीका या तो गलत है या आदमी जो इन कामों को करते हैं उनके पास यह पैसा जाने से गलत काम हो रहा है। इन दो कामों के बिना ये सारी बातें हो नहीं सकती है तो यह आज भी जो हम नया कानून बनाने जा रहे हैं इस कानून के बनते वक्त पिछले दिनों में जो कुछ देखा है जिसका हमने अनुभव किया है उसका समावेश इस कानून में नहीं हो इस बात की हमें कोशिश बराबर करनी चाहिये और उसे हमें रोकना चाहिए।

मैंने बहुत अदब के साथ, जब पंचायत एक्ट अमेन्डमेंट बिल पर बहस हो रही थी तो अर्ज किया था कि कोई भी सदस्य जो

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

सहकारी समिति का सदस्य हो और जिसका तीन महने से अधिक का डिफाल्ट हो चुका हो, उसको चुनाओं में भाग लेने से रोका जाना चाहिये और मैंने यह अमेन्डमेंट दिया था। माननीय मंत्री महोदय जो इस वक्त इस बिल को पायलट कर रहे हैं उन्होंने मुझे यह आश्वासन दिया था कि इस बात की व्यवस्था में कानून बनाते वक्त करेंगे और यह कहा था कि जो कोई भी सदस्य इस कोआॅपरेटिव सोसाइटी का होगा अगर वह डिफाल्टर है तो वह उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के चुनाव में भाग नहीं ले सकेगा। मेरा आशय यह कभी नहीं था कि एक व्यक्ति को जो कोआॅपरेटिव का मेम्बर है, चुनाव से ही डिबार करें। मेरा मतलब स्पष्ट था क्योंकि कोऑपरेटिव का सम्बन्ध पंचायत राज से है, पंचायत समिति की स्टेण्डिग कमेटी से है इसलिए जो भी आदमी डिफाल्टर हो तीन महिने से ज्यादा यह किसी भी पंचायती राज संस्था के अन्दर होने वाले चुनावों में भाग नहीं ले। ऐसा प्रोविजन जब तक हमारे बिल में नहीं होगा मैं आपसे कहना चाहता हूं कि न तो हमारी बकाया कभी वसूल हो सकेगी और हम रुपया एडवान्स करते जायेंगे क्योंकि सहकारी समितियों में ऐसे एलीमेंट्स मौजूद हैं जो हर वक्त आकर सहकारी समिति के दफ्तर को अपने कब्जे में कर लेते हैं और इसलिए वे हमेशा उन किसानों के हक को दबाते हैं जिनके लिए कानून आप बनाने जा रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी तो दस मिनिट है।

श्री उपाध्यक्ष : १५ मिनट हो गये। संक्षेप में निवेदन कर दें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आप इस कानून के जरिये यह प्रोविजन रखिये कि जो ३ महीने से डिफाल्टर हो यह इस सहकारी मूवमेन्ट और पंचायतराज मूवमेंट में काम नहीं कर सकेगा। मैं इसके लिए एक आंकड़ा उपाध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर महोदय की जानकारी के लिए देना चाहता हूं कि इस राज्य में ६३ तक १५४६ कोआॅपरेटिव सोसाइटियां डिफाल्टर हैं, लिक्विडेशन में आ गई और उसके ४४ हजार के करीब सदस्य लोग हैं तो ४४ हजार मेम्बरों वाली संस्थाएं लिक्विडेशन में आ जाएं वे अपने आप डिफाल्टर होने चाहिये। इसके अलावा भी ऐसी कितनी ही हजार सहकारी समितियां हैं जो लिक्विडेशन में आनी चाहिये और उनके सदस्य डिफाल्टर घोषित होने चाहिये। पर जैसा मैंने कहा यह कांग्रेस की सरकार हर चीज को कांग्रेस के लोगों के हाथों में रखना चाहती है इसलिये उनको डिफाल्टर नहीं कर सकती।

भीलवाड़ा बैंक की बात कही अभी। आज मैं कहना चाहता हूं कि १९६३ के अन्दर भीलवाड़ा कोऑपरेटिव बैंक का जो लोगों में ऋण बाकी है वह ४४८२ हजार रुपया है। मैं बहुत अदब से कहना चाहता हूं कि राजस्थान में कितने कोआॅपरेटिव बैंक हैं ? ४९ ! उसके अन्दर एक कोऑपरेटिव बैंक का ४४८२ हजार रुपया बाकी रह जावे तो वहां बैंकों के चलने की हालत क्या होगी यह अन्दाज लगा सकते हैं बड़ी आसानी से।

श्री मथुरादास माथुर : ये ड्यूज हैं या ओवर ड्यूज हैं ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : ये ड्यूज हैं और इसमें से १६ हजार रिकवर किया है। बाकी ओवर ड्यू है। यह ६२, ६३, ६४ में दिया है। उसको उन से वसूल करिये।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह भीलवाड़ा से सम्बन्धित है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अगर माननीय मन्त्री यह कहते हों तो उनकी जानकारी के लिये यह कहना चाहता हूं, आप जो यह कहते हैं कि हम सहकारी समितियों को और पंचायती राज संस्थाओं को राजनीति में नहीं घसीटते, यह कांग्रेसी सरकार का हमेशा दावा रहता है।

मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि यहां अभी १९६४–६५ में चुनाव हुए पंचायतों के। आपको मालूम है कि भीलवाड़ा को ऑपरेटिव बैंक ने आपके इन चुनावों से १७, १८ दिन पहले वहां की ग्राम सेवा सहकार समितियों को कितना लोन दिया और इससे पहले साल पर बिना एक पैसा दिये बैठा रहा। यह अगर राजनीति से प्रेरित नहीं है तो और क्या है ? आपने मेरे एक प्रश्न के उत्तर में एक लिस्ट दी है। मैं पूछना चाहता हूं कि १२ लाख ५३ हजार रुपया आपने पंचायत चुनावों के १७, १८ दिन पहले दिया इसका क्या कारण था ? और वैसे बराबर साल भर तक एक पैसा भी नहीं दिया जब कि वे बराबर बैंक के मैनेजर के पास चक्कर लगाते रहे, इसका क्या कारण है ? आप बता सकते हैं ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी सहकारी समितियों को लोन दिया जो ५८ से ५९-६० और ६१ से लिक्विडेशन में हैं। बैंक के ओवर ड्यूज हैं। उनको आपने फिर यह १२ लाख दे दिया। तो यह क्या बताता है ?

मैं कहना चाहता हूं कि क्या यह राजनीति में उपयोग नहीं कहा जा सकता ? नहीं कहा जा सकता तो फिर आप इसे क्या कहेंगे ?

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री मथुरादास माथुर : यह आप कहते हैं, "आप कौन है ?" ये कौन हैं ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : ये कौन हैं, आप इस सरकार के जिम्मेदार मेम्बर सदस्य हैं।

श्री मथुरादास माथुर : जो बैंक हैं वे चुने हुए होते हैं। अगर भीलवाड़ा वालों ने दिया है तो भरतपुर वालों ने भी दिया है। अब भीलवाड़ा के चेयरमैन कोई हो सकते हैं। नत्थीसिंह जी चले गये। भरतपुर में भी दिये हैं तो वहां दूसरी पार्टी के थे, यहां भीलवाड़ा में और थे। अब रहा सवाल इसका कि साल भर तो नहीं दिया और इसी मौके पर दिया तो यह तो सीजन में लोन देते हैं, बरसात होने के बाद में बीज खाद और दूसरी ऐसी चीजों के लिये देते हैं। तो लोन का सीजन होता है वह बारह

(श्री मथुरादास माथुर)

महीने नहीं होता। अब यह इत्तफाक है कि चुनाव भी उन्हीं दिनों में पड़ गया।

श्री दयाचन्द सोन (बारां) : दिसम्बर में कौनसा खाद और बीज डाला जाता है जो दिसम्बर में यह लोन दिया ?

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : गवर्नमेन्ट ने दिया था यह लोन ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : १८ मेम्बर यहां बैठते हैं तो क्या वे सरकार के मेम्बर नहीं हैं, कांग्रेसी नहीं है ?

श्री मथुरादास माथुर : १८ ही गवर्नमेन्ट बनाते हैं ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मेरे आंकड़ों को आप पहले सुन लीजिये, प्रमाण आप फिर देते रहें।

श्री मथुरादास माथुर : कहने का फिर आपको अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में। कितना समय लेंगे ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आठ दस मिनट और लूंगा। आधे घण्टे तो बोलने दीजिये। रामानन्दजी बोले हैं २५ मिनट तो।

श्री उपाध्यक्ष : यह नकल थोड़े हीं है। और भी बोलने वाले हैं। थोड़े संक्षेप में कह दीजिये। पांच मिनट मैं और देता हूं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं जानकारी के लिये यह कहना चाहता हूं कि आपने जो एंडवान्सेज़ किये हैं लोन उनके अन्दर १६५६–५७ से जिन लोगों में ओवर ड्यूज़ हैं उनके बारे में कहना चाहता हूं कि आज दिन तक वसूली नहीं कर रहे हैं इसका क्या कारण है ?

यह बनेड़ा सहकारी समिति है। बनेड़ा पंचायत समिति में तीन चार सहकारी समितियों के नाम देता हूं। ६६ कोऑपरेटिव सोसायटियां है। पूरे दावे से कहना चाहता हूं और अदब के साथ कहना चाहता हूं कि इन छः सोसाइटियों से कोई भी ओवर ड्यूज़ वसूल नहीं कर सके और मैं कहना चाहता हूं कि इस के रिप्रेजेन्टेटिव आज पंचायत समिति में बैठे हैं जो ५८ से डिफाल्टर चले आ रहे है। वे इन्हीं सहकारी समिति के प्रतिनिधि की हैसियत से बनेड़ा की पंचायत समिति में मेम्बर बन कर गये हैं और मैंने आपसे निवेदन किया था ऐसे डिफाल्टर मेम्बर को मत दीजिये प्रतिनिधित्व। आपने उस समय कहा—नहीं दिया जावेगा। पर मैं जानकारी देता हूं आपको कि वहां एक चर्म सहकारी समिति है ५६ से....

श्री मथुरादास माथुर : मैं सफाई के लिये जानना चाहता हूं कि क्या माननीय सदस्य यह सुझाव दे रहे हैं कि अगर कोई को ऑपरेटिव बैंक, सहकारी समिति का सदस्य डिफाल्टर है तो उसको पंचायती राज में किसी भी संस्था का प्रधान, उप प्रधान या पंचायती राज की किसी संस्था में पंच-सरपंच तक का चुनाव नहीं लड़ने दिया

(श्री मथुरादास माथुर)

जाना चाहिये । सहकारी समितियों के चुनावों में तो रोक दिया जावे, पर किसी को-ऑपरेटिव सोसाइटी का डिफॉल्टर बन गया हैं तो उसे पंचायती राज संस्था में भी खड़ा नहीं होने दिया जाय, आपका यह कहना है ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं जवाब देता हूं ।

जिस तरह आपने कहा है मै वैसे ही कहता हूं । इसका एक कारण है । एक लिमिट आप लगा दीजिये कि एक सदस्य छ: महीने के लिये या इतने हजार रुपयों के लिये डिफाल्टर है तो उसे मत दीजिये । इससे कम है तो दीजिये । इसका कारण स्पष्ट है ५८ से जो आदमी १२ हजार रुपया लेकर सहकारी समिति का बैठा है, एक पैसा खुद वापिस देना नहीं चाहता वह अगर पंचायत समिति का प्रधान हो गया तो क्या वह दूसरे के ड्यूज को वसूल करने के लिये काफी जोर से कह सकेगा, जैसा कि उसको कहना चाहिये? यह चीजें होती हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि आज भी जिन लोगों में ४४ लाख रुपया बाकी है वह ऐसे ही लोगों में बाकी है जो कि सरपंच है, प्रधान हैं और इस तरह के लोग जो पंचायतों में बैठे हैं । मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह रुपया उन लोगों में बाकी है जो कि कांग्रेसी हैं । रुपाला के सरपंच हैं उनमें करीब ८० हजार रुपया बाकी है । बहुउद्देशीय सहकारी समिति खोल कर बैठे हैं उसमें १ लाख २५ हजार रुपया बाकी है । जब मैंने तीन बार सदन में कहा तो उन्होंने ४० हजार रुपया जमा कराया और बाकी का ड्यू आज भी हैं और वह कितनी सहकारी समितियों के सेक्रेटरी हैं, खजांची हैं इसका आप पता लगायें । तो इस तरह के जहां लोग पंचायती राज्य की संस्थाओं को खराब करने के लिए आते हैं उनको आप प्रोटेक्ट इसलिए करें कि वह कांग्रेस के लोग हैं तो मैं समझता हूं कि आप इन्साफ नहीं करते इस सहकारी आन्दोलन के साथ या पंचायती राज के साथ । तो मैंने इसीलिए यह सारी बातें कही हैं कि आप आंकड़े उठाकर देखें कि कितने करोड़ रुपया कांग्रेस के लोगों में बाकी हैं और कितना और लोगों में बाकी है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह छोटे-मोटे लोगों की बात हो तो मैं मान सकता हूं कि यह अनजान में नहीं चुकाते होंगे लेकिन माथुर साहब आप सुनिये आपके पास और आपके पीछे और पास बैठने वाले लोग, श्री रामप्रसाद जी लड्ढा में सन् ५२ का ५००० रु० कन्ज्यूमर्स कोआॅपरेटिव सोसाइटी सेवा सदन का बाकी है और यह रुपया लिया उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए और आज ६५ तक उस पैसे को नहीं चुकाया...

श्री मथुरादास माथुर : यह बात बिल्कुल गलत है । क्योंकि सदन के माननीय सदस्य के बारे में कहा है और इस समय वह यहां नहीं हैं मैं, निवेदन करना चाहता हूं कि आपने कहा कि आज तक ५००० रु० बाकी है, मैं आपको सूचना देता हूं सहकारी मंत्री के नाते कि उनमें इस वक्त आज की तारीख में एक पैसा भी बाकी नहीं है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): कल दे दिया गया होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): कब चुकाया ?

श्री मथुरादास माथुर : आज बाकी नहीं है। आप हाजिर नहीं थे। आपका एक प्रश्न अभी दस-पन्द्रह रोज पहले था उसके उत्तर में भी यही होता कि कोई रुपया बाकी नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कब चुकाया ?

श्री मथुरादास माथुर : मुझे तारीख याद नहीं है, लेकिन आपका प्रश्न आया था पन्द्रह-बीस दिन पहले उसके उत्तर में मुझे सूचना मिली थी कि कोई पैसा बाकी नहीं है। एक्चुअल तारीख पूछें तो मैं बता दूंगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : इस बात की तो मुझे खुशी है कि मेरे इस हाउस में प्रश्न पूछने के बाद....

श्री मथुरादास माथुर : यह नहीं कह सकते।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : ५२ का बकाया ६४ में भी जमा करा दिया है तो मुझे खुशी है।

श्री मथुरादास माथुर : आपने प्रश्न पूछा था उस समय यह था कि रुपया उन्होंने पेमेन्ट कर दिया है। तारीख भी उसमें थी और उस प्रश्न का जवाब लेकर मैं आया था, लेकिन आप हाजिर नहीं थे इसलिए जवाब नहीं दे सका।

श्री भैरोंसिंह : उनके पास वह रकम कितने वर्ष रही ?

श्री मथुरादास माथुर : यह मुझे याद नहीं है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं, जैसा मंत्री महोदय कह रहे हैं कि आज उनमें रुपया बकाया नहीं है और उन्होंने जमा करा दिया। मैं यह पूछना चाहता हूं कि ५२ से ६४ तक यह रुपया बाकी रहा है वह गैर-कानूनी तरीके से बाकी रहा ? कन्ज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी से इन्डीविजुअली लोन नहीं लिया जा सकता क्योंकि वह उस समय कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर थे। उन्होंने इन्डीविजुअल केपेसिटी में वह रुपया उधार लिया, ६४ तक उन्होंने अपने पास रखा और जमा नहीं कराया। उसका इन्ट्रेस्ट भी जमा नहीं कराया। क्या मंत्री महोदय कह सकते हैं कि ५ हजार रुपया विद् इन्टरेस्ट जमा करा दिया या बाकी है ?

श्री मथुरादास माथुर : रुपया जो था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भी सरकार का या बैंक का नहीं था उनके ओन फण्ड से लिया था।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आप कह रहे हैं उसमें भी तथ्य नहीं हैं। मैं कहना चाहता हूं...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि कोई उधार लिया

(श्रीं ज्वालाप्रसाद शर्मा)

जाता है–मैं किसी से उधार ले लूं और मेरे ऊपर उधार भी है क्योंकि मेरे ऊपर गरीबी है-अगर मैं उधार लेता हूं तो उसमें क्या हो गया ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह सही है कि इस तरह के काण्ड को कांग्रेस के लोग कुछ नहीं समझते हैं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं उधार लूं या नहीं इससे क्या हो गया !

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : जैसा कि माननीय सदस्य नसीराबाद से आने वाले कह रहे है अफसोस इस बात का है कि वह हमेशा सही बात कहने के इस सदन में आदी हैं और आज क्योंकि एक डिप्टी मिनिस्टर के बारे में कहा गया...

श्री भैरोंसिंह : आपने बहुत गलत सर्टीफिकेट दे दिया ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कन्ज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूल्स उठा कर देखें उसमें किसी इन्डीविजुअल को अपने प्राईवेट काम के लिए लोन लेने का अधिकार नहीं है और खास तौर से चुनावों के लिए लोन लेने का अधिकार नहीं है । ५२ के चुनाव लड़ने के लिए पैसे लिए और बराबर ६४ तक बाकी रहे ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप कहें कि ऐसे लोगों को भी चुनाव लड़ने की इजाजत देते हैं तो मैं कहना चाहता हूं, यह ऐसे लोग सारे कोऑपरेटिव मूवमेंट को खराब करेंगे ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक बात माननीय सदस्य श्री रामानन्द जी अग्रवाल ने कही उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि कोई भी पैसों के लेन-देन का काम करने वाला है, बनिये का काम करने वाला है–आपने तो अभी कह दिया कि उसको ऑफिस होल्ड करने के लिए रखा है । मगर इस कानून को पढ़ें तो इसमें लिखा है कि वह ऑफिस तो होल्ड कर सकता है लेकिन वह इस तरह के काम नहीं कर सकता । उसके लिए कहते हैं कि मेम्बर बनने के बाद भी सहकारी समिति से उधार नहीं लेगा । मैं कहना चाहता हूं कि सहकारी समितियों को बनियों से बचाना है, उनके काम से बचाना है, उनसे इन्फ्लुएंस से बचाना है, उनकी नीति है कि जितने भी मेम्बर्स सहकारी समिति के होते हैं उनको ऐसे लोगों को बना देते हैं कि जिनमें उनका रुपया बकाया रहता है । उनकी जो पूंजी होती है वह भी बनिया जाकर दाखिल कर देता है और जब लोन आता है तो जितनी अपनी बकाया होती है वह अपने बही चोपड़े में जमा कर लेता है । इस तरह से जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है उसकी रक्षा करनी है तो मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि इस तरह के काम करने वाले लोगों और ऐसे काम करने वाले लोगों, जो कि कृषि का काम नहीं करते हैं, उनको सेवा सहकारी समितियों का मेम्बर बनाना खतरे

(श्री उमरावसिंह ढावरिया)

से खाली नहीं है, उनको मेम्बर नहीं बनाया जाना चाहिए वर्ना यह सारा मूवमेंट खराब होगा। इसमें दो राय नहीं हैं। यह सारी बातें ऐसी हैं, जिसके लिए जरूरत है कि जनता इन बातों को जाने कि हम जो कोआॅपरेटिव एक्ट

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बना रहे हैं वह किस तरह से बनना चाहिए। उसमें उनकी राय को जानना

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जरूरी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री विजयपाल कटारा

श्री विजयपाल कटारा (डूंगरपुर-सु०) : माननीय उपाध्यक्ष जी, कोआॅपरेटिव सोसाइटी का जो विधेयक विचारार्थ आज हमारी विधान सभा में प्रस्तुत है उसका मैं समर्थन करता हूं। लेकिन इस सहकारी आन्दोलन को चलाने का मुख्य ध्येय सरकार का यह था कि गरीब और दलित वर्ग को सहकारी आन्दोलन के जरिये ऊंचा उठाया जाये। लेकिन इस सहकारी आन्दोलन के आधार पर जितनी भी आज कोआॅपरेटिव सोसाइटीज हैं वह बिल्कुल बोगस रूप से चल रही हैं। मूल कारण यही है कि जनता के अन्दर हम जिस भावना को लेकर आन्दोलन की बात करना चाहते थे वह जनता के बीच में नहीं आई और जनता के बीच में आन्दोलन को चलाने के लिए हमें जनता को अपने हृदय की भावना प्रकट करनी चाहिए थी, वह नहीं की। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से जो सोसाइटीज चल रही है उनके द्वारा गरीब वर्गों को सेठ और साहूकारों से बचाने के लिए जो विधेयक लाया गया है इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन इसके साथ ही साथ सरकार को सोचना चाहिए कि हम यह सहकारी आन्दोलन को आज कहां तक पनपा पाये हैं?

यह पूंजीवादी का जो सहकारिता का दृष्टिकोण है उसका मैं विरोध करता हूं। वह इसलिए कि इसमें गरीब वर्गों का जो सहयोग मिलना चाहिए था आज तक वह नहीं मिल पाया है, क्योंकि इन सोसाइटियों के अन्दर जो ब्याजखोरी में होशियार कौम है वह भी घुस गई है। जो पढ़े-लिखे लोग हैं, होशियार जो लोग हैं वह अनपढ़ लोगों का पैसा रखने की कोशिश करते हैं और अनपढ़ जनता को गुमराह रख कर अपना ब्याज, अपनी वसूली लेकर दूसरों का पैसा रखने की कोशिश करते हैं। मैं सरकार को यह निवेदन करूंगा कि इस विधेयक के अन्दर ऐसे जो ब्याजखोर लोगों को सोसाइटी का मेम्बर बनाने को तैयार होते हैं उनको कम से कम बन्द कर दिया जाय और जो सदस्य वगैरह के नियम हैं उनके अन्दर प्रावधान किया जाय ताकि अधिक से अधिक गरीब जनता को इस सिद्धांत से फायदा मिल

(श्री विजयपाल कटारा)

सके । आज इस आन्दोलन के जरिये आपने चाहा था कि १९५६ के अन्दर स्टेट बेंक ऑफ इन्डिया की स्थापना हुई थी लेकिन गांवों के अन्दर ५ हजार की जनता के बीच में सिर्फ आपने २३ बेंकें खोली हैं । तो इसके जरिये इन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ५ हजार की जनसंख्या के बीच में बेंकें कायम करना चाहिए थीं वे बहुत कम मात्रा में की है । जिसके कारण से गांवों की जो जनता है, गरीब जो वर्ग है, वह सोसाइटी का सहयोग प्राप्त करने मे असमर्थ रहा है । मैं निवेदन करूंगा कि इस विधेयक के अन्दर सबसे ज्यादा सरकारी अधिकारियों को नियन्त्रण करने के पॉवर्स दिये जा रहे हैं । लेकिन मैं इसका विरोध करूंगा क्योंकि इस अधिकार के अन्दर सरकार अगर अपने हाथ में नियन्त्रण रखेगी तो बार बार जनता को परेशान करने का उनको बहुत बड़ा मौका मिलेगा ।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारी सोसाइटी के अन्दर हमारी साधारण सभा जो होती है तो उसको साधारण सभा के नाम से पूरे अधिकार मंत्री को हटाने के, सदस्य को खारिज करने के होते हैं लेकिन वे सारे पॉवर्स जो हैं रजिस्ट्रार के हाथों में दिये जा रहे हैं, क्योंकि रजिस्ट्रार अपने मंत्री के इशारों पर सारे काम जो सोसाइटी के हैं उनको खत्म करने की कोशिश करेगा । मैं निवेदन करूंगा कि डूंगरपुर के अन्दर कई सोसाइटियां चलती हैं । सब से ज्यादा सोसाइटियां डूंगरपुर के अन्दर खोली गई हैं । इन सोसाइटीज के अन्दर मैं आप से निवेदन करूंगा कि वन श्रमिक सोसाइटी जो चल रही है तो वहां के सरकारी अधिकारियों ने इस सोसाइटी के आन्दोलन को, जनता के बीच अपनी भावना को कम करने के लिए वह अख्त्यार अपनाने की कोशिश की कि सोसाइटी खत्म हो जाय । डूंगरपुर में सबसे ज्यादा वही सोसाइटी अच्छा काम कर रही है, लेकिन सोसाइटी के अन्दर एक राजनैतिक षड़यन्त्र के खातिर सोसाइटी के खिलाफ नाना प्रकार के षड़यन्त्र करके उसको दबाने की कोशिश की जा रही है । मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि गरीब वर्ग को सोसाइटी के जरिये चलाना चाहते है तो नाना प्रकार की छोटी छोटी बातों को लेकर सरकारी अधिकारी जनता के बीच सहकारी आन्दोलन जो फेल रहा है इस आन्दोलन को कम करने की भावना से काम करते हैं, उनकी इस भावना को खत्म करना चाहिए । इस सोसाइटी के पीछे मैं निवेदन करूंगा कि वहां के सदस्यों को वहां की जनता के अंदर जो काम करने के अधिकार थे उसके लिए वहां इस सोसाइटी पर यह आरोप लगाया है कि जंगल के अंदर आउट कटिंग लकड़ी काटी गई है । उन्होंने यह आरोप लगाया है । लेकिन जो लकड़ी वन सोसाइटी ने काटी है वह रेवेन्यू के अन्दर है, लेकिन हमारे वन मंत्री इस सोसाइटी को दबाने के लिए सारे के सारे अधिकारियों को लेकर वहां पर डी० एफ० ओ०, रेन्जर और दूसरे कर्मचारियों के द्वारा इस सोसाइटी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं । तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो काश्तकार अपनी जीविका चलाने के लिए रेवेन्यू के अन्दर काटी गई लकड़ी को ले गये तो उन पर उस लकड़ी का ३ हजार का मुआवजा लगाया जो

(श्री विजयपाल कटारा)

कि ३६ आदमी हैं। यह सोच सकते हैं कि ३६ आदमी लेकर बेचने के लिए, जीविका चलाने के लिए जाते हैं उन पर यह आरोप लगाये जाते हैं। तो उस सोसाइटी को भंग करने के लिए यह हथियार अपनाया है वह बिल्कुल गलत है। इस प्रकार से सहकारी आन्दोलन को गिराने का षड़यन्त्र रचा जा रहा है।

मैं दूसरी सोसाइटीज का भी उदाहरण बताऊंगा। पंचायत समिति सीमलवाड़ा में ऐसी कई सोसाइटियां चल रहीं है। जिनमें गबन भी चल रहा है लेकिन उनकी आज तक जांच-पड़ताल नहीं होती है। जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा बीज भण्डार बनाये गये हैं वे बीज भण्डार गिर चुके हैं। जाडौल, घरनी आदि में जो बीज भण्डार बनाये गये थे पंचायत समिति द्वारा हजारों रुपया लगाकर वे वापिस गिर गये हैं और जहां कहीं हैं तो बुरी हालत में हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि सहकारिता में इस प्रकार से जो पैसा सरकार जनता के बीच काम करने के लिए देती है

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

न तो सोसाइटी के सदस्य, न जनता, न सोसइटी के मन्त्री बल्कि बाला-बाला सोसाइटी को दर्ख्वास्तें दे दी हैं वे बीज भण्डार गिर गये हैं। मैं निवेदन करूंगा कि सोसाइटी के काम के लिए जनता के अपने मन से निकल कर जो भावना आती है तब जाकर सहकारी समिति आगे पनप सकेगी वर्ना नहीं। मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के जो आरोप लगाते हैं तो सरकारी अधिकारी यह चाहते हैं कि किसी प्रकार से खत्म करने की कोशिश की जाय। डूंगरपुर में मदेरी सहकारी समिति थी उसके मंत्री थे, उन मंत्री की जांच-पड़ताल की असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार ने तो उसको इस प्रकार की धमकी दी कि वह वहां से भागा और भागने के बाद असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार मन्त्री के पीछे मोटर ले कर गया और उसको पकड़ा और पकड़ कर वहां लाये और दूसरे आदमी के साथ रेकॉर्ड वगैरह सुपुर्द करके अपनी रसीद दी और देकर सील बन्द करके उसको डूंगरपुर हैडक्वार्टर में लाया असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार के दफ्तर के अन्दर, लेकिन जिस मन्त्री को रसीद दी गई थी उनको बिना बुलाये ही असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार साहब ने पेटी खोल दी और खोलने के बाद कागजों का पता नहीं और खाली पेटी वापिस भेजी गई। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा और दूसरी सोसाइटी का उदाहरण बतलाऊंगा कि पंचायत समिति डूंगरपुर के अन्दर सोसाइटी के सदस्यों को किस प्रकार से दबाया जाता है।

(४. ०० म. प.)

कोआॅपरेटिव अलग वसूल करती है, रजिस्ट्रार अलग वसूल करते हैं, वहां के मंत्री अलग वसूल करते हैं और इसी प्रकार अलग अलग इन्सपेक्टर्स जाते हैं वे अलग वसूल करते हैं। इस प्रकार से वसूल करके जो पैसा ले गये उसको न तो मंत्री जानते हैं और न वहां के लोग जानते हैं और वसूल करके बैंक में जमा नहीं कराते हैं। इस तरह के पंचायत समिति में कई घोटाले चल रहे हैं और आज तक उसकी कोई जांच नहीं हुई है।

(श्री विजयपाल कटारा)

यदि हम सहकारिता आन्दोलन को फैलाना चाहते हैं तो जनता में इसके प्रति प्रेम भावना बढ़ानी होगी। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि मैं सहकारिता का विरोध नहीं करता हूं लेकिन सहकारिता के जरिये जो खेती का सवाल हमारे सामने आता है तो उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि हम सहकारिता से खेती नहीं करना चाहते हैं। अलग अलग रह कर ही हम ज्यादा पैदावार बढ़ा सकेंगे। सहकारिता का जो ध्येय है उससे हमारा हक खत्म करके सहकारिता करना चाहते हैं, उसका हम विरोध करना चाहेंगे, जनता के जो अधिकार हैं उनको कम करना सरकार के लिए कभी अच्छा नहीं होगा। ज्यों ज्यों जनता के अधिकार कम होंगे त्यों त्यों जनता में असन्तोष की भावना बढ़ेगी, अलग अलग रह कर हम कम्पीटिशन से ज्यादा पैदावार कर सकेंगे। इसलिए सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपको अपना अमूल्य समय देकर जनता में अच्छी भावना फैलानी चाहिये ताकि पूंजीवाद गरीबों का नुकसान नहीं कर सके। सहकारी आन्दोलन में से व्यापारिक मनोवृत्ति को निकालने के लिए प्रयत्न करना चाहिये। इस बिल को जनमत जानने के के लिए प्रसारित किया जाय ताकि जनता अपनी राय दे सके।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, सर्व प्रथम तो मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि आज तक जो अनुभव हुआ उसके आधार पर इस बिल को सदन के सामने लाये। इस सिलसिले में मैं यह भी सदन के सामने कहना चाहूंगा कि आज कोऑपरेटिव मूवमेंट का जो इतना महत्व है उसका कारण समझ लेना चाहिये।

सर्व प्रथम बात तो मैं यह समझता हूं हम जो सोशलिज्म को लाना चाहते हैं और सोशलिज्म से हमारी पूंजीवादी व्यवस्था को बदलना चाहते हैं उसमें आवश्यक है कि हमारे लिए सिवाय कोऑपरेटिव के दूसरा तरीका नहीं है। इस भारतवर्ष में कांग्रेस का जैसा मंतव्य है उसके माफिक हमारा जो सामाजिक संगठन है उसको समाजवादी बनाने के लिए आवश्यक है कोऑपरेटिव मूवमेंट। सिवाय इसके कोई चीज नहीं है; बल्कि हम जो देश के अन्दर व्यक्तिगत रूप से बैठते हैं वहां हम सबकम्युनिस्ट के रूप में समाज में अपने आपको समझें। समाज के साथ सामाजिक ढंग से सोचने की कोशिश करें। गुलामी की बात आज तक हम व्यक्तिगत रूप से सोचने के आदी बन गये हैं। इस चक्कर से निकलने के लिये कांग्रेस ने तय किया कि समाजवाद लाना है तो उसका सहारा कोऑपरेटिव मूवमेन्ट है। इस मूवमेन्ट को हम जोर से चलाना चाहते हैं। आज देश में हर आदमी समझता है कि वह अकेला है, उसमें प्रवृत्ति इस प्रकार की लाना चाहते हैं कि वह अकेला नहीं। कोऑपरेशन के साथ समाजवादी व्यवस्था को लाना है और उसके लिये आवश्यक है कि सही तरीके का कानून हमारे राजस्थान में हो।

इसके साथ मैं यह कहूंगा कि आज जो है दिक्कत आई है उनकी तरफ व्यक्तिगत

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

रूप से मैंने कई मर्तबा यहां सवाल उठाया है और सम्माननीय मंत्री महोदय उससे एग्री करते हैं, उसके बावजूद भी मुझे निराशा हुई इस बिल को देख कर। जो हमारा मंतव्य और उद्देश्य है उसकी कोई सफाई नहीं हुई है। इसका उद्देश्य क्या है? को-ग्रॉपरेटिव कोई प्राइवेट कम्पनी नहीं है। प्राइवेट कम्पनी की तरह से तो उसकी कोई वेल्यू नहीं है। आज लिमिटेड कम्पनी की तरह उसको सरकार चलावे तो मैं कहूंगा कि हम और गड्ढे में पड़ने वाले हैं। उससे बचने के लिये इस वक्त कदम नहीं उठाया तो और उलझ जाओगे। आज दिक्कत क्या है? कई दिक्कतें हैं, मैं यह नहीं कहता कि ठीक तरह से नहीं चल सकते। कोऑपरेटिव का ध्येय खाली प्रोफिट करना ही नहीं है, खाली लाभ लेना नहीं है और लाभ कैसे लेना, लाभ कम्युनिटि को नहीं मिले इस तरीके से किसी से एग्रीमेन्ट करके को-ऑपरेटिव के नाम का दुरुपयोग करके लाभ के लिये उपयोग करना मैं इसे कानून और को-ऑपरेटिव आन्दोलन के लिये न्यायोचित नहीं मानता हूं। सम्माननीय मन्त्री अच्छी तरह से जानते हैं कि को-ऑपरेटिव का नाम एक भविष्य में जगह लेना चाहता है। कोग्रॉपरेटिव के अन्दर कोई चीज सिर्फ मेम्बर्स के लिये ही कर सकते हैं। यदि कोई चीज खरीदते हैं तो खरीद कर अपने मेम्बर्स के लिये ही उसका उपयोग होना चाहिये यदि आपने ऐसा नहीं किया और कोऑपरेटिव को मैनेजर और एम्पप्लॉईज़ के जरिये का साधन बना दिया तो यह उचित नहीं रहेगा। इस मूवमेन्ट को सरकार ने अच्छी तरह से सोच-समझ कर नहीं चलाया तो जनता की बर्बादी के सिवाय और सामाजिक जीवन को नष्ट करने के अलावा कुछ नहीं होगा। समाजवादी व्यवस्था में जनता का विश्वास हो, कांग्रेस सरकार कानून बना कर लगाना चाहे उसमें व्यवहारिक बात हो उसको देखें, कोग्रॉपरेटिव सोसाइटीज़ को रिकॉग्नाइज़ करके अलग अलग चीजों के लिये उनको ठेका देना चाहिये, मकान बनाने के लिये निर्माण सोसाइटीज़ होनी चाहिये, मार्केटिंग सोसाइटीज़ होनी चाहिये, मैं इनका स्वागत करता हूं। लेकिन मैं इस बात को रिकॉग्नाइज़ नहीं करता कि आप किसी को-ऑपरेटिव को १० हजार या २० हजार का ठेका दें और कोग्रॉपरेटिव सोसाइटीज़ उन कांट्रेक्टर्स से ठेका करके उनको यह काम सौंप दें जो ग्रॉलरेडी ब्लैक लिस्टेड हैं और उनसे यह कहें कि तुम २ पर्सेन्ट प्रोफिट को-ऑपरेटिव को दे देना और तुम को-ग्रॉपरेटिव का ठेका पूरा कर दो। ऐसा करने से न तो मकसद पूरा होता है और न क्वालिटी अच्छी होती है। आप को-ऑपरेटिव के नाम पर देते हैं और वे २ पर्सेन्ट पर काम कराते हैं। सरकार जिस भावना से मूवमेन्ट को चलाना चाहती है उस भावना को पूरा करने के लिये दो-तीन बातों को रोकना पड़ेगा।

अमेरिका के बारे में पूछा था तो आप कहते हैं अमेरिका में ऐसा है और जापान में वैसा है, लेकिन मैं अदब से कहूंगा कि हिन्दुस्तान अमेरिका नहीं है। आज आप भारत में अमेरिका की नकल करना चाहेंगे तो बगुला हंस की चाल चलता है, वैसी हालत नजर आयेगी। आप इन बुराइयों को लाना चाहेंगे तो यह अच्छा नहीं रहेगा। सरकार

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

मदद देती है उस मदद के नाम पर कुछ लोग इकट्ठे होकर इस तरह का व्यापार करते हैं और अपना लाभ कमाते हैं। हमारे यहां लाभ का ध्येय नहीं है। को-ऑपरेटिव ७॥ पर्सेन्ट से अधिक लाभ नहीं ले सकती। कोऑपरेटिव मूवमेन्ट का ध्येय खाली लाभ कमाना ही नहीं है। ऐसी हालत में एक्स-प्लोइटेशन करने का मौका ऐसे तबके दे देंगे जो आज तक एक्सप्लोइटेशन करने का आदी है और आज भी एक्सप्लोइटेशन कर रहा है। आज हो क्या रहा है? कन्ज्यूमर्स को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, छोटी छोटी खोल रखी है उन्हें सब्सीडी दें और सुविधा हो इस बात की। लेकिन आपने उस सिलसिले में कह दिया कि माल लेकर सारे लोगों को बेचो। वह क्या करते हैं कि आज इनके मैनेजर लोग वहां कलेक्टर की खुशामद करने के लिए जाते है, वह जाकर वहां से माल लेते हैं। माल लेने के लिए पैसा कहीं से जुटाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है। वह माल लाने के बाद उस माल को बेचते है और उससे जो प्रोफिट होता है उससे मैनेजर और व्यक्तिगत रूप से जो पैसा देते हैं उनको लाभ होता है। इस तरह जो माल बेचा जाता है उससे कोआॅपरेटिव मूवमेंट बदनाम हो रहा है। इसलिए आप ऊपर से इसका संतुलन करें और यह कहें कि कोआॅपरेटिव, उपभोक्ता भण्डार के मेम्बर हैं सौ या दो सौ उनके लिए ही बादाम मिलेंगे, उनके लिए ही गुड़ मिलेगा और उनके लिए ही शक्कर मिलेगी। और जैसे जैसे मेम्बर्स बढ़ते चले जायेंगे तो उनके लिए भी मिलेगा। इस तरह जो कोऑपरेटिव मूव-मेंट के मेम्बर्स हो जायेंगे उन्हीं को अधिकार होगा। इससे उनका चैकिंग भी पूरी तरह हो सकता है क्योंकि जो मेम्बर्स हैं उन्हीं को मिलेगा तो अगर उनके नौकर गड़बड़ी करेंगे तो मेम्बर सम्भल सकते हैं, वह डाइरेक्टर्स को सम्भाल सकते हैं। लेकिन आपने छूट दे रखी हैं बड़ बड़े स्टोर के अन्दर और उस छूट का नतीजा यह निकलता है आज कि उसका उपयोग मेम्बर्स लोग करते हैं और जो कोऑपरेटिव मूवमेंट में नहीं होते हैं उनको भी माल बेचना पड़ता है। लेकिन आप कोऑपरेटिव मूवमेंट के लिए यह कह कर संतोष करते हैं कि मेरे पर्सेन्टेज़ में इतनी बढ़ोत्तरी हो गई। लेकिन वह कुछ है नहीं। मैं इसके लिए तारीफ करता हूं सरकार की, उसने इस सम्बन्ध में सोचा और सोच कर इस बिल को यहां लाये। मैं इसके विरुद्ध हूं जो यहां कहा जाता है कि ज्यादा अधि-कार ले लिये। यह अधिकार किसको दे दिये है? जब कोई शुरू में चीज चलती है तो जब तक पूरी जिम्मेदारी सरकार नहीं ले तब तक उस चीज में ज्यादा गड़बड़ी होने वाली है। मैं एक बात आपको कहता हूं, मैं पहले रजिस्ट्रार साहब की बात करूं कि जो कोऑपरेटिव के रजिस्ट्रार हैं वह कोई ट्रान्सपोर्ट कम्पनी के डाइरेक्टर नहीं हैं। वह ट्रान्सपोर्ट कम्पनी के डाइरेक्टर नहीं हैं या किसी म्यूनिसिपल बोर्ड के कमिश्नर नहीं हैं, जिसमें कोई सेल का मामला चलता हो तो चाहे जो हो वह डेढ़ रुपये के भाव से बेच कर राजीनामा कर लें। यह नहीं है कि कोऑपरेटिव सामान बेच दे और जो नफा हो वह खुद खाते रहें। तो यह जो मार्के-टिंग की व्यवस्था है, इसमें चाहे गुड़ बेचते

Page No.114

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

हों, चाहे शक्कर बेचते हों, चाहे बादाम बेचते हों, जहां तक इसका सवाल है, ईश्वर के वास्ते इस कोऑपरेटिव मूवमेंट की सफलता के वास्ते और इस देश में सोशलिज्म लाने के वास्ते मैं सरकार को आगाह करता हूं कि आप कोऑपरेटिव मूवमेंट को गुमराह न होने दें, आप यह व्यवस्था करें कि कोऑपरेटिव के अन्दर जो कोऑपरेटिव स्टोर का फायदा उठाने का सवाल है, उसमें जो मेम्बर्स होंगे वही उसका फायदा उठायेंगे।

आज हम कर्ज लेने जाते हैं मोर्टगेज बैंक से तो पहले उसका मेम्बर बनना होता है तब जाकर कर्ज मिलता है। यह कोऑपरेटिव मूवमेंट अंग्रेजों के वक्त में चला था, यह मूवमेंट कोई नया मूवमेंट नहीं है। लेकिन जो इनको रुपया दिया जाता है, उसमें अगर दस बारह हजार रुपये का किसी ने गबन कर दिया तो क्या करते हैं कि केस रजिस्टर होता है। उसके बाद में आदमी को पकड़ कर केस चलाते हैं। अगर मामला सिद्ध नहीं होता है तो सरकार के एक्सचेकर का दस हजार रुपया खत्म हो जाता है। मैं समझता हूं कि यह कोऑपरेटिव मूवमेंट को चलाने वाले लोग हैं उनको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। अगर उसके चेअरमैन को चुनना है तो मेम्बर्स को यह विश्वास होना चाहिए कि वह ईमानदार व्यक्ति को चुन रहे हैं। अब इस तरह चुने हुए डाइरेक्टर या चेयरमैन ने गबन किया है तो उसका बर्डन सरकार पर नहीं आना चाहिए बल्कि चुनने वाले व्यक्तियों पर डालना चाहिए, जो लोग उनको चुनते हैं उनकी यह लाइबिलिटी है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनको रुपया राज्य से लेने का अधिकार है, बैंक से रुपया लेते हैं, उनकी लाइबिलिटी को लम्बा क्यों कर देते हैं, यह अनलिमिटेड लाइबिलिटी है कि जितने मेम्बर हो जायं उनको कवर-अप कर सकती है। उनको एक लिमिट में कर्ज लेने का हक है न कि यह एक रिजोल्यूशन पास कर दिया और सरकार से लाखों रुपये का लोन एडवान्स हो गया, पांच लाख रुपया एडवान्स हो गया। यह कोऑपरेटिव मूवमेंट को बदनाम करने वाली बात है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, यह किल-किल क्या हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : सूचना है।

श्री **ज्वालाप्रसाद शर्मा** : इसलिए मैंने निवेदन किया कि इसको आप थोड़ा कन्फाइन करिये। कोऑपरेटिव मूवमेंट को आगे बढ़ने के लिए रुपये का सदुपयोग होना चाहिए। अभी जो डाइरेक्टर के अधिकार हैं वह एक प्राइवेट कम्पनी की तरह चलाते रहते हैं, प्राइवेट कम्पनी की तरह यह सोसाइटी चलाई गई है अभी तक और कोऑपरेटिव मूवमेंट के नाम के ऊपर जो सुविधायें सरकार से मिलती हैं और कन्सर्न संस्थाओं से मिलती है उनका दुरुपयोग किया गया है। इससे आप इन्कार नहीं कर सकते हैं।

इसके साथ ही मैं कहूंगा कि आपने कहा कि इनके अधिकारों में कोई पक्षपात हो तो इसके लिए जिम्मेदार डाइरेक्टर को बनाया जाय। डाइरेक्टर के अधिकार बहुत हैं।

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

इसका मतलब यह है कि जो आपने अधिकार दिये हैं उनका दुरुपयोग और हनन नहीं हो, इसको ध्यान में रखना होगा। जिस तरह आपने ट्रिब्यूनल बनाये हैं जहां इस तरह की दूसरी जगह हैं और जहां रुपये-पैसे का मामला है। तो इसमें भी जो तय करे उसकी अपील कहीं करे ऐसी कोई बात रखी है। इस तरह की चीज को रखना चाहिए। चाहे अधिकारी ईमानदार रहे लेकिन फिर भी उसके फैसलों की अपील का अधिकार देना चाहिए। क्योंकि किसी आदमी को बेईमान बता कर निकाल दें और अगर वह ईमानदार हो तो उसके बारे में कम से कम जनता को तो मालूम पड़ेगा। इसके लिए आपको यह अधिकार देना चाहिए। इस एक्ट में जितनी जगह आपने डिस्क्वालिफिकेशन की है, उसके आगे हरएक आदमी को अधिकार होना चाहिए कि वह अपनी बात को लेकर ट्रिब्यूनल में जा सके, वह अपना एक मन्तव्य वहां पर रख सके और बता सके कि उसने बेईमानी की है या नहीं। आप और मैं या डाइरेक्टर व्यक्तिगत रूप से किसी को बेईमान बता दे तो बेईमान बताने की बात यहां खत्म नहीं होनी चाहिए; उसके लिये कोई न कोई कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए जहां वह अपना मामला रख सके....

श्री मथुरादास माथुर (सहकारी मंत्री) : रजिस्ट्रार की अपील सरकार के पास रखी है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं फिर अदब से कहूंगा कि हम सरकार और डाइरेक्टर से पूछते हैं तो डाइरेक्टर कहता है कि मिनिस्टर साहब ने ऑर्डर किया, मैंने तो कोई बेईमानी नहीं की है। और जब सरकार के पास अपील होती है तो वह कहती है कि डाइरेक्टर ने फैसला कर दिया हम क्या करें ? इस तरह की व्यवस्था वहां रखते हैं इससे आप इन्कार नहीं कर सकते। मैं एक बात और कहना चाहता हूं उसका और माननीय सदस्यों को अनुभव होगा कि एक आदमी के लिए एक आदमी एक भावना रखता है और दूसरा दूसरी भावना रखता है। जो भावना होती है वही होती है। मैं सदब से कहूंगा कि जनता को विश्वास होना चाहिए, सरकार अगर उसका विचार नहीं करती हैं तो पब्लिकमैन को वापिस उसके घर भेज दें उसके पहले अपने दामन को साफ करने का मौका होना चाहिए और मैं समझता हूं कि इसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इनके ऊपर-कंट्रोल करना चाहते हैं। कंट्रोल और दूसरे लोगों से कराना पड़ेगा, डाइरेक्टर बीच में है और उसके बाद और लोग है। मैं एक बात आपकी निगाह में लाना चाहता हूं कि जितने लोगों ने गड़बड़ी की है कोऑपरेटिव के अन्दर, जो आपके नोटिस में हैं, सम्माननीय सदस्यों के नोटिस में आयी हैं, वह गड़बड़ी वही लोग करते हैं जिनको प्रश्रय मिलता है आपके कोऑपरेटिव विभाग का। मैं कड़वी बात कह रहा हूं लेकिन जांच के आधार पर कह रहा हूं कि जिनके ऊपर वरद-हस्त होता है, जिनके ऊपर नीचे के लोगों का वरद हस्त होता है, मैं आपकी

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

बात नहीं कहता, तो जिनके ऊपर वरद हस्त होता है, उनसे वह गलतियां करवाते हैं, गलतियां कराने के लिए सोसाइटी खुलवाते हैं। इसके बाद जब वह देखते हैं, जब यह होता है कि उनके मन के माफिक वह चुनाव नहीं करवाते तो जो गलतियां उन्होंने उससे करवाई हैं उनके आधार पर ही उसे फांसते हैं। यह स्थिति है। यह मिसाल है, आपने जो कानून रखा है उसके अन्दर यह है कि जो आदमी साहूकारी करता है उस साहूकार आदमी को अपना बिजनेस भी नहीं करना होगा। वह यह बिजनेस भी नहीं करेगा तो उसकी आमदनी में घाटा रहेगा। इसके बजाय आप यह क्यों नहीं कर देते क्यों कि आज कोऑपरेटिव और साहूकारी करना एक बात है, पहले व्यवस्था साहूकार की थी, उसका काम था किसानों को लूटने का। तो अब क्या आप मुसलमान से कुफ्र की उम्मीद करते हैं? जो काफिर है वह मुसलमान नहीं हो सकता। वह काफिर है। जो समाज को चूसने का आदी है वर्षों से उसके लिए आप क्यों अधिकार देते हैं? आपने अधिनियम में रजिस्ट्रार के लिए रखा है कि वह सस्पेण्ड करेगा। आप यह कर दीजिये कि जो साहूकार आदमी है उसका कोई कोऑपरेटिव से वास्ता नहीं है, उससे उसका सम्बन्ध हटा दीजिये। आप कहते हैं कि इससे एम० एल० सी० बढ़ जायगी, पूंजी बढ़ जायगी। मैं कहता हूं कि ईश्वर के वास्ते, जनता की भलाई के वास्ते आप इस पाप की पूंजी को इस इन्स्टीट्यूशन के विकास में मत लगाइये, इससे तो सारा कोऑपरेटिव मूवमेंट डूब जायगा। मैं यह प्रार्थना करूंगा कि यह ध्यान रखते हुए उसे आप अलग रखिये, उससे इस मूवमेंट को बचाइये।

इसके साथ साथ आप देखें कि आज सुधारना किस बात को है?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पांच मिनट !

तो मैंने आपसे अर्ज किया कि कोऑपरेटिव मूवमेंट का, कोऑपरेटिव सोसाइटी का फायदा उन लोगों को मिले जो कोऑपरेटिव के अन्दर हैं। उनके लिए ही मार्केटिंग की व्यवस्था हो। इसके अलावा जो ठेका लेने वाली हैं, जो फोरेस्ट के लिए कोऑपरेटिव बनी हैं, उन सबके अन्दर आपको यह देखना होगा कि उनके अन्दर से व्यापारी निकाल दिये जाते हैं, वह किसी आदमी से कागज लिखा कर काम नहीं करायें। अगर वह दूसरे लोगों से समझौता करें तो उससे कोऑपरेटिव मूवमेंट नहीं चलने वाला है। तो इसके साथ साथ अगर वे काम करें तो फिर देख रेख डाइरेक्टर साहब के जिम्मे होगी। ३० दिन कर दिया। मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा यह एक मौलिक अधिकार है कोऑपरेशन बनाने का और इस ओर आपको ध्यान देना चाहिये। यह हमारे मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात है। रजिस्ट्रार को क्या पड़ी है कि वह उनको रजिस्टर नहीं करे। आप उनको भले ही सहायता मत दीजिये अगर आप उचित नहीं समझें, मगर आप उनको रजिस्टर करने से कैसे रोक सकते हैं? और आप उनको रोकने वाले कौन होते

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

है ? अगर वे लोग अपनी कोऑपरेटिव बनाते हैं। आप यह चाहते हैं कि फलां एरिया में कोई दूसरा कोऑपरेटिव नहीं बनावे, यह आपकी बात चल नहीं सकती है। जो लोग कोऑपरेटिव मूवमेंट में आगे आना चाहते हैं तो आप उनके लिये कहते हैं कि उन आदमियों को लेना और नहीं लेना कोआॅपरेटिव रजिस्ट्रार के हाथ में है। चाहे वे लोग आपसे सहायता लें या नहीं लें। वे लोग सहकारिता में जाना चाहते हैं तो यह कहा जाता है कि इसको एग्जीक्यूटिव ले तो ले। मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां पर भी दल बन्दी है, और लोग लेना नहीं चाहते वे उनको लेने देते नहीं हैं और रजिस्ट्रार का और रजिस्ट्रेशन का सहारा लेकर वे लोग घुस जाते हैं जो दूसरे लोगों को आगे नहीं आने देना चाहते। ऐसे लोग घुस जाते हैं जो कोआॅपरेशन को तोड़ना चाहते हैं और दूसरों को घुसने नहीं देते जो उसमें आगे आकर काम करना चाहते हैं।

तीसरी बात आपसे मैं यह कहना चाहता हूं कि आपको चाहिये कि इसमें भी रोटेशन होना चाहिये जो आपने इसमें नहीं रखा है। क्योंकि ठहरा हुआ पानी एक जगह बदबू देने लग जाता है और गन्दगी पैदा करता है। इसलिये जो पुराने लोग हैं और जिन्होंने गलत काम किये हैं उनके कारनामे जनता के सामने आने चाहियें और उनको कोऑपरेशन में नहीं लेना चाहिये। परसों-तरसों ही आपको मालूम है कि इसके लिये कहा गया था कि काफी रुपया लोगों में रह जाता है और वह रुपया कागजों में रह जाता है। वापिस सरकार को देने के बाद नहीं मिलता है। जिस समय ऑडिट होता है, वे बताते हैं कि वह रुपया तो कभी का गायब हो चुका है। अगर वह रुपया गायब हो गया है तो उसकी पूर्ति आपको करवानी चाहिये। इसलिये जो एक साल रहा है वह दुबारा नहीं आवे और दूसरे लोगों को काम करने का मौका मिलेगा। जब तक आप इसमें यह परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक कुछ सुधार नहीं होगा। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इसमें भी आपको रोटेशन का सिस्टम डालना चाहिये जिससे लोगों की गलतियां जनता के सामने आ जावें और उनके कारनामों पर रोशनी पड़े। यह नहीं होना चाहिये कि सड़ा हुआ पानी रुक जावे तो वह और ज्यादा गंदगी और बदबू देगा। बस इन्हीं सुझावों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि इन पर ध्यान दिया जावे।

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान सहकारी संस्था विधेयक, १९६४ को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जावे। इसके सम्बन्ध में दो-तीन बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी का नारा है समाजवादी समाज की व्यवस्था करना और मैं यह मानता हूं कि समाजवादी समाज की नींव सहकारिता है। इसलिए सहकारिता को जितना हम मजबूत करेंगे, जितनी स्वच्छ रखेंगे और इसके नियम जितने सरल रखेंगे उतने ही ज्यादा हम समाजवादी समाज के लक्ष को प्राप्त करने में कामयाब होंगे। हमें

(श्री गोविन्दसिंह)

देखना यह है कि हमारे यहां पर ७३ प्रतिशत काश्तकार हैं और १० प्रतिशत एग्रीकल्चरल लेबर है। अगर हम इसको सहकारिता के द्वारा मजबूत बना सकें तो जो हमारा समाजवादी समाज का नारा है उसके लक्ष्य पर पहुंच जावेंगे। अब देखना यह है कि इससे काश्तकारों को कितनी मदद और राहत मिल रही है। उपाध्यक्ष महोदय, जितनी मदद और राहत काश्तकारों को इससे मिलनी चाहिए नहीं मिलती है। मनी लैन्डर भी अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जब से यह बिल मनी लैंडिग का आया है उन्होंने अपना मनी लैंडिग का तरीका बदल लिया है। उन्होंने एक नया तरीका निकाल लिया है और अपना नया ढंग अपनाया है उन लोगों को रुपये देने का। जैसे किसी को उधार देना है तो दो पर्सेन्ट सूद उनको लेना है तो वे साल भर के २४) ब्याज के होते हैं वे काट कर उस व्यक्ति को ७६) रु० ही देंगे और १००) रु० लिखवा लेंगे। इस तरह से वे रुपया देते है, तो पहले अपना ब्याज काट कर देते हैं। पांच आदमियों को मान लो उन्होंने रुपया दिया तो हर एक को १००) रु० के हिसाब से ५००) रु० होते हैं। तो बजाय उनको पांच सौ रुपया देने के वे उन्हें चार सौ रुपया देकर उनसे लिखवा लिया जाता है ५००) रु०, चार सौ रुपये पास से व १००) रुपये २४) २४) रुपये के हिसाब से चार आदमियों से ब्याज के काट कर अगर काश्तकार रुपये लेने जाता है तो उसको ब्याज देना पड़ता है। इसके अलावा दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब से भारत सरकार ने गोल्ड कन्ट्रोल ऑर्डर लागू किया है काश्तकार सोना और चांदी को बाहर निकालने में हिचकिचाता है। इसलिए सोना चांदी उसके पास रह गया। अब एक मात्र साधन जो उसके पास रह गया वह है सहकारिता। जितना हम इसके एप्रोच को सरल करेंगे उतना ही हम उनको ऊंचा उठावेंगे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह कानून बहुत अच्छा है मगर जितना सरल एप्रोच किया जावे अच्छा हो। सरकार ने सहकारिता के इस विधेयक के द्वारा जो कदम उठाया गया है उसके लिए मैं राज्य सरकार को बधाई देता हूं। दो-तीन बातें मेरे ध्यान में आई हैं उसको देखना है।

मनी लेंडर को इसका सदस्य बनाया जावे या नहीं। मेरी यह मान्यता है कि उसको सहकारिता का सदस्य नहीं बनाना चाहिए। आपने इसको स्पष्ट किया है कि अगर वह ऑफिस बीअरर है तो वह लेन-देन का धन्धा नहीं करेगा। उसका लेन-देन का धन्धा बन्द रहेगा। मान लिजिये कि मैं मनी लेंडिंग का धन्धा करता हूं और अध्यक्ष बनाता हूं तो आप मुझे धन्धा करने के लिए रोक लगा देंगे, ठीक है मैं आगे से किसी को रुपया ऋण का नहीं दूंगा लेकिन जिनको मैंने रुपया दिया, पहले दिया हुआ है उससे तो मुझे लेना ही है। इस पर आपके नियम भी साफ हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मनी लेंडिंग का धन्धा किस तरह करते हैं। वे सहकारिता के सदस्य बनते हैं; अध्यक्ष बनते हैं। जो काश्तकार उनके कर्जदार हैं जो सहकारी

(श्री गोविन्दसिंह)

का पैसा नहीं देते और अपने कर्जे में जमा कर लेते हैं और फिर उस काश्तकार को २४ पर्सेन्ट पर उधार देते हैं । सहकारी समितियों में ५० पर्सेन्ट अध्यक्ष ऐसे हैं जो साहूकार हैं, जो रुपयों का लेन-देन करते हैं, इसके लिए मुझे हैरत होती है । लोग पैसा देकर अपना दबाव डाल कर लोगों को सदस्य बनाना चाहते हैं और अपने ग्राउन्ड को मजबूत करना चाहते हैं । मैं यह निवेदन करूंगा कि वे फेमिली की डेफिनेशन में अपने बेटे-पोते, लड़के–लड़की या विधवा मां के नाम से आप लेने-देन नहीं कर सकते । अगर वह अपने काका या बड़े भाई के मारफत कर रहा है तो आप क्या करेंगे ? इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर आप काश्तकार को मजबूत करना चाहते हैं तो कम सें कम आप साहूकार को सहकारिता से निकाल दीजिये ।

दूसरी बात यह है कि अभी जो रुपया काश्तकार को आप दे रहे हैं वह वाकई में देखें कि कितना पर्सेन्ट रुपया वे लोग, जिसके लिए लेते हैं, उस काम में ले रहे हैं । मैं निवेदन करूंगा कि काश्तकार जो रुपया सहकारिता का लेता है उसका २५ पर्सेन्ट या ३० पर्सेन्ट अपने काम में लेता है, बाकी सारा रुपया या तो दूसरी जगह काम में लेता है या ब्याज देने में काम में उसके आता है । इसलिए जितना पैसा काश्तकार को हम देते हैं उसका वह पूरी तरह से उपयोग करता है या नहीं । इसका एक मात्र कारण यही है कि जिस समय हम उस काश्तकार की एप्लीकेशन पर लोन देते हैं, उस समय हम यह नहीं देखते कि वाकई में जिस परपज के लिए वह रुपया ले रहा है, वह उस परपज के लिए कितना खर्च होने वाला है । हमने यह कर रखा है कि अगर काश्तकार के पास अन-इर्रिगेटेड लैन्ड है तो उसको इतना लोन दिया जाएगा और अगर इर्रिगेटेड लैंड हैं तो उसको इतना रुपया मिलेगा । हो सकता है आपने आदेश निकाल रखे हैं कि जितनी पैदावार अमुक काश्तकार को होने वाली हो का १/३ ऋण दिया जावे मगर आपके ये सारे आदेश कागजों में रखे हुए ही हैं ।

मैं यह कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि एक काश्तकार को गन्ने की फसल में १५०) रुपया प्रति बीघा के हिसाब से खर्चा पड़ता है, जीरा, मिर्च वगैरह में ८०–९० रुपया फी बीघा के हिसाब से खर्चा पड़ता है पर काश्तकारों को आप जिस हिसाब से पैसा देते हैं उनका काम पूरा नहीं होता । आप १५) रुपया और ४०) बीघा से ज्यादा नहीं देते । कहां तो १५०) रुपया फी बीघा का उसका खर्चा और कहां ४०) रुपया और १५) रुपया फी बीघा का आप उसे देते हैं । इससे वह काश्तकार आपका कर्जदार भी बन जाता है और उसका काम भी नहीं बनता । तो ऐसी दशा में अगर हमें सहकारी समितियों का निर्माण करना है तो १५) रुपया और ४०) रुपया फी बीघा के हिसाब से काश्तकारों को देने का तय कर रखा है उसे पलटना पड़ेगा । अगर हम चाहते हैं कि हमारे काश्कार मनी लैंडर्स के शिकन्जे से छूट जायें तो सहकारिता में जो हम रुपया देते हैं उसमें ठीक ढंग से

(श्री गोविन्दसिंह)

परिवर्तन कर के काश्तकारों को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ती हो सके इसके लिये अधिक पैसे का प्रबन्ध करना पड़ेगा। इस वास्ते एम० सी०एल० बनाते हैं। बजाय १५) रुपया फी बीघा के हिसाब से देने के यह सोचना पड़ेगा कि जितनी पैदावार एक बीघा में होने वाली है उस उपज का १।३ देने का प्रतिबन्ध किया जाय। इस प्रकार की व्यवस्था से काश्तकारों की सही मानें में सहायता कर सकेंगे और उनकी दशा को सुधार सकेंगे। मैं नहीं चाहता कि काश्तकार हमेशा के लिये सहकारिता पर ही निर्भर हो जाय, कम से कम उसको इतना पैसा मिल जावे जिससे कि उसे अपनी पैदावार बढ़ाने के लिये, अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिये किसी के मुंह की ओर ताकना न पड़े।

जहां तक एम० सी० एल. का प्रश्न है जितना पैसा समिति में आता है, जितनी हमारी कैपिटल होती है उसका ८ गुना एम० सी० एल० बनाते हैं। यदि किसी किसान का बैल अचानक ही मर जाता है तो बैल लाने के लिये उसको पैसा देने के लिये हमारे पास कोई प्रावधान नहीं है, अतः काश्तकारों को बड़ी भारी मुसीबत का सामान करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि जो कैपिटल का ८ गुना एम० सी० एल० बनाते हैं, वह १० गुना तक बनाने का प्रावधान है तो कैपिटल का १० गुना एम० सी० एल० बना कर कैपिटल का ८ गुना तो सेवा सहकारी को दें और बाकी जो दो गुना बचता है उसको रिज़र्व फण्ड में रखिये और इस रिजर्व फण्ड में से मिड टर्म लोन के रूप में काश्तकारों को ऐसी अचानक आई हुई मुसीबत के समय में देने का प्रावधान रखिये। इससे हमारे काश्तकारों की हालत ठीक होगी। इस प्रकार की व्यवस्था रखने से काश्तकार को बार बार बनिये के पास नहीं जाना पड़ेगा। आकस्मिक आवश्यकता के समय काश्तकार को सहायता मिल जायगी। आज हालत यह है कि जो काश्तकार सहकारिता के सदस्य बन गये हैं उनको मनी लैंडर्स, व्यापारी लोग नफरत की निगाह से देखते हैं और ऐसी आकस्मिक मुसीबत के समय जब काश्तकार उन मनी-लैंडर्स के पास जाते हैं तो उन काश्तकारों से वे लोग ज्यादा से ज्यादा इन्ट्रेस्ट वसूल करते हैं।

इसलिये मेरा यह निवेदन है कि आप इसमें इस प्रकार का प्रावधान रखिये कि कैपिटल का १० गुना एम० सी० एल० बनाया जाता। ८ गुना तो सेवा सहकारी को देते हैं वह दे दिया जाय और दो गुना जो बाकी बचा है उसे रिज़र्व फण्ड में रखें। किसी काश्तकार को आकस्मिक आवश्यकता पड़ जाने पर सेवा सहकारी समिति प्रस्ताव पास कर देते हैं तो उस रिज़र्व फन्ड में से उस काश्तकार को लोन दे दिया जाय और इस लोन को मिड टर्म लोन के रूप में मान कर उसे वसूल करे।

दूसरी आवश्यक बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि मैं इस बात को मानता हूं, सहकारिता को चलाने के लिये यह आवश्यक है कि ओवर ड्यूज की वसूली यथा समय की जाय। यदि ओवर ड्यूज़ बाकी रही तो एक दिन हमारी सहकारिता समाप्त हो जायगी।

(श्री गोविन्दसिंह)

जिस प्रकार दूसरे सहकारी रुपये की वसूली पी.डी.आर. के तहत की जाती है, इसकी तरह इसकी भी वसूली की जानी चाहिये । अभी मध्य प्रदेश ने इस सम्बन्ध में अपना कानून पलटा है और उसमें यह प्रावधान रखा है कि पी० डी० आर० के तहत वसूली नहीं कर के खुद डिपार्टमेंट ही वसूली करे । सेवा सहकारी ओवर ड्यूज के लिये प्रस्ताव पास करती है और असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार के पास प्रस्ताव आता है तो असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार पुलिस की मदद से या अपने स्टाफ की मदद से ओवर ड्यूज को वसूल कर सकता है । तहसील-दार के पास वसूली का रखा गया तो वसूली तेजी के साथ नहीं हो सकेगी, तह-सीलदार के पास और काम काफी होता है, वह इसमें पूरा सहयोग नहीं दे सकेंगे । कूंडला प्रताप मेरी कॉन्स्टीट्यूएन्सी का गांव है, वहां ६ साल से पी० डी० आर० के तहत वसूली के लिये दिया हुआ है पर अभी तक वसूली नहीं हो पाई है । इसलिये मेरा सुझाव है कि बजाय तहसीलदार को देने के यह प्रावधान किया जाय कि असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार के पास ही वसूली का अधिकार रखा जाय तो वसूली अच्छी तरह से हो सकती है । ६० पर्सेन्ट रिकवरी होती है उस सोसाइटी को ऋण देना है, लोग यह देखते हैं कि सभी आज पैसा जमा कराने वाले हैं तब जमा कराते हैं और जब लोग देखते हैं कि कुछ सदस्य पैसा जमा नहीं करा रहे हैं, तो वे लोग भी रुपया रोक लेते हैं और इस तरह से ओवरड्यूज रह जाती हैं । यह जरूरी है कि ६० पर्सेन्ट वसूली होनी चाहिये पर ४० पर्सेन्ट आदमी जो सहका-रिता को फेल करने के लिये दादा-दानिश्ता कोशिश करते हैं, इस प्रकार के जो डिफॉ-ल्टर्स हैं उनसे वसूली करिये, जिन्होंने पैसा दे दिया है, उनकी सोसायटी जारी रखिये और जो डिफॉल्टर्स हैं उनसे वसूली कर के उन्हें सहकारिता से अलग कर दीजिये; इससे हमारा सहकारिता का मूवमेंट जारी रहेगा । ओवर ड्यूज को नहीं बढ़ाते हुए ६० पर्सेन्ट जो ओवरड्यूज की अदायगी करने वाले हैं वे लोग इससे फायदा उठा सकें । जो लोग हमारी सहकारिता को बदनाम करना चाहते हैं और ओवर ड्यूज को जमा नहीं कराते हैं उनके लिये यह प्रावधान रखें कि उन्हें डिफाल्टर्स घोषित कर के सोसायटी से अलग कर दें और जिन लोगों ने पैसा दे दिया है उनको सहकारिता में शामिल रख कर पैसा दे दिया जाय ।

जहां तक लैंड डेवलपमेंट के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार ने जो कुछ किया है, उसके लिये मैं राजस्थान सरकार को बधाई देना चाहता हूं । पहले, किसी हालत में किसानों को पैसा नहीं मिलता था । अन-इर्रिगेटेड लैंड के लिये १५ रुपया फी बीघा और इर्रिगेटेड लैंड के लिये ४० रुपया फी बीघा देने का प्रावधान किया यह ठीक है; पर आज इस मंहगाई के जमाने में १५ रुपया और ४० रुपया फी बीघा के हिसाब से काम नहीं चलेगा, इसलिये लिमिट फिक्स नहीं करनी चाहिये । इस प्रकार के नियम होने चाहिये कि बैंक से दो महीने के भीतर पैसा मिल जाना चाहिये इस प्रकार का प्रावधान रखना चाहिये । अगर हम सहकारी समितियों का निर्माण करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि सहकारिता का अलग बैंक हो । आज जितने सहकारिता के बैंक हैं

(श्री गोविन्दसिंह)

वे इम्पीरियल बैंक ऑफ इन्डिया से गाइड होते हैं। हम रूल्स रिलेक्स करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते। इसलिये मेरी यह मान्यता है कि अगर हम सरकारिता को मजबूत करना चाहते हैं तो हमारा बैंक अलग करना पड़ेगा। इम्पीरियल बैंक ऑफ इन्डिया ने रेट ऑफ इन्ट्रेस्ट ८ पर्सेन्ट कर दिया है। आज सहकारिता को हम अपने समाज की रीढ़ की हड्डी मानते हैं तो ब्याज बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। अगर हम चाहते हैं कि ८३ प्रतिशत देहातों में रहने वाली जनता आगे बढ़े तो रेट ऑफ इन्ट्रेस्ट कम करना पड़ेगा, राजस्थान गवर्नमेंट इसके लिये सब्सक्राइब करे और रेट ऑफ इन्ट्रेस्ट ६ पर्सेन्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिये।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान सहकारिता विधेयक के विषय में मेरा प्रस्ताव इस प्रकार है कि इस विधेयक को पुनः एक नवीन प्रवर समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय जो अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। उपाध्यक्षजी, कारण इसका स्पष्ट है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सम्भवतः इस विधेयक में अन्तर्निहित भावनाओं में राज्य सरकार यह अनुभव करती है कि सहकारिता को कार्य पद्धति का सोपान मान कर सम्भवतः समाजवाद की चरम सीमा पर राज्य सरकार पहुंचना चाहती है। किन्तु इस विधेयक में जिस प्रकार के प्रावधान रखे गये हैं, क्या उन्हीं प्रावधानों के द्वारा वास्तविक रूप में राज्य सरकार इस जनता को सही रूप में समाजवाद की ओर अग्रसर कर सकेगी; यह विचारणीय प्रश्न उपस्थित होता है। यह सिद्धान्तों का प्रश्न है और सिद्धान्तों के प्रश्न को लेकर मैं राज्य सरकार के समक्ष यह निवेदन करना चाहता हूं कि वस्तुतः जिस प्रणाली और जिस सहकारिता को लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, सम्भवतः जिस समाजवाद की कल्पना आप करना चाहते हैं, उस समाजवाद तक पहुंचना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव सा कार्य आपके लिये होगा।

उसके लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक सिद्धान्तों का प्रश्न है, सहकारिता का पूर्ण रूप से विरोध किया जाय यह मैं नहीं कहना चाहता। सहकारिता का यह रूप कि पूंजीपति लोग अकेले अपने हाथ में सारा व्यापार रख कर जनता की समस्त सम्पत्ति को बटोरना चाहते हैं, इसको कोई समझदार पसन्द नहीं करेगा। क्या इस कार्यप्रणाली के द्वारा या उसका अन्त करके सहकारिता का सिद्धान्त रखा है उसके द्वारा इसका निराकरण हो सकता है या नहीं, यह दूसरा प्रश्न है जिस पर विचार करना पड़ेगा।

इस दृष्टिकोण से वर्तमान स्थिति में जिस प्रकार सहकारिता को कार्यपद्धति को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसमें दो–तीन बड़ी ही प्रधान बातें हैं जिन पर हमें विचार करना चाहिये। एक बात तो यह है कि सहकारिता को प्रश्रय देने के कारण, सहकारिता को उत्थान देने के कारण हम इस प्रकार के कारणों की तलाश करते हैं कि सहकारिता को अधिक से अधिक प्रश्रय दिया जाय। अधिक से अधिक सहकारिता का प्रचार किया जाय। उस प्रचार करने में केवल हमारा

(श्री दुर्गालाल बाढदार)

आंकड़ों के द्वारा संसार को यह दिखाने का लक्ष्य रहता है कि इस वर्ष में इतनी सहकारिता की संस्थायें खोल दीं, इतने सहकारी भंडार खोल दिये, इतनी सहकारी संस्थाओं को इतने लाख का अनुदान दे दिया, इतनी सहायता दे दी और केवल इन आंकड़ों के द्वारा अनुमानतः संसार के सामने, जनता के सामने, दुनियां के सामने हम इसका प्रचार कर के दिखा देना चाहते हैं कि सहकारिता का उत्थान किया जा रहा है, सहकारिता प्रगति कर रही है और सहकारिता के द्वारा समाज का कल्याण होता जा रहा है। लेकिन अनुभव है मंत्री महोदय को भी और इस विभाग में कार्य करने वाले उच्चाधिकारियों को भी, सम्भवतः उनके सामने क्या प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आती हैं जिनको उनका अनुभव है, लेकिन मैं उन्हीं के द्वारा यह जानना चाहता हूं और मंत्री महोदय भी इसका उत्तर देने की चेष्टा करेंगे, कृपा करेंगे और बतायेंगे कि अब तक यह सहकारिता का आन्दोलन चला आ रहा है क्या पूर्ण रूपेण आपने इसमें सफलता प्राप्त की है? मेरा अपना अनुभव भी इस बारे में है। एक ओर स्वेच्छा से एक व्यक्ति सहकारी संस्था का निर्माण करना चाहता है, किन्तु कुछ राजनैतिक उनके सामने उत्पन्न होते हैं, लोगों को पूर्ण-रूपेण स्वेच्छा से सहकारिता खोलने की भावना रखने के बावजूद भी कुछ अड़चनें नियमों की, कानून की, उपस्थित की जाती हैं कि वास्तविक रूप में सहकारिता उनके द्वारा नहीं खोली जा सकतीं।

तो यह जो भावना है इस भावना के द्वारा सही रूप से और सही माने में हम सहकारिता को आगे नहीं बढ़ा सकते। मुझे स्वयम् को इसका अनुभव है। एक बार इसी सहकारिता के आधार पर अपने ही मोहल्ले में, अपनी ही बस्ती में उपभोक्ता भंडार-का निर्माण करना चाहते थे। नियमों की और अन्य दिक्कतें और अड़चनें पैदा की गईं जैसे मैं निर्माण करने जा रहा था। मंत्री महोदय को याद होगा उनको टैलीफोन करना पड़ा, ऑर्डर्स करने पड़े तो कहीं जाकर संस्था का निर्माण हो सका। जहां सहकारी संस्था के निर्माण में ही दिक्कतें पैदा हों तो आप अन्दाज लगा सकते हैं कि किस प्रकार ये संस्थायें आगे बढ़ सकती हैं जो स्वेच्छा से काम करना चाहती हैं।

दूसरा और उदाहरण भी प्रस्तुत करता हूं। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि व्यापार में कुछ बातें ऐसी हैं जो हमेशा से चली आई हैं और चलती रहती हैं। सहकारिता को व्यापार की एक पद्धति बनाने चाहते हैं तो कहावत मशहूर है व्यापार में मुनाफा होता है, हानि होती है, सिफारिशें होती हैं, कम तोलना, ज्यादा तोल कर लेना और दुनिया भर की बातें होती हैं। अगर सहकारी संस्थाओं को भी इस प्रकार व्यापारिक संस्थाओं का रूप देकर सहकारिता को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सही माने में उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। अनुभव यह बताता है कि सहकारी संस्थायें इसलिए नहीं खोली जा सकती कि व्यापारी वर्ग के हाथ से छीन कर दस दस रुपया, बीस रुपया का शेयर ले सकते हैं उन लोगों के हाथ में यह कार्य पद्धत्ति दे दी

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

जाय जिससे अधिक आवश्यकता की वस्तुएं मिल सकें और उत्पादन की सामग्री छोटी २ संस्थायें पैदा कर सकें, यह लक्ष्य रख कर चलना चाहते हैं वह नहीं हो सकता। सहकारी संस्थाओं के उत्पादन में भी राजनैतिक कारण और बाधायें पैदा करने में भी राजनैतिक कारण हैं। लाखों रुपये अनुदान और सहायता के रूप में इन संस्थाओं को दिया जाता है। यह भी देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति निर्माण कर सकेंगे, लोगों से चन्दा मिल जावेगा, सरकार से सहायता और अनुदान मिल जावेगा तो कुछ काम करने वाले, इस तबके के ऐसे लोग जिनके पास दूसरी आमदनी का जरिया नहीं होता है, जिनका प्रश्रय यह मंत्रीगण करना चाहते हैं, ट्रेज़री बैन्चेज़ वाले लोग करना चाहते हैं उनको वज़ीफा देने की नीति और सहायता देने की नीति है, इस प्रकार इसी कारण से उनका निर्माण किया जाता है। आंकड़े यह बताते है कि इन सहकारी संस्थाओं को कर्ज में अनुदान के रूप में दिया गया लाखों रुपया लोगों में राज्य सरकार का रह गया है. वसूली की दिक्कत आती है।

मंत्री महोदय से अभी प्रश्न पूछा गया। सम्भवतः वे उत्तर नहीं देना चाहते थे। यह कह कर टाल गये कि मुझे इस समय स्थिति की पूर्ण जानकारी नहीं है। निश्चयात्मक रूप से यह बात सिद्ध होती है कि ५२ में दिया हुआ कर्जा पांच-सात साल तक व्यक्ति विशेष के पास रह जाय और अफसरों को चाहिए था कि जिस काम के लिये यह रुपया दिया गया है उसका उस काम में सदुपयोग होना चाहिए यह उसकी जिम्मेदारी है, समाज में उस रुपये से ऐसे व्यक्तियों को प्रश्रय मिलना चाहिये जो वास्तविक रूप से इन सहकारी संस्थाओं को चलाना चाहते हैं लेकिन उनको प्रश्रय न देकर उन लोगों को प्रश्रय दिया जाता है जो वक्तन फवक्तन खास कर कांग्रेस पार्टी के चुनावों में काम करने वाले लोग हैं, उन्हीं संस्थाओं को जमीन का अलॉटमेंट हो जायगा। रुपया भी उनको सरकार की ओर से दिया जायगा, जितना अनुदान चाहिए वह भी राज्य सरकार की ओर से चुनाव जीतने के लिए दे दिया जायगा, तो क्या इस प्रकार की संस्थाओं के द्वारा आप सही माने में समाजवाद का निर्माण कर सकते हैं ? ऐसी संस्थाओं को रुपया देकर जनता के सामने इस बात का दावा कर सकते हैं कि सहकारी संस्थाओं के द्वारा समाजवाद की स्थापना का जो हमने निश्चय किया था उसमें हमें सफलता मिल रही है ? कृषि के लिए भी अनुदान और कर्ज मिलेगा, सहायता मिलेगी। राजस्व के भूमि आवन्टन के जो नियम हैं उनका भी मैंने अवलोकन किया है, अध्ययन किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारी रूप से जो कृषि करना चाहते हैं उनको भूमि आवन्टन नियम में प्रिफरेन्स दिया जाता है और पहले जमीन आवन्टित की जाती है। जरा आवंटन का तरीका देखिये। जिस प्रकार भूमि का आवंटन किया गया है क्या उससे उत्पादन बढ़ेगा, यह विचारणीय प्रश्न है ? जमीन पर खेती करना और उत्पादन को बढ़ाना, यह राष्ट्र की आवश्यकता है। आज हम देखते हैं कि हमारे देश में अन्न

Page No.125

(श्री दुर्गालाल बादवार)

का बड़ा अभाव होता जा रहा है, इस समस्या का निराकरण करने की हर व्यक्ति सोचता है और निराकरण करने की चेष्टा करता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा इस प्रकार की भूमि आवंटन द्वारा भावना लेकर चलना चाहते हैं, सहकारी समितियां अधिक अन्न उत्पादन करने में सहयोगी हो सकी हैं, बिल्कुल नहीं हो सकती है। बहुत केसेज मैंने भी देखें हैं, सहकारी समितियों का निर्माण नौ-दस आदमियों को मिला कर किया जाता है। इनको बारानी जमीन अलॉट की जाती है: किसी को ६.२ किसी को ७.२, इस तरह से जमीन को अलॉट किया जाता है। वैसे राजस्व कानून के अन्तर्गत ३ बीघा बारानी भूमि को एक बीघा चाही के बराबर माना गया है। तो इस आधार पर वेल्यूएशन लगाया जाय ९ आदमियों की सहकारी समिति को जो जमीन अलॉट की गई है, तीन बीघा तीन बिस्वा बारानी जमीन नौ आदमी मिल कर सहकारिता के आधार पर उत्पादन करता है, वह किस प्रकार से बीज की व्यवस्था करेगा। आखिर उस ९ बीघा में कितना उत्पादन कर लेगा? एक आदमी है जिसकी फ़ेमिली के बीस-बाईस आदमी हैं। ऐसा तो आम है कि एक फेमिली में दस-पन्द्रह आदमी मिल जायेंगे। इस तरह से ९ व्यक्तियों की डिफरेन्ट फेमिलीज़ हैं उसमें कोऑपरेटिव सिस्टम ऑफ फार्मिंग चलायेंगे तो किस प्रकार से उत्पादन होगा, किस प्रकार से वह खाने की समस्या को हल कर सकेगा? वह इतना भी उत्पादन स्वयं नहीं कर सकता जिससे अपना पेट भर सके, तो अधिक अन्न उपजाओं में वह किस प्रकार से मदद दे सकेगा? ये इस तरह की बातें हैं जिन पर विचार किया जाना आवश्यक होगा।

सहकारी संस्थाओं में जो इस प्रकार के नियम बनाते हैं उन नियमों में जो प्रतिबन्ध हैं, जो सहकारी समितियों के निर्माण में कठिनाई हैं, वे ऐसे सवाल हैं जिन पर विचार किया जाना आवश्यक है। इस बारे में एक सुझाव देना परमावश्यक समझता हूं। हमारे देश की स्थिति के अनुसार शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। अधिकांश लोग चाहे वे गांवों में रहते हों या शहरों में रहते हों; वे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। ऐसे लोग आग ज्यादा हैं जो नहीं के बराबर पढ़े लिखे हैं। ऐसे व्यक्तियों की जो सहकारी संस्था निर्मित होती है, वह क्या सही रूप में कार्य कर सकती है? एक आदमी जो बगैर पढ़ा लिखा है उसे यदि चार या दस रुपये का सामान लेने के लिये दिया जाय तो उसके लिए हिसाब रखने का प्रश्न पैदा नहीं होता; इस तरह नौ बेपढ़े लोग एक पढ़े लिखे आदमी को साथ मिला कर सोसाइटी बनाते हैं। वह दस आदमी उस एक पर डिपेन्ड करते हैं; वही राज्य सरकार से रुपया लायेगा, उसका हिसाब रखेगा, राज्य सरकार को वापिस देगा किसी ने कर्जा लिया है तो वह उस कर्जे को भी चुकायेगा, इन सारे कामों को करने के लिये १० व्यक्ति जिस सहकारी समिति का निर्माण करते हैं उनको अपने काम के लिए दूसरों पर डिपेन्ड रहना पड़ता है। इसके अलावा कुछ गांवों में रहने वाले चतुर लोग किसी भी गांव के दस आदमियों को फंसा कर इस प्रकार की फोर्जड और बोगस

(श्री दुर्गालाल बाढदार)

संस्थाओं का निर्माण करते जा रहे हैं। जिनके लिये रिपोर्ट आ चुकी है। फोर्ज्ड सोसाइटीज हैं जिनका लक्ष्य केवल मात्र यही रहता है कि राज्य सरकार से किसी न किसी प्रकार से सहायता ले ली जाय। उस रुपये को कुछ चुने हुए दो-चार व्यक्ति जो ज्यादा होशियार हों, वे रुपया लाने का काम करते है। आपने इस प्रकार की बोगस सोसाइटीज को रोकने के लिये कौन सा सख्त नियम बनाया है? जहां सहकारी समितियों का प्रोपर चैकिंग नहीं किया जाता, प्रोपर चैकिंग न होने से गबन के मामले बढ़ते जाते हैं। मैं यह चाहता हूं कि आप सहकारिता को अवश्य प्रश्रय दीजिये लेकिन साथ ही पब्लिक एक्सचेंकर को बरबाद जो इसमें किया जा रहा है उस पर रोक लगाइये। आप इनको बढ़ाना ही चाहते हैं तो देश की उन्नति के लिये, राष्ट्र की उन्नति के लिये खर्च करने की भावना से खर्च करिये, केवल चुने हुए व्यक्तियों को सहायता के रूप में देना; इस तरह से आप जो सहकारी समितियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं वह सही मायने में सहकारिता की भावना नहीं होगी। आप सही रूप में इनको बढ़ाना चाहते हैं तो मैं पूर्ण रूपेण इसका विरोध नहीं करता। सहकारिता बढ़ाने का यह तरीका कदापि नहीं हो सकता कि कुछ अपने चुने हुए आदमियों को सहायता करना या उनको वजीफा देना। चुने हुए व्यक्तियों पर पाबन्दी कर दीजिये और इस पर पूर्ण नियन्त्रण रखने की चेष्टा कीजिये। जो रुपया सहकारी समितियों को दिया जाता है उसका सदुपयोग होता है या दुरुपयोग इस पर चैक रखिये। इसमें प्रोपर युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट का इन्तजाम करिये। ये बातें जब नहीं होती हैं तो कठिनाइयों का अनुभव होता है। जिस भावना को लेकर आप इनको बढ़ावा देना चाहते हैं समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करना चाहते हैं तो आपको इसके सिद्धान्तों में परिवर्तन करना होगा; इसमें परिवर्तन लाने की चेष्टा कीजिये। साधारणत: पॉलिसी को चेन्ज करने के बाद ही सहकारिता आगे बढ़ेगी और इसका लाभ जनता को मिल सकेगा वर्ना ऐसा लगता है कि इस प्रकार की भावनाओं से जहां स्वयं गिरते हैं वहां देश को भी गिराते जा रहे हैं जिससे आप कल्याणमयी भावना को ले कर चलना चाहते हैं वह प्राप्त नहीं होगी, यही मेरा सुझाव है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चौसरसिंह।

श्री चौसरसिंह बावेल (बेंगू) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थाग सहकारिता संस्था विधेयक, १९६४ जो सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है ....

श्री उपाध्यक्ष : क्या यह सदन की सम्मति है कि चौसरसिंह बावेल के बोलने तक समय बढ़ाया जाय।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): १५ तारीख को कन्टिन्यू कर सकते हैं।

श्री चौसरसिंह बावेल : सहकारी संस्था राजस्थान में पनपने के बजाय गिरती जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चौसरसिंह बावेल जब तक बोलें तब तक सदन का समय बढ़ाया जाता है।

श्री चौसरसिंह बावेल : चित्तौड़गढ़ जिले में सहकारी समितियों ने जो काम किया है उसके बारे में, मैं कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं। वहां पर बीज के भंडार खोले गये, दूसरी दुकानें खोली गई, उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। इसका मैंने पहले भी जिक्र किया है, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया।

आज राज्य कर्मचारियों को और रजिस्ट्रारों को बहुत अधिकार दिये गये हैं। इससे सदस्यों को बड़ी परेशानी होती है। क्योंकि किसी को निकालना, हटाना उसके हाथ में है। तो इतने अधिकार उनको देना सहकारिता के हित में नहीं है।

(५. म. प.)

इसके अलावा कितनी ही सहकारी संस्थाएं हैं जिन्होंने राशन की दुकानों का काम भी हाथ में ले लिया है। वे जनता को बहुत परेशान करते हैं। वे गांवड़े के लोगों का अनाज मनमाने भाव पर खरीदते हैं और ऊंचे से ऊंचे भाव पर बेचते हैं।

बेगूं में एक दुकान है, उसमें एक ही भाव रख कर और सरकारी रेट को भी नीचे गिरा कर वे अनाज दे लेते हैं और पांच-पांच और दस-दस रुपया बोरे में मुनाफा उठाते हैं। वे लोगों को लूट रहे हैं।

इसी तरह से जिन दुकानों पर, सहकारी समितियों की दुकानों पर राशन की चीनी दी गई है भीड़ लगी रहती है। एक आदमी बैठा रहता है नाम मांडता रहता है और पचासों खड़े रहते हैं । परेशान होते हैं। उनको किसी को उनकी परेशानी से परवाह नहीं है। लोग घटती चीनी लेकर लौटते हैं और वे बेपरवाह होकर बरताव करते हैं।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (सहाड़ा. सु०): प्राइवेट दुकानों में लाइन में खड़े नहीं रहते क्या ?

श्री चौसरसिंह बावेल : यह सही बात है कि वे ज्यादा लूटते थे तो उससे राहत पाने के लिये तो ये बनाई हैं। पर यहां भी जिन्होंने घोटाले किये हैं, उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती। चूरू में १७।। हजार का गबन हुआ। एक मुलाजिम को चालान होकर ड़ेढ़ साल की सजा हुई पर वह बकाया उससे वसूल नहीं हुई। ऊपर से नीचे तक वह बंटता रहा। अफसर लोग देखते रहे। चार सौ, पांच सौ सदस्य थे। कोई देखने वाला नहीं था। आप कहते हैं इन्सपेक्टर रखते हैं, क्या देख रेख रखते हैं फिर वे ?

मेरा यह भी निवेदन है कि हजारों रुपया बड़ी तादाद में लोगों में बाकी रहता है। बेगूं में एक में ७००) बाकी था। कहा उसने सौ रुपये की किश्तें कर दो। पर २७७)में उसका मकान, सामान नीलाम कराया गया खिलाफ कानून। छः दिन में करवा दिया। फिर एस. डी. ओ. आया तो उसने निर्णय दिया कि गलत तरीके से नीलाम करा दिया। क्योंकि उसने चुनाव में कांग्रेस को वोट नहीं दिया। इसलिये उसको इस तरह से हैरान किया गया।

ये सहकारी समितियां इसलिये नहीं नहीं बनाई जातीं कि घोटाले किये जावें। इनमें ७५ पर्सेन्ट घोटाले होते हैं।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा : नाम बताते नहीं हो. "घोटाले घोटाले" कहते हो ।

श्री चौसरसिंह बावेल : आप सुनने की चेष्टा करिये । मैं बहुत सों के नाम बता सकता हूं। बहुत सारे घोटाले हैं जिनकी जांच तक नहीं होती । सहकारी समिति का काम अगर अच्छा होता है तो बड़ी अच्छी बात है । इनकी अच्छी तरह देखभाल आप करें ताकि आपका मकसद पूरा हो। सरकार की रकम का दुरुपयोग न हो । आपकी सरकार है, अगर वह कर सकी तो मैं धन्यवाद दूंगा। आप दुरुपयोग को रोकें यही मेरी आप से प्रार्थना है ।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की...

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना): On a point of personal explanation, Sir.

मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए यह कहना चाहूंगा कि समय चूंकि ज्यादा नहीं है, मैं यहां बैठा था तो कुछ माननीय सदस्य बोल रहे थे और व्यक्तिगत आक्षेप की बातें मेरे लिये कहीं । मैं क्रय-विक्रय सहकारी संघ का अध्यक्ष हूं। इसके बारे में कहा गया। इस बारे में, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो बातें कहीं गई वे तथ्यहीन हैं ।

माननीय उपाध्यक्ष जी, इतनी बातें कहीं गई...

श्री दयाचन्द सोन (बारां-सु०) : वे तो यहां हैं ही नहीं। किसके लिये कह रहे हैं ?

(शोरगुल)

कल का समय रखा जावे ।

श्री मोतीलाल चौधरी : जो बातें यहां रखी हैं, वे सारी गलत रखी हैं। इस बारे में, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। जो बातें कहीं संघ के बारे में वे सब मिथ्या हैं।

श्री दयाचन्द सोन : आपका भी आदेश था कि चौसरसिंहजी बोलें तब तक ही समय बढ़ाया जावेगा। अब जो ये बोले हैं आपके आदेश के विपरीत बोले हैं। इस लिये इसको प्रोसीडिंग्ज में से निकाला जावे ।

श्री मोतीलाल चौधरी : जिस करेक्टर के वे स्वयं आदमी हैं, वैसे ही उनके आक्षेप हैं । जो वे कहना चाहते हैं, सहकारी आन्दोलन के खिलाफ कहना चाहते हैं । इस दृष्टिकोण से सामायिक राजनैतिक दृष्टिकोण से, वे उनकी पार्टी के दृष्टिकोण से घोटालों की बात करते हैं । इस तरह का वातावरण पैदा करना उनका धर्म है। यह उनके धर्म से रिश्ता रखता है। इसलिये जो बातें कहीं गईं, उसके लिये उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे इतना समय दें कि मैं उसका ठीक तरह से जवाब दे सकूं । तो इसके लिये मुझे कल समय दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : इस समय सदन की बैठक कल प्रातःकाल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० ५.६ बजे कल दिनांक १३ अप्रेल, १९६५, के म० पू० ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)।

परिशिष्ट १

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ६६ का उत्तर देखिये)

LIST OF MONUMENTS IN UDAIPUR CIRCLE

1. Ruins of the Pratap Palaces, near Fateh Sagar, Udaipur.
2. Ancient temples, near Jawar Mines, Jawar
3. 10th Century temple of Ambika, Jagat.
4. Chhatris of Raja Ram Sah of Gwalior and his son Salivahan, Village Khamnore.
5. Vishnu Temple, Khamnore
6. Sun Temple at Dayrauli near Dhobok
7. Chatri of Rana Pratap at Khejad
8. Ruins associated with Rana Pratap Chawand
9. 10th Century Temple at Kakulisa, Eklingji
10. Vishnu temple near the main temple of Ekling
11. Ancient Mounds near Cenotaphs at Ahar
12. Ancient mound near the Shiv Temple at Kalyapur.

परिशिष्ट २

(कृपया अतारांकित प्रश्न सं० १०२ का उत्तर देखिये)

पंचायत समिति शाहबाद को सन् १९६४ में पूर्व के अधूरे विकास कार्यों को पूरा कराने के लिए दी गई धनराशि की सूची:—

१.	स्थानीय विकास कार्य	१३७५०) रु०
२.	समाज कल्याण	४३५०) रु०
३.	ग्रामीण जल प्रदाय	७७००) रु०
४.	समाज कल्याण मकान बनाने हेतु	४००) रु०
	योग:—	२६२००) रु०

८१०४]

पंचायत समिति शाहबाद में सन् ६४ से पूर्व के अधूरे पड़े कार्यों में से पूरे हुए कार्यों की सूची:—

क्र० सं०	नाम पचायत	ग्राम	कार्य
१.	शाहबाद	शाहबाद	कुवा पानी पीने का गैद घर।
२.	शाहबाद	शाहबाद	कुवा पुलिस स्टेशन
३.	शुमधरा	शुमधरा व कुशालपुरा कोलोनी	कुवा सिचाई आदिवासी
४.	,,	,,	मकान आदिवासी
५.	,,	,,	,, ,,
६.	,,	,,	,, ,,
७.	देवरी	देवरी	सड़क सांदरी, देवरी
८.	कस्बाथाना	कस्बाथाना	कुवा सिचाई आदिवासी
९.	वमन गवां	लेदरा, वसेली	कुआ आदिवासी सिचाई सात

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण-सोमवार, दिनांक, १२ अप्रेल, १९६५)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
८६४६	अन्तिम से ४	बिल्डिग	बिल्डिग
८६५२	१७	आचार्य) (१)	आचार्य) : (१)
८६५४	७	श्री जोधसह	श्री जोधसिंह
८६५५	५	हुइ	हुई
,,	अन्तिम से ६	श्री भैरोसिंह	श्री भैरोंसिंह
८६५६	शीर्षक	प्रश्नात्तर	प्रश्नोत्तर
,,	११व१४	हइ	हुई
,,	१२	ओर गंगानगर	और गंगानगर
८६५७	१२	रेसपान्सी-	रेस्पोन्सी-
८६५८	१०	कुपया	कृपया
८६५९	अन्तिम से ५	सूचि	सूची
८६६२	शीर्षक	१२ अप्रल,	१२ अप्रेल,
,,	९	क्लॉस	क्लास
८६६४	अन्तिम से ५	रिकाण्ड	रिकमण्ड
८६६६	३	करेगे	करेंगे
८६६७	९	झुन्झनू	झुन्झुनू
,,	१२	है,	है ?
८६६८	अन्तिम से ५	माध्मिक	माध्यमिक
,,	,, ,, ४	योजना	योजना
८६७१	अन्तिम	कुम्भललगढ़	कुम्भलगढ़
८६७२	२	अदिवासी	आदिवासी
८६७४	शीर्षक	१२ अप्रल	१२ अप्रेल
८६७५	१७	बोंर्ड	बोंड
,,	अन्तिम से २	-मर्थन	-मर्थता
८६७७	स्कम्भ	८७७७	८६७७
,,	१६	प्रश्स	प्रश्न
८६८३	२२	मगा	मंगा
८६८७	शीर्षक	प्रश्नात्तर	प्रश्नोत्तर

१	२	३	४
८६८७	१६	सख्या	संख्या
,,	१९	स्थागित प्रश्न	स्थगित प्रश्न
८६८९	११,१९व२५	ऐड	एड
८६९१	१७	ऐड	एड
८६९४	अन्तिम से ६	के पास	को पास
८६९६	अन्तिम से७,६	नियमानुसार	नियमानुसार
८६९७	शीर्षक	स्थगित	स्थगित
८६९८	१४	सोप	सौंप
८६९९	१	(सहाणा–सु०) :	(सहाड़ा–सु०):
,,	अन्तिम से ५	:(आसे	(आस-
८७०३	शीर्षक	प्रक्नोत्तर	प्रश्नोत्तर
८७०६	१३	मालुम	मालूम
८७०७	शीर्षक	प्रश्नोत्तर	प्रश्नोत्तर
,,	२	प्रति	प्रगति
,,	१४	श्रो	श्री
८७०८	शीर्षक	१२ अप्रेल	१२ अप्रेल
८७१३	१६,१९,२४	क्लॉस	क्लास
८७२०	शीर्षक	अनुपथित सदस्यों के –१२ अप्रल, ६५–	अनुपस्थित सदस्यों के –१२ अप्रेल, ६५–
८७२१	११	श्री चतुर्भुज उपाध्यक्ष	श्री चतुर्भुज उपाध्याय
,,	अन्तिम से २	पचायतो	पंचायतों
८७२२	,, ,, ४	लानग	लगान
८७२३	१८	श्री सम्पत्तिलाल वोहरा	श्री सम्पत्तिलाल बोहरा
८७२४	१५	कबजा	कब्जा
,,	१७	बल्लमनगर	बल्लमनगर
,,	२०	७१	८७१.
८७२५	शीर्षक	अतारांकित प्रश्नोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
८७२६	६	काब्जि	काबिज
८७२७	अन्तिम से ६	दज	दर्ज
८७२८	शीर्षक	अताराकित	अतारांकित
,,	अन्तिम से ५	हुग्रा	हुआ
८७२९	१४	बिचार	विचार

१	२	३	४
८७३१	अन्तिम से २	मत्री	मंत्री
८७३२	६	ान	धन
८७३३	अन्तिम से ७	पूर्ब	पूर्व
८७३५	शीर्षक	हत्यकाण्ड-स्यगन	हत्याकाण्ड-स्थगन
,,	१०	ताहीख	तारीख
८७३६	अन्तिम से ८	मत्री	मंत्री
८७४१	२	केदाानाथजी	केदारनाथजी
८७४२	शीर्ष	(श्री राभानन्द अग्रवाल)	(श्री रामानन्द अग्रवाल)
८७४४	,,	—	(श्री अध्यक्ष)
८७४६	,,	(श्री नत्यिसिह)	(श्री नत्थीसिंह)
८७४७	६	a to	to
,,	२१ - २२	temporaily	temporarily
८७४६	शीर्षक	संल्था	संस्था
८७५४	५	अमलग्मेंट	एमलगेमेट
,,	अन्तिम से ३	सीघे	सीधे
८७५६	शीर्षक	राजस्यान	राजस्थान
,,	अन्तिम से ४	प्रावघान	प्रावधान
८७६२	शीर्षक	राजस्घान	राजस्थान
,,	८	क	के
८७६७	अन्तिम से ५	संस्या	संस्था
८७७२	शीर्ष	श्री मोतीलाल चोघरी)	(श्री मोतीलाल चौधरी)
८७७६	शीर्षक	अप्रैल	अप्रेल
८७७७	१२	सस्था	संस्था
,,	,,	डैग	ड्रेग
,,	१६	उशको	उसको
८७८३	स्कम्भ	८६८३	८७८३
,,	अन्तिम से ४	सम्वन्घ	सम्बन्ध
८७८४	शीर्षक	शहकारी-१२ अप्रल,	सहकारी-१२ अप्रेल,
८७८५	६	वनाने	बनाने
,,	१३	नेशन-लाइजेशन	नेशनलाइजेशन
८७८६	अन्तिम	निकाल	निकाले

१	२	३	४
८७८८	अन्तिम से ५	ग्रोर	ओर
८७९०	१०	है । न	है न
८७९१	२१	sir, ।	Sir,
८७९२	शीर्ष	(श्री मथुराम माथुर)	(श्री मथुरादास माथुर)
८७९४	६	मंघ	संघ
८७९६	१९	विधेयक	विधेयक
,,	अन्तिम से ३	देज़	देश
८७९७	१	वहुत	बहुत
८८०१	१	क्रेडिट वर्दी	क्रेडिटवर्दी
८८०८	२२	मोरगेज	मोर्टगेज
८८०९	११	,,	,,
८८१६	शीर्ष	(श्रा मथुरादास माथुर)	(श्री मथुरादास माथुर)
८८१८	२	कम्पेन्सशन	कम्पेन्सेशन
,,	१५	shii	Shri
८८१९	१६	I	If
८८२०	शीर्षक	अप्रॅल	अप्रेल
,,	११	हा	ही
८८२२	शीर्षक	अप्रंल	ग्रप्रेल
,,	५	नेगलीजेन्स	नेग्लीजेन्स
८८२४	शीर्षक	१३ अप्रेल	१२ अप्रेल
८८२८	९	डाइनमिक	डाइनेमिक
८८३२	शीर्षक	अप्रॅल	अप्रेल
८८३३	अन्तिम से ५	समितियो	समितियों
८८३५	२	का ट्रेड का,	का, ट्रेड का,
८८४०	५	जनरेटर	जेनरेटर
८८४८	२	महने	महीने
८८५६	१९	खुशा	खुशी
८८५८	शीर्ष	(श्रीं	(श्री
८८६२	८	करना	करनी

१	२	३	४
८८८३	११	हो का १।३ ऋण दिया जावे मग	हो उसको १।३ ऋण दिया जावे मगर
८८८८	२	रूल्म	रूल्स
८८६४	अन्तिम से ५	फामिग	फामिंग
८८६५	अन्तिम	फोर्जेड	फोर्ज्ड
८८६६	१	सस्थाओ	संस्थाओं